वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS
2016 -17

भाग 1 - तुलन पत्र
PART I - BALANCE SHEET

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE		31.03.2017 के अनुसार AS ON 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार AS ON 31.03.2016
निधियों के स्रोत / SOURCES OF FUNDS				
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	1			
पूंजीगत आरक्षित निधि CAPITAL RESERVE		36,083,168,567		36,083,168,567
राजस्व आरक्षित निधियाँ REVENUE RESERVES		23,875,023,826		7,055,232,499
सांविधिक आरक्षित निधियाँ STATUTORY RESERVES		19,398,435,589		17,109,308,818
अवसंरचना आरक्षित निधि INFRASTRUCTURE RESERVE		-		10,129,588,419
			79,356,627,982	**70,377,298,303**
ऋण निधियाँ / LOAN FUNDS	2			
जमानती ऋण SECURED LOANS		5,568,446,750		413,196,000
सरकारी ऋण GOVERNMENT LOANS		-		-
			5,568,446,750	**413,196,000**
आस्थगित कर देयता (निवल) DEFERRED TAX LIABILITY (NET)	5		**2,207,304,709**	**1,833,524,284**
निधियों के कुल स्रोत / TOTAL SOURCES OF FUNDS			**87,132,379,441**	**72,624,018,587**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची / SCHEDULE		31.03.2017 के अनुसार AS ON 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार AS ON 31.03.2016
II. निधियों का उपयोग				
APPLICATION OF FUNDS				
नियत परिसम्पत्तियाँ / FIXED ASSETS	3			
सकल खंड / GROSS BLOCK		32,700,413,324		31,296,209,926
घटाएं : मूल्यह्रास / Less: DEPRECIATION		8,023,903,865		7,369,661,082
निवल खंड / NET BLOCK		24,676,509,459		23,926,548,844
चालू पूंजीगत कार्य CAPITAL WORK IN PROGRESS		3,847,977,420		2,404,801,375
			28,524,486,880	**26,331,350,220**
नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शेड / SHEDS HANDED OVER TO BOT OPERATOR			**315,026,027**	**336,260,798**
निवेश / INVESTMENTS	4			
वर्तमान निवेश / CURRENT INVESTMENTS		-		-
लम्बी अवधि के निवेश LONG TERM INVESTMENTS		767,810,000		733,000,000
			767,810,000	**733,000,000**
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ DEFERRED TAX ASSETS	5		-	-
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम / CURRENT ASSETS LOANS & ADVANCES:	6			
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS		2,141,085,762		1,994,681,578
वस्तु सूचियाँ / INVENTORIES		267,815,225		160,739,834
निवल विविध देनदार / NET SUNDRY DEBTORS		6,921,376,749		6,911,501,087
कैश एवं बैंक शेष (बैंकों की सावधि जमा रसीदों सहित) / CASH & BANK BALANCES (including TDR with banks)		46,840,148,258		34,149,923,873
ऋण एवं अग्रिम / LOANS & ADVANCES		32,724,394,466		28,444,559,785
			88,894,820,460	**71,661,406,158**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची / SCHEDULE		31.03.2017 के अनुसार AS ON 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार AS ON 31.03.2016
घटाएं : वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान /				
Less : CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	**7**			
वर्तमान देयताएं / CURRENT LIABILITIES				
विविध लेनदार / SUNDRY CREDITORS		3,281,552,530		1,844,783,155
सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशि AMOUNTS DUE TO OTHER PORTS FOR SERVICES		33,762,780		34,026,506
अग्रिम भुगतान आदि ADVANCE PAYMENTS ETC.		1,498,033,485		1,423,352,112
अग्रिम तौर पर बिल में दर्शाई गई आय के लिए प्रावधान PROVISION FOR INCOME BILLED IN ADVANCE		379,321,220		408,680,341
प्रोद्भूत व्यय / ACCRUED EXPENSES		808,019,475		1,485,916,669
प्रोद्भूत ब्याज किंतु ऋण पर देय नहीं / INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS		81,956,168		473,698
			6,082,645,658	**5,197,232,481**
प्रावधान / PROVISIONS:				
कराधान हेतु / FOR TAXATION		25,287,118,267		21,240,766,108
कराधान हेतु कुल प्रावधान TOTAL PROVISIONS FOR TAXATION			25,287,118,267	21,240,766,108
कुल वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान / TOTAL CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			**31,369,763,925**	**26,437,998,589**
निवल वर्तमान परिसम्पत्तियाँ / NET CURRENT ASSETS			**57,525,056,535**	**45,223,407,569**
निधियों का कुल उपयोग / TOTAL APPLICATION OF FUNDS			**87,132,379,441**	**72,624,018,587**
लेखाकरण नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	**24**			
लेखों पर टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	**25**			

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का एक अभिन्न हिस्सा हैं ।

The schedules, referred to above, form an integral part of the Balance Sheet

ह /-Sd-
(संजय गांगण / SANJAY GANGAN)
मुख्य प्रबंधक (वित्त) / CHIEF MANAGER (FINANCE)

ह /-Sd
(अनिल डिग्गीकर, भा.प्र.से. / ANIL DIGGIKAR, IAS)
अध्यक्ष / CHAIRMAN

भाग - II : लाभ तथा हानि लेखा
PART II : PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची सं. Sh.No	31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016
आय / INCOME			
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार BULK HANDLING AND STORAGE CHARGES	8	85,542,832	86,152,536
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण प्रभार CONTAINER HANDLING AND STORAGE CHARGES	9	5,268,198,530	4,885,706,658
पत्तन एवं गोदी प्रभार / PORT AND DOCK CHARGES	10	3,588,008,538	3,394,336,521
संपदा किराया / ESTATE RENTALS	11	929,231,379	1,025,064,661
बीओटी ठेकों से आय / INCOME FROM BOT CONTRACTS	12	7,138,675,375	7,259,730,147
प्रचालनीय आय / OPERATING INCOME - (क / A)		**17,009,656,654**	**16,650,990,523**
व्यय / EXPENDITURE			
बल्क प्रहस्तन एवं भंडारण BULK HANDLING AND STORAGE	13	49,782,586	38,098,426
कंटेनर प्रहस्तन एवं भंडारण CONTAINER HANDLING AND STORAGE	14	2,848,048,970	2,678,685,937
पत्तन एवं गोदी व्यय PORT AND DOCK EXPENDITURE	15	1,903,695,236	1,626,038,375
रेल कार्यचालन RAILWAY WORKINGS	16	12,141,823	12,141,823

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची सं. Sh.No	31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016
किराए योग्य भूमि एवं भवन RENTABLE LAND AND BUILDING	17	351,507,368	291,703,688
बीओटी ठेकों पर व्यय EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS	18	836,993,489	679,742,326
प्रबंधन एवं सामान्य प्रशासन MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION	19	2,047,501,995	1,604,744,132
प्रचालनीय व्यय / OPERATING EXPENDITURE - (ख / B)		**8,049,671,467**	**6,931,154,707**
प्रचालनीय अधिशेष / OPERATING SURPLUS - (ग = क - ख / C = A - B)		**8,959,985,187**	**9,719,835,816**
जोड़ें : वित्त एवं विविध आय ADD : FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME - (घ/ D)	20	4,614,603,346	3,195,986,105
घटाएं : वित्त एवं विविध व्यय / LESS : FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE - (च / E)	21	165,319,226	1,321,122,525
घटाएं : निवल पूर्व अवधि प्रभार LESS : NET PRIOR PERIOD CHARGES (छ/F)	22	(38,092,956)	(49,955,453)
कर पूर्व लाभ एवं असाधारण मदें (ज = ग + घ - च - छ) / PROFIT BEFORE TAX AND EXTRA-ORDINARY ITEM - (G=C+D-E-F)		**13,447,362,262**	**11,644,654,849**
असाधारण मद (ठ) / EXTRA-ORDINARY ITEM (H)	26	-	728,500,000
कर पूर्व लाभ (ट = ज - झ) PROFIT BEFORE TAX (I = G - H)		**13,447,362,262**	**10,916,154,849**
घटाएं : कराधान हेतु प्रावधान (झ) LESS : PROVISION FOR TAXATION - (J)	23		
वर्तमान कर / CURRENT TAX		4,280,352,159	3,339,572,508
आस्थगित कर / DEFERRED TAX		373,780,425	389,701,685
करोत्तर लाभ (ड. = ट - ठ) PROFIT AFTER TAX (K = I - J)		**8,793,229,679**	**7,186,880,656**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची सं. Sh.No	31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016
जोड़ें : आयकर वापसी के बाद निर्धारण वर्ष 2005-06 के अतिरिक्त कर प्रावधान का समायोजन ADD : EXCESS PROVISION FOR TAX AY 2005-06 ADJUSTED AFTER REFUNDS		234,000,000	-
जोड़ें : कल्याणकारी निधि से आहरित राशि ADD: AMOUNT WITHDRAWN FROM WELFARE FUND		2,357,954	2,200,102
विनियोगों हेतु कुल उपलब्ध राशि TOTAL AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATIONS		9,029,587,633	7,189,080,758
विनियोग / APPROPRIATIONS:			
विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि / RESERVE FOR DEVELOPMENT, REPAYMENT OF LOANS & CONTINGENCIES			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED		37,704,937	6,626,268
स्थानांतरित लाभ / PROFIT TRANSFERRED TO		1,043,308,449	1,059,954,368

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	अनुसूची सं. Sh.No	31.03.2017 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष For the Year ended 31.03.2016
पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि / RESERVE FOR REPLACEMENT, REHABILITATION & MODERNISATION OF CAPITAL ASSETS			
अर्जित ब्याज / INTEREST EARNED		31,148,001	5,473,952
स्थानांतरित लाभ / PROFIT TRANSFERRED		1,049,865,385	1,061,106,685
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि			
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND		175,000,000	140,000,000
कर्मचारी कल्याण निधि / EMPLOYEES WELFARE FUND		2,357,954	2,200,102
कुल विनियोग / TOTAL APPROPRIATIONS		**2,339,384,725**	**2,275,361,375**
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित लाभ / PROFIT TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE		**6,690,202,908**	**4,913,719,383**
लेखाकरण नीतियाँ / ACCOUNTING POLICIES	24		
लेखों पर टिप्पणियाँ / NOTES ON ACCOUNTS	25		

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ एवं हानि लेखों के ही साथ हैं ।
The schedules, referred to above, form an integral part of the Profit and Loss Account

ह /-Sd
(संजय गांगण / SANJAY GANGAN)
मुख्य प्रबंधक (वित्त) / CHIEF MANAGER (FINANCE)

ह /-Sd
(अनिल डिग्गीकर, भा.प्र.से. / ANIL DIGGIKAR, IAS)
अध्यक्ष / CHAIRMAN

तुलन-पत्र की अनुसूचियाँ
Schedules to Balance Sheet
2016 -17

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO BALANCE SHEET
अनुसूची - 1:31 मार्च, 2017 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष
SCHEDULE - 1:RESERVES AND SURPLUS AS ON 31ST MARCH, 2017

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	योग / TOTAL	पूंजीगत आरक्षित निधि/ CAPITAL RESERVE	अन्य आरक्षित निधियाँ / OTHER RESERVES		
			सामान्य आरक्षित निधि / GENERAL RESERVE	कर्मचारी कल्याणकारी निधि / EMPLOYEE WELFARE FUND	डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि DEBENTURE REDEMPTION RESERVE
क/A प्रारंभिक जमा /OPENING BALANCE	**70,377,298,303**	**36,083,168,567**	**6,639,536,499**	**2,500,000**	**413,196,000**
जोड़ें / ADD					
1) राजस्व लेखे से स्थानांतरण TRANSFER FROM REVENUE ACCOUNT	9,029,587,633	-	6,690,202,908	2,357,954	-
2) पूंजीगत आरक्षित निधि सेस्थानांतरित राशि AMOUNT TRNSFERRED FROM CAPITAL RESERVE	-	-	-	-	-
3) आधारिक संरचना की आरक्षित निधि से स्थानांतरण TRANSFER FROM INFRSTRUCTURE RESERVE	10,129,588,419	-	10,129,588,419	-	-
4) सामान्य आरक्षित निधि से स्थानांतरण TRANSFER FROM GENERAL RESERVE	-	-	-	-	-
योग (ग = क + ख) / TOTAL (C= A + B)	**89,536,474,355**	**36,083,168,567**	**23,459,327,826**	**4,857,954**	**413,196,000**
घ/D घटाएं / LESS					
आंतरिक आरक्षित निधियाँ /अन्य स्थानांतरण / INTER-RESERVE/OTHER TRANSFERS					
1)कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि में स्थानांतरित/ TRANSFER TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND	-	-	-	-	-
2) राजस्व लेखों में स्थानांतरित / TRANSFERRED TO REVENUE ACCOUNT	2,357,954	-	-	2,357,954	-
3) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित / TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	10,129,588,419	-	-	-	-
4) वर्ष के दौरान किया गया कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND UTILISED DURING THE YEAR	47,900,000	-	-	-	-
योग (घ) TOTAL (D)	**10,179,846,373**	**-**	**-**	**2,357,954**	**-**
च/E अंत शेष (च = ग - घ) CLOSING BALANCE (E = C - D)	**79,356,627,982**	**36,083,168,567**	**23,459,327,826**	**2,500,000**	**413,196,000**

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ SCHEDULES TO BALANCE SHEET
अनुसूची - 1:31 मार्च, 2017 के अनुसार आरक्षित निधि एवं अधिशेष
SCHEDULE - 1:RESERVES AND SURPLUS AS ON 31ST MARCH, 2017

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

	विवरण / PARTICULARS	सांविधिक आरक्षित निधियाँ / STATUTORY RESERVES			
		विकास ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय हेतु आरक्षित निधि / RES. FOR DEV. REPMT. OF LOANS AND CONTINGENCIES	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण हेतु आरक्षित निधि / RES. FOR REPL. REHAB. & MODER. OF CAPITAL ASSETS	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND	आधारिक संरचना आरक्षित निधि / INFRASTRUCTURE RESERVE
क/A	प्रारंभिक जमा /OPENING BALANCE	5,060,674,608	11,798,634,209	250,000,000	10,129,588,419
	जोड़ें / ADD				
	1) राजस्व लेखे से स्थानांतरण TRANSFER FROM REVENUE ACCOUNT	1,081,013,386	1,081,013,386	175,000,000	-
	2) पूंजीगत आरक्षित निधि सेस्थानांतरित राशि AMOUNT TRNSFERRED FROM CAPITAL RESERVE				
	3) आधारिक संरचना की आरक्षित निधि से स्थानांतरण TRANSFER FROM INFRSTRUCTURE RESERVE	-	-	-	-
	4) सामान्य आरक्षित निधि से स्थानांतरण TRANSFER FROM GENERAL RESERVE	-	-	-	-
घ/D	योग (ग = क + ख) / TOTAL (C= A + B)	6,141,687,994	12,879,647,595	425,000,000	10,129,588,419
	घटाएं / LESS				
	आंतरिक आरक्षित निधियाँ /अन्य स्थानांतरण / INTER-RESERVE/OTHER TRANSFERS				
	1) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि में स्थानांतरित/ TRANSFER TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND	-	-	-	-
	2) राजस्व लेखों में स्थानांतरित / TRANSFERRED TO REVENUE ACCOUNT	-	-	-	-
	3) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित / TRANSFERRED TO GENERAL RESERVE	-	-	-	10,129,588,419
	4) वर्ष के दौरान किया गया कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि का उपयोग / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND UTILISED DURING THE YEAR	-	-	47,900,000	-
	योग (घ) TOTAL (D)	-	-	47,900,000	10,129,588,419
	अंत शेष (च = ग - घ) CLOSING BALANCE (E = C - D)	6,141,687,994	12,879,647,595	377,100,000	-

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 2 ऋण निधियाँ
SCHEDULE - 2 LOAN FUNDS

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 के अनुसार / AS ON 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार / AS ON 31.03.2016
<u>जमानती ऋण / SECURED LOANS</u>		
लम्बी अवधि के ऋण / LONG TERM LOAN :		
कर मुक्त बॉड / TAX FREE BONDS	413,196,000	413,196,000
मुंबई जनेप न्यास पत्तन सडक कंपनी लिमिटेड के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार ऋण / ECB LOAN FOR MJPRCL	5,155,250,750	-
कुल जमानती ऋण / TOTAL SECURED LOAN	**5,568,446,750**	**413,196,000**

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 2 ऋण निधियाँ
SCHEDULE - 2 LOAN FUNDS

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 के अनुसार/ AS ON 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार / AS ON 31.03.2016
सरकारी ऋण / GOVERNMENT LOANS		
गैर योजना भारत सरकार ऋण / NON-PLAN GOI LOAN	-	-
कुल सरकारी ऋण / TOTAL GOVERNMENT LOAN	-	-
कुल बकाया ऋण / TOTAL LOANS OUTSTANDING	**5,568,446,750**	**413,196,000**

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची : 3 : 31 मार्च, 2017 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ
SCHEDULES : 3 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2017

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

क्र.सं./ SR. No.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
	परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS	01.04.2016 के अनुसार / AS AT 01.04.2016	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR	31.03.2017 को / AS AT 31.03.2017 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
I (क/A)	जमीन / LAND	2,898,080,237	14,916,336	-	2,912,996,573
I (ख/B)	पर्यावरणीय- संरक्षण के उपाय / ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES	42,610,263	-	-	42,610,263
II	मुख्य निकर्षण/CAPITAL DREDGING	12,772,352,089	1,945,655	-	12,774,297,744
III	इमारतें, शेड एवं अन्य संरचनाएँ / BUILDGING SHEDS & OTHER STRUCTURES				
(ख/B)	माल गोदाम / WARE HOUSES	48,138,245	-	-	48,138,245
(ग/C)	मकान / QUARTERS	534,534,688	-	-	534,534,688
(घ/D)	अन्य संरचनाएँ/OTHER STRUCTURES	557,505,966	35,456,154	-	592,962,120
(च/E)	लघु संरचनाएँ / MINOR STRUCTURES	35,826,019	-	-	35,826,019
(छ/F)	कें.औ.सु.बल आवास/ CISF ACCOMMODATION	41,972,741	-	-	41,972,741
(ज/G)	प्राथमिक अध्ययन तथा कार्य/ PRELIMINARY STUDIES & WORKS	42,866,998	-	-	42,866,998

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची : 3 : 31 मार्च, 2017 के अनुसार नियत परिसम्पत्तियाँ
SCHEDULES : 3 : FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 2017

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

मूल्यह्रास / DEPRECIATION				निवल खण्ड / NET BLOCK	
01.04.2016 को / AS AT 01.04.2016	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2017 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2017 (7)+(8)+(9)	31.03.2017 को / AS AT 31.03.2017 (6)-(10)	31.03.2016 के अनुसार / AS AT 31.03.2016 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	2,912,996,573	2,898,080,237
12,684,762	-	348,511	13,033,273	29,576,990	29,925,501
442,625,698	-	128,794,092	571,419,790	12,202,877,955	12,329,726,391
25,272,580	-	1,203,456	26,476,036	21,662,209	22,865,665
275,375,901	-	10,669,542	286,045,444	248,489,244	259,158,786
250,237,647	-	14,468,026	264,705,673	328,256,447	307,268,319
5,279,921	-	895,650	6,175,571	29,650,448	30,546,098
16,032,354	-	839,455	16,871,809	25,100,932	25,940,387
42,866,998	-	-	42,866,998	-	-

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

क्र.सं./ SR. No.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
	परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS	01.04.2016 के अनुसार / AS AT 01.04.2016	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR	31.03.2017 को / AS AT 31.03.2017 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
IV	घाट, सड़कें और परिसीमाएं / WHARVES, ROADS AND BOUNDARIES				
(क/A)	घाट और पटरियां / WHARVES & PAVEMENTS	4,460,016,041	260,481,200	-	4,720,497,241
(ख/B)	परिसीमा दीवारें और बाड़ / BOUNDARY WALLS & FENCES	58,524,192	-	-	58,524,192
(ग/C)	सड़कें / ROADS	1,718,682,857	89,592,815	-	1,808,275,672
(घ/D)	नालियाँ और पुलिये/ DRAINS & CULVERTS	231,511,900	-	-	231,511,900
(च/E)	पुल / BRIDGES	92,742,919	565,284,540	-	658,027,459
V	तैरते पोत / FLOATING CRAFTS	36,317,348	188,615	-	36,505,963
VI	रेलवे और चल स्टॉक / RAILWAY AND ROLLING STOCK	-	-	-	-
(क/A)	पत्तन के अंदर स्थायी रास्ता / PERMANENT WAY INSIDE THE PORT	88,956,634	-	-	88,956,634
(ख/B)	पत्तन के बाहर स्थायी रास्ता / PERMANENT WAY OUTSIDE THE PORT	637,647,528	-	-	637,647,528
VII	गोदी, घाट, समुद्री दीवारें, पोत घाट एवं नौ-संचालन साधन / DOCKS, JETTIES, SEA-WALLS, PIERS & NAVIGATIONAL AIDS				
(क/A)	गोदीयॉ और घाट / DOCKS & JETTIES	124,030,180	-	-	124,030,180
(घ/D)	रक्षिकाएं, प्लव संकेतक और नौबंध / FENDERS, BUOYS & MOORINGS	109,727,661	-	-	109,727,661

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

मूल्यह्रास / DEPRECIATION				निवल खण्ड / NET BLOCK	
01.04.2016 को / AS AT 01.04.2016	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2017 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2017 (7)+(8)+(9)	31.03.2017 को / AS AT 31.03.2017 (6)-(10)	31.03.2016 के अनुसार / AS AT 31.03.2016 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
2,043,169,832	-	117,968,771	2,161,138,603	2,559,358,637	2,416,846,208
36,760,194	-	2,382,223	39,142,417	19,381,774	21,763,998
522,161,428	-	43,726,680	565,888,107	1,242,387,565	1,196,521,429
131,241,061	-	5,787,798	137,028,858	94,483,042	100,270,839
50,031,984	-	16,244,247	66,276,230	591,751,229	42,710,935
27,513,021	-	1,378,723	28,891,743	7,614,219	8,804,327
36,277,391	-	1,482,611	37,760,002	51,196,632	52,679,243
268,339,347	-	10,627,459	278,966,806	358,680,722	369,308,180
34,495,293	-	1,677,381	36,172,674	87,857,506	89,534,887
42,003,086	-	6,592,172	48,595,258	61,132,404	67,724,576

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

क्र.सं./ SR. No.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
	परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS	01.04.2016 के अनुसार / AS AT 01.04.2016	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR	31.03.2017 को / AS AT 31.03.2017 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
(च/E)	गोदी प्रवेश द्वार / DOCK ENTRANCE GATES	23,192,537	-	-	23,192,537
(ज/G)	नौसंचालन साधन / NAVIGATIONAL AIDS	115,726,448	-	-	115,726,448
VIII	क्रेन और वाहन / CRANES & VEHICLES	-	-	-	-
(घ/D)	अन्य उपस्कर /OTHER EQUIPMENTS	56,623,246	-	4,589,358	52,033,888
IX	संयंत्र और मशीनरी / **PLANT & MACHINERY**				
(क/A)	कर्मशाला तथा मशीनों के औजार / WORKSHOP & MACHINE TOOLS	7,042,946	-	-	7,042,946
(घ/D)	अन्य उपस्कर / OTHER EQUIPMENTS	66,967,538	9,956,161	81,778	76,841,921
(छ/F)	तुलन कांटे / WEIGH BRIDGES	5,045,399	-	-	5,045,399
(ज/G)	अस्पताल फर्नीचर / HOSPITAL FURNITURE	47,735,907	256,365	-	47,992,272
(झ/H)	तेल पाइपलाइन / OIL PIPE LINE	3,243,357	-	-	3,243,357
X	पानी, बिजली, दूरसंचार और अग्निशमन के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR WATER, ELECT. COMMUNICATION & FIRE FIGHTING				
(क/A)	बिजली के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR ELECTRICITY	1,270,213,168	9,300,698	-	1,279,513,866

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

मूल्यह्रास / DEPRECIATION				निवल खण्ड / NET BLOCK	
01.04.2016 को / AS AT 01.04.2016	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2017 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2017 (7)+(8)+(9)	31.03.2017 को / AS AT 31.03.2017 (6)-(10)	31.03.2016 के अनुसार / AS AT 31.03.2016 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
10,422,887	-	304,392	10,727,279	12,465,258	12,769,650
61,725,732	-	10,611,222	72,336,954	43,389,494	54,000,716
51,037,955	(4,589,358)	1,310,454	47,759,051	4,274,837	5,585,291
4,311,973	-	184,576	4,496,549	2,546,397	2,730,973
32,329,391	-	7,896,757	40,226,148	36,615,773	34,638,147
5,027,644	-	8,878	5,036,522	8,878	17,755
36,810,557	-	2,928,285	39,738,841	8,253,430	10,925,350
2,837,937	-	162,168	3,000,105	243,252	405,420
613,692,212	-	31,987,847	645,680,059	633,833,807	656,520,956

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

क्र.सं./ SR. No.	पूंजीगत परिसम्पत्तियाँ/CAPITAL ASSETS	सकल खण्ड / GROSS BLOCK			
	परिसंपत्तियों का विवरण / PARTICULARS OF ASSETS	01.04.2016 के अनुसार / AS AT 01.04.2016	वर्ष के दौरान योग / ADDITION DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान विलोपन/ DELETION DURING THE YEAR	31.03.2017 को / AS AT 31.03.2017 (3) + (4) - (5)
1	2	3	4	5	6
(ख/B)	दूरसंचार के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR TELECOMMUNICATIONS	7,068,642	-	-	7,068,642
(ग/C)	पानी के लिए संस्थापनाएँ / INSTALLATIONS FOR WATER	171,067,328	-	-	171,067,328
(घ/D)	अग्निशमन / FIRE-FIGHTING	511,569,673	1,702,770	-	513,272,444
XII.	कंटेनर प्रहस्तन उपकरण / CONTAINER HANDLING EQUIPMENTS	3,921,939,990	202,347,942	22,402,438	4,101,885,494
XIII.	कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर / COMPUTER & ELECTRONIC EQUIPMENT				
(क/A)	कम्प्यूटर / COMPUTER	393,425,219	22,563,544	1,966,280	414,022,483
(ख/B)	इलेक्ट्रानिक उपस्कर / ELECTRONIC EQUIPMENT	42,853,542	223,035,486	288,000	265,601,028
(ग/C)	अन्य इलेक्ट्रानिक उपस्कर / OTHER ELECTRONIC EQUIPMENTS	4,214,029	-	-	4,214,029
XIV	वाहन तथा अन्य कार्यालय मशीनें / VEHICLES & OTHER OFFICE MACHINES				
(क/A)	वीएचएफ ट्रान्सरिसीवर / VHF TRANSRECEIVER	14,920,581	-	-	14,920,581
(ख/B)	झेरॉक्स और फोटोकॉपी मशीन / ZEROX & PHOTOCOPYING MACHINE	9,333,233	530,000	549,940	9,313,293
(ग/C)	कार्यालय उपस्कर / OFFICE EQUIPMENTS	4,044,585	-	-	4,044,585
(घ/D)	वाहन / VEHICLES	15,577,706	-	3,477,089	12,100,617
XV.	पूंजीकृत पुर्जे / CAPITAL SPARES	72,360,346	-	-	72,360,346
	योग / TOTAL	31,296,209,926	1,437,558,281	33,354,883	32,700,413,324
	प्रगति में चल रहे पूंजीगत कार्य / CAPITAL WORKS IN PROGRESS	2,404,801,375	3,752,390,092	2,309,214,047	3,847,977,420
	कुल योग / GRAND TOTAL	33,701,011,302	5,189,948,373	2,342,568,930	36,548,390,744

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

मूल्यह्रास / DEPRECIATION				निवल खण्ड / NET BLOCK	
01.04.2016 को / AS AT 01.04.2016	वर्ष के दौरान किए समायोजन अथवा विलोपन / ADJ. OR DEL. DURING THE YEAR	वर्ष के दौरान किए प्रावधान / PROVISIONS DURING THE YEAR	31.03.2017 को कुल / TOTAL AS AT 31.03.2017 (7)+(8)+(9)	31.03.2017 को / AS AT 31.03.2017 (6)-(10)	31.03.2016 के अनुसार / AS AT 31.03.2016 (3)-(7)
7	8	9	10	11	12
4,638,867	-	321,837	4,960,704	2,107,938	2,429,775
80,423,459	-	5,731,671	86,155,131	84,912,197	90,643,869
390,963,054	-	18,355,037	409,318,090	103,954,353	120,606,620
1,335,214,091	(22,402,438)	207,728,038	1,520,539,692	2,581,345,802	2,586,725,899
343,023,153	(3,846,094)	18,866,275	358,043,334	55,979,149	50,402,066
27,886,195	(288,000)	14,441,970	42,040,165	223,560,862	14,967,347
4,214,029	-	-	4,214,029	-	-
4,377,971	-	1,523,790	5,901,761	9,018,820	10,542,611
7,972,291	(549,940)	744,172	8,166,522	1,146,770	1,360,942
4,005,203	-	25,782	4,030,985	13,600	39,382
14,017,638	(3,477,089)	1,175,755	11,716,304	384,313	1,560,068
72,360,346	-	-	72,360,346	-	-
7,369,661,082	**(35,152,919)**	**689,395,702**	**8,023,903,865**	**24,676,509,459**	**23,926,548,844**
-	-	-	-	**3,847,977,420**	**2,404,801,375**
7,369,661,082	**(35,152,919)**	**689,395,702**	**8,023,903,865**	**28,524,486,880**	**26,331,350,220**

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET
अनुसूची - 4 निवेश
SCHEDULE - 4 INVESTMENTS

विवरण / PARTICULARS	पूंजीकृत आरक्षित निधि / CAPITAL RESERVE FUND	विकास, ऋण की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय आरक्षित निधि DEVELOPMENT, REPAYMENT OF LOAN & CONTINGENCIES RESERVE FUND	पूंजी परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण की आरक्षित निधि REPLACEMENT REHABILITATION & MODERNISATION OF CAPITAL ASSETS RESERVE FUND	राजस्व आरक्षित निधि REVENUE RESERVE FUND	31/03/2017 को योग TOTAL AS ON 31/03/2017	31/03/2016 को योग TOTAL AS ON 31/03/2016
वर्तमान निवेश / CURRENT INVESTMENTS						
डिबेंचर या बाँड / DEBENTURES OR BONDS	-	-	-	-	-	-
अन्य / OTHERS	-	-	-	-	-	-
कुल वर्तमान निवेश / TOTAL CURRENT INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-
लम्बी अवधि के निवेश / LONG TERM INVESTMENTS						
निर्दिष्ट निवेश / QUOTED INVESTMENTS	-	-	-	-	-	-
अनिर्दिष्ट निवेश / UNQUOTED INVESTMENTS						
डिबेंचर या बाँड / DEBENTURES OR BONDS	-	-	-	150,000,000	150,000,000	150,000,000
मुंबई जनेप न्यास पत्तन सडक के लिमिटेड में हिस्सेदारी / SHARES IN MJNPTPRCL	400,000,000	-	-	-	400,000,000	400,000,000
इंडिया पोर्ट ग्लोबल प्रा. लिमिटेड में हिस्सेदारी / SHARES IN INDIA PORT GLOBAL PVT. LTD.	60,000,000	-	-	-	60,000,000	30,000,000
भारतीय पत्तन रेल निगम लिमिटेड में शेयर आवेदन राशि / SHARE APPLICATION MONEY IN INDIAN PORT RAIL CORPORATION LTD.	153,000,000	-	-	-	153,000,000	153,000,000
वाढवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड में शेयर आवेदन राशि / SHARE APPLICATION MONEY IN VADHAVAN PORT PROJECT LTD.	4,810,000	-	-	-	4,810,000	-
अन्य / OTHERS	-	-	-	-	-	-
कुल लंबी अवधि के निवेश / TOTAL LONG TERM INVESTMENTS	617,810,000	-	-	150,000,000	767,810,000	733,000,000
GRAND TOTAL	617,810,000	-	-	150,000,000	767,810,000	733,000,000

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 5 आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताएं /
SCHEDULE - 5 DEFERRED TAX ASSETS/LIABILITIES

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 के अनुसार / AS ON 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार / AS ON 31.03.2016
मूल्यहास पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियां/देयताएं DEFERRED TAX ASSETS/LIABILITY ON DEPRECIATION		
प्रारंभिक शेष / OPENING BALANCE	(1,885,209,326)	(1,495,507,641)
वर्तमान वर्ष के आस्थगित कर प्रभार / CURRENT YEAR DEFERRED TAX CHARGE	(373,780,425)	(389,701,685)
वर्ष के अंत में शेष / BALANCE AT THE END OF THE YEAR	**(2,258,989,751)**	**(1,885,209,326)**
43(ख) मदों पर आस्थगित कर परिसम्पत्तियां / **DEFERRED TAX ASSETS ON 43B ITEMS**		
प्रारंभिक शेष समायोजन / OPENING BALANCE ADJUSTMENTS	51,685,042	51,685,042
वर्तमान वर्ष के आस्थगित कर जमा / CURRENT YEAR DEFERRED TAX CREDIT	-	-
वर्ष के अंत में शेष / BALANCE AT THE END OF THE YEAR	**51,685,042**	**51,685,042**
वर्ष के अंत में कुल आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (देयता) / TOTAL DEFERRED TAX ASSETS (LIABILITY) AT THE END OF THE YEAR	**(2,207,304,709)**	**(1,833,524,284)**

नोट : वर्ष के दौरान प्रचलित आयकर दर को आस्थगित कर परिसम्पत्ति/देयता के अभिकलन के लिए लिया गया।

Note : Income Tax Rate prevalent during the year has been considered for computing the diferred tax Asset/Liability

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची - 6 वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम / SCHEDULE - 6 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES:

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS		31.03.2017 के अनुसार / AS ON 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार / AS ON 31.03.2016
वर्तमान परिसम्पत्तियां / CURRENT ASSETS			
निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज / INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS		2,141,085,762	1,994,681,578
वस्तु सूचियां / INVENTORIES		267,815,225	160,739,834
विविध देनदार / SUNDRY DEBTORS			
सरकारी देयताएं / GOVERNMENT DUES			
छः माह से कम पुराने / LESS THAN SIX MONTHS OLD	22,944,971		66,972,700
छः माह से अधिक पुराने / MORE THAN SIX MONTHS OLD	1,756,894,208		1,733,095,768
पत्तन की आंतरिक देयताएं / INTER PORT DUES			
छः माह से कम पुराने / LESS THAN SIX MONTHS OLD	-		-
छः माह से अधिक पुराने / MORE THAN SIX MONTHS OLD	-		-
गैर-सरकारी देयताएं / NON GOVERNMENT DUES			
छः माह से कम पुराने / LESS THAN SIX MONTHS OLD	391,890,217		312,814,874
छः माह से अधिक पुराने / MORE THAN SIX MONTHS OLD	3,921,688,794		3,895,629,646
कुल देयताएं / TOTAL DUES	**6,093,418,190**		**6,008,512,989**
जोड़ें : प्रोद्भूत आय / ADD ACCRUED INCOME	837,958,179		912,987,718
	6,931,376,369		**6,921,500,707**
घटाएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान / LESS PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS	9,999,620		9,999,620
निवल विविध देनदार / NET SUNDRY DEBTORS		**6,921,376,749**	**6,911,501,087**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 के अनुसार / AS ON 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार / AS ON 31.03.2016
रोकड़ एवं बैंक शेष / CASH & BANK BALANCES		
अपने पास रोकड़ / CASH IN HAND	192,570	182,121
अग्रदाय रोकड़ / IMPREST CASH	355,106	331,500
बैंक में रोकड़ / CASH AT BANK	356,788,084	215,880,917
राष्ट्रीयकृत बैंको में सावधि जमा रसीदें / T D R WITH NATIONALISED BANKS	46,482,812,498	33,933,529,335
कुल रोकड़ एवं बैंक शेष / TOTAL CASH & BANK BALANCES	**46,840,148,258**	**34,149,923,873**
ऋण एवं अग्रिम / LOANS & ADVANCES		
ठेकेदारों को अग्रिम / ADVANCES TO CONTRACTORS	2,655,712,378	1,888,051,055
कर्मचारियों को अग्रिम / ADVANCES TO EMPLOYEES	29,475,815	31,873,164
सांविधिक जमा / STATUTORY DEPOSITS	28,519,267,377	25,522,007,837
विविध नामे शेष / MISCELLANEOUS DEBIT BALANCES	1,087,948	1,098,989
भारतीय जीवन बीमा निगम के पास छुट्टी नकदीकरण का निवेश / LEAVE ENCASHMENT INVESTMENT WITH LIC	701,545,399	616,528,740
मुरगांव पत्तन न्यास को ऋण / LOAN TO MORMUGAO PORT TRUST	370,000,000	385,000,000
मुंबई जनेप न्यास पत्तन सडक कं लिमिटेड को ऋण / LOAN TO MJPRCL	447,305,548	-
कुल ऋण एवं अग्रिम / TOTAL LOANS & ADVANCES	**32,724,394,466**	**28,444,559,785**
कुल वर्तमान परिसम्पत्तियां / TOTAL CURRENT ASSETS	**88,894,820,460**	**71,661,406,158**

तुलन पत्र की अनुसूचियाँ
SCHEDULES TO BALANCE SHEET

अनुसूची -7 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान /
SCHEDULE - 7 CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 के अनुसार / AS ON 31.03.2017	31.03.2016 के अनुसार / AS ON 31.03.2016
वर्तमान देयताएं / CURRENT LIABILITIES		
विविध लेनदार / SUNDRY CREDITORS		
पूंजीगत कार्यों हेतु लेनदार / CREDITORS FOR CAPITAL WORKS	1,145,304,358	398,993,676
कर्मचारियों को देय राशि / DUES PAYABLE TO EMPLOYEES	449,512,820	109,456,016
व्यापारी ठेकेदारों आदि की जमा राशियां / DEPOSITS FROM MERCHANT CONTRACTORS ETC.	904,225,578	697,157,522
विविध लेनदार एवं जमा शेष / MISCELLANEOUS CREDITORS & CREDIT BALANCES	57,168,665	17,441,817
सेवानिवृत्ति लाभ लेनदार / CREDITORS FOR RETIREMENT BENEFITS	725,341,109	621,734,124
कुल विविध लेनदार / TOTAL SUNDRY CREDITORS	**3,281,552,530**	**1,844,783,155**
सेवाओं हेतु अन्य पत्तनों को देय राशियां / AMOUNTS DUE TO OTHER PORTS FOR SERVICES	33,762,780	34,026,506
अग्रिम भुगतान एवं असमाप्त छूट / ADVANCE PAYMENTS & UNEXPIRED DISCOUNTS	1,498,033,485	1,423,352,112
अग्रिम तौर पर बिल में दर्शाई गई आय के लिए प्रावधान / PROVISION FOR INCOME BILLED IN ADVANCE	379,321,220	408,680,341
प्रोद्भूत व्यय / ACCRUED EXPENSES	808,019,475	1,485,916,669
प्रोदभूत ब्याज किंतु ऋणों पर देय नहीं / INTEREST ACCRUED BUT NOT DUE ON LOANS	81,956,168	473,698
प्रावधान / PROVISIONS:		
कराधान हेतु / FOR TAXATION	25,287,118,267	21,240,766,108
कुल वर्तमान देयताएँ एवं प्रावधान / TOTAL CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	**31,369,763,925**	**26,437,998,589**

लाभ एवं हानि लेखों की अनुसूचियाँ

Schedules to Profit & Loss Account

2016 -17

लाभ और हानि लेखे की अनुसूचियाँ / SCHEDULES TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
आय / INCOME		
अनुसूची / SCHEDULE - 8		
बल्क प्रहस्तन और भंडारण प्रभार / BULK HANDLING & STORAGE CHARGES		
बल्क कार्गो पर घाट भाड़ा / WHARFAGE ON BULK CARGO	85,405,988.00	78,099,987.00
बल्क भंडारण प्रभार / BULK STORAGE CHARGES	89,228.00	7,915,582.00
विविध बल्क आय / MISCELLANEOUS BULK INCOME	47,616.00	136,967.00
बल्क प्रहस्तन और भंडारण प्रभार से कुल आय / TOTAL INCOME FROM BULK HANDLING & STORAGE CHARGES	**85,542,832.00**	**86,152,536.00**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
आय / INCOME		
<u>अनुसूची / SCHEDULE - 9</u>		
कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण प्रभार / CONTAINER HANDLING & STORAGE CHARGES		
कंटेनर प्रहस्तन प्रभार / CONTAINER HANDLING CHARGES	4,354,270,152.16	3,971,459,551.00
कंटेनर भंडारण प्रभार / CONTAINER STORAGE CHARGES	191,203,936.00	202,489,935.00
कं. व. स्था. की रायल्टी से आय / ROYALTY INCOME FROM CFS	63,269,573.00	59,886,819.00
अमानक कार्गो पर घाट भाड़ा / WHARFAGE ON NON STANDARD CARGO	11,784,858.00	23,879,669.00
अमानक कार्गो का विराम समय / DWELL TIME ON NON STANDARD CARGO	-	34,606.00
विद्युत एवं अनुवीक्षण प्रभार / ELECTRICITY AND MONITORING CHARGES	356,131,532.00	257,885,064.00
उथला जल घाट पर कंटेनर प्रहस्तन / CONTAINER HANDLING AT SHALLOW WATER BERTH	278,168,136.84	345,213,421.00
कंटेनर भंडारण प्रभार - उथला जल घाट / CONTAINER STORAGE CHARGES - SHALLOW WATER BERTH	10,035,466.00	24,476,542.00
विविध कंटेनर आय / MISCELLANEOUS CONTAINER INCOME	3,334,876.00	381,051.00
कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण प्रभार से कुल आय /		
कंटेनर प्रहस्तन और भंडारण प्रभार से कुल आय TOTAL INCOME FROM CONTAINER HANDLING & STORAGE CHARGES	**5,268,198,530.00**	**4,885,706,658.00**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
अनुसूची / SCHEDULE - 10		
पत्तन और गोदी प्रभार / PORT AND DOCK CHARGES		
पत्तन को देय राशियाँ / PORT DUES INCOME		
पत्तन को देय राशियां - बल्क जलयान / PORT DUES - BULK VESSELS	1,108,910.00	1,495,632.00
पत्तन को देय राशियां - विदेशी कंटेनर जलयान / PORT DUES - FOREIGN CONTAINER VESSELS	189,054,548.00	159,012,356.00
पत्तन को देय राशियां - ओएनजीसी के जलयान / PORT DUES - ONGC VESSELS	4,098,225.00	3,606,521.00
पत्तन को देय राशियां - आपूर्ति जलयान / PORT DUES - SUPPLY VESSELS	2,241,943.00	2,566,611.00
पत्तन को देय राशियां - तटवर्ती कंटेनर जलयान / PORT DUES - COASTAL CONTAINER VESSELS	2,074.00	362,646.00
पत्तन को देय राशियां - एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) जलयान / PORT DUES - NSICT (DP WORLD) VESSELS	228,906,687.00	270,464,750.00
पत्तन को देय राशियां - टैंकर जलयान / PORT DUES - TANKER VESSELS	-	602,407.00
पत्तन को देय राशियां - बीपीसीएल जलयान / PORT DUES - BPCL VESSELS	78,893,061.00	72,454,055.00
पत्तन को देय राशियां - उथला जल घाट / PORT DUES - SHALLOW WATER BERTH	20,699,762.00	28,492,218.00
पत्तन को देयताएं - जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / PORT DUES - GTIPL(APM TERMINAL)	304,252,827.00	287,021,003.00
पत्तन को देय राशियां - एनएसआईजीटी / PORT DUES - NSIGT VESSELS	120,453,980.00	41,825,581.00
पत्तन बकाया से कुल आय / TOTAL INCOME FROM PORT DUES	**949,712,017.00**	**867,903,780.00**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
आय / INCOME		
पाइलटेज आय / PILOTAGE INCOME		
पाइलटेज - बल्क जलयान / PILOTAGE - BULK VESSELS	2,484,499.00	3,421,253.00
पाइलटेज -विदेशी कंटेनर जलयान / PILOTAGE - FOREIGN CONTAINER VESSELS	381,840,350.00	330,892,971.00
पाइलटेज - ओएनजीसी जलयान / PILOTAGE - ONGC VESSELS	12,975,240.00	11,090,025.00
पाइलटेज - आपूर्ति जलयान / PILOTAGE - SUPPLY VESSELS	2,904,428.00	3,258,592.00
पाइलटेज - तटवर्ती कंटेनर जलयान / PILOTAGE - COASTAL CONTAINER VESSELS	1,247.00	751,539.00
पाइलटेज - एनएसआईसीटी (डी.पी. वर्ल्ड) जलयान / PILOTAGE - NSICT (DP WORLD) VESSELS	446,036,732.00	532,365,440.00
पाइलटेज - टैंकर जलयान / PILOTAGE - TANKER VESSELS	-	2,370,288.00
पाइलटेज - बीपीसीएल जलयान / PILOTAGE - BPCL VESSELS	161,564,934.00	148,137,492.00
पाइलटेज - उथला जल घाट - कं.ट. / PILOTAGE - SHALLOW WATER BERTH - CT	13,767,839.00	27,883,494.00
पाइलटेज - उथला जल घाट - ब.ट. / PILOTAGE - SHALLOW WATER BERTH - BT	29,154,261.00	33,154,099.00
पाइलटेज - जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / PILOTAGE - GTIPL (APM TERMINAL)	597,316,075.00	571,407,639.00
पाइलटेज- एनएसआईजीटी जलयान / PILOTAGE - NSIGT VESSELS	225,281,649.00	79,493,779.00
पाइलटेज से कुल आय / TOTAL INCOME FROM PILOTAGE	**1,873,327,254.00**	**1,744,226,611.00**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
घाट किराया आय / BERTH HIRE INCOME		
घाट किराया - बल्क जलयान / BERTH HIRE - BULK VESSELS	990,354.00	1,160,006.00
घाट किराया - विदेशी कंटेनर जलयान / BERTH HIRE - FOREIGN CONTAINER VESSELS	234,317,102.00	191,648,251.00
घाट किराया - ओएनजीसी जलयान/आपूर्ति जलयान / BERTH HIRE - ONGC VESSELS/SUPPLY VESSELS	396,121.00	578,094.00
घाट किराया - तटवर्ती कंटेनर जलयान / BERTH HIRE - COASTAL CONTAINER VESSELS	48,689.00	1,038,697.00
घाट किराया - एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) जलयान / BERTH HIRE - NSICT / (DP WORLD) VESSELS	160,309,173.00	217,356,101.00
घाट किराया - टैंकर जलयान / BERTH HIRE - TANKER VESSELS	-	979,708.00
घाट किराया - बीपीसीएल जलयान / BERTH HIRE - BPCL VESSELS	93,700,523.00	95,855,293.00
घाट किराया - उथला जल घाट / BERTH HIRE - SHALLOW WATER BERTH	22,365,175.00	27,851,614.00
घाट किराया - जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / BERTH HIRE - GTIPL (APM TERMINAL)	244,529,737.00	232,731,457.00
घाट किराए से कुल आय / TOTAL INCOME FROM BERTH HIRE	756,656,874.00	769,199,221.00
विविध आय - मरीन MISCELLANEOUS INCOME - MARINE	8,312,393.00	13,006,909.29
पत्तन एवं गोदी प्रभार से कुल आय / TOTAL INCOME FROM PORT & DOCK CHARGES	**3,588,008,538.00**	**3,394,336,521.29**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
अनुसूची / SCHEDULE - 11		
सम्पदा किराया / ESTATE RENTALS		
भूमि किराया / RENT ON LAND	773,024,719.00	859,428,176.00
भवन किराया / RENT ON BUILDING	42,409,176.00	44,448,239.00
नगरक्षेत्र से किराया / RENT FROM TOWNSHIP	23,951,658.00	20,590,997.00
विद्युत प्रभारों की वसूली / RECOVERY OF ELECTRICITY CHARGES	59,844,141.00	76,572,251.28
जल प्रभारों की वसूली / RECOVERY OF WATER CHARGES	28,129,407.00	22,047,404.00
विविध आय - संपदा / MISCELLANEOUS INCOME-ESTATE	1,872,277.74	1,977,593.61
सम्पदा किराए से कुल आय / **TOTAL INCOME FROM ESTATE RENTALS**	**929,231,378.74**	**1,025,064,660.89**

विवरण / PARTICULARS	(राशि रुपयों में / Amount in Rs) 31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
आय / INCOME		
अनुसूची / SCHEDULE - 12 **बीओटी ठेकों से आय / INCOME FROM BOT CONTRACTS** **एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) से आय / INCOME FROM NSICT (DP WORLD)**		
रायल्टी आय एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) / ROYALTY INCOME NSICT (DP WORLD)	2,166,269,137.00	2,787,581,930.00
अन्य प्रभार एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) / OTHER CHARGES NSICT (DP WORLD)	424,108,831.00	343,787,045.00
एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) से से कुल आय / TOTAL INCOME FROM NSICT (DP WORLD)	**2,590,377,968.00**	**3,131,368,975.00**
बीपीसीएल से प्राप्त आय / INCOME FROM BPCL		
रायल्टी आय बीपीसीएल / ROYALTY INCOME BPCL	204,899,082.00	193,134,160.00
अन्य प्रभार बीपीसीएल / OTHER CHARGES BPCL	12,044,323.00	32,052,249.00
बीपीसीएल से कुल आय / TOTAL INCOME FROM BPCL	**216,943,405.00**	**225,186,409.00**
जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) से प्राप्त आय / INCOME FROM GTIPL (APM TERMINAL)		
पट्टे के किराए जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / LEASE RENTALS GTIPL (APM TERMINAL)	463,251,828.00	407,557,215.00
राजस्व शेयर जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / REVENUE SHARE GTIPL (APM TERMINAL)	2,174,348,073.00	2,260,650,102.00
अन्य प्रभार जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) / OTHER CHARGES GTIPL (APM TERMINAL)	507,078,699.00	572,070,481.00
जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) से कुल आय / TOTAL INCOME FROM GTIPL (APM TERMINAL)	**3,144,678,600.00**	**3,240,277,798.00**
पट्टे के किराए बीएमसीटी / LEASE RENTALS BMCT	240,872,570.00	236,150,184.00
बीएमसीटी से कुल आय / TOTAL INCOME FROM BMCT	**240,872,570.00**	**236,150,184.00**
एनएसआईजीटी से आय / INCOME FROM NSIGT		
पट्टे के किराए एनएसआईजीटी / LEASE RENTALS NSIGT	10,629,311.00	13,311,660.00
राजस्व शेयर एनएसआईजीटी / REVENUE SHARE NSIGT	828,329,536.00	374,805,794.00
अन्य प्रभार एनएसआईजीटी / OTHER CHARGES NSIGT	106,843,985.00	38,629,327.00
एनएसआईजीटी से कुल आय / TOTAL INCOME FROM NSIGT	**945,802,832.00**	**426,746,781.00**
बीओटी ठेकों से प्राप्त कुल आय /TOTAL INCOME FROM BOT CONTRACTS	**7,138,675,375.00**	**7,259,730,147.00**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
व्यय / EXPENDITURE		
अनुसूची / SCHEDULE - 13		
बल्क प्रहस्तन और भंडारण पर व्यय / EXPENDITURE ON BULK HANDLING AND STORAGE		
गोदी में सामान्य सुविधाओं पर व्यय / EXPENDITURE ON GENERAL FACILITIES AT DOCK	33,018,237.00	22,907,843.20
प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	12,617,318.90	11,079,827.55
नए लघु कार्य / NEW MINOR WORKS	44,449.00	8,174.00
मूल्यह्रास बल्क / DEPRECIATION BULK	4,102,581.27	4,102,581.28
बल्क प्रहस्तन और भंडारण पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON BULK HANDLING AND STORAGE	**49,782,586.17**	**38,098,426.03**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
व्यय / EXPENDITURE		
अनुसूची / SCHEDULE - 14 **कंटेनर प्रहस्तन और भंड़ारण पर व्यय /** **EXPENDITURE ON CONTAINER HANDLING AND STORAGE**		
क्वे क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION AND MAINTENANCE OF QUAY CRANES	629,055,427.98	557,658,580.26
यार्ड क्रेनों का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION AND MAINTENANCE OF YARD CRANES	597,013,092.64	511,180,709.71
ट्रैक्टर ट्रेलरों का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION AND MAINTENANCE OF TRACTOR TRAILORS	122,346,210.23	103,894,539.02
अन्य कंटेनर प्रहस्तन उपस्करों का किराया / HIRE OF OTHER CONTAINER HANDLING EQUIPMENTS	385,309,075.00	432,493,478.00
सुविधा प्रबंधन / FACILITY MANAGEMENT	58,135,921.72	51,605,715.62
अन्य कंटेनर प्रहस्तन व्यय / OTHER CONTAINER HANDLING EXPENDITURE	350,397,580.59	408,131,108.00
प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	337,610,664.52	242,554,118.18
मूल्यह्रास / DEPRECIATION - CONTAINER	368,180,997.71	371,167,688.34
कंटेनर प्रहस्तन और भंड़ारण पर कुल व्यय / **TOTAL EXPENDITURE ON CONTAINER HANDLING AND STORAGE**	**2,848,048,970.39**	**2,678,685,937.13**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
व्यय / EXPENDITURE		
अनुसूची / SCHEDULE - 15		
पत्तन और गोदी व्यय / PORT AND DOCK EXPENDITURE		
घाटायन और नौबंध / BERTHING AND MOORING	251,732,434.11	225,623,806.01
प्रदूषण नियंत्रण / POLLUTION CONTROL	1,043,036.00	702,627.50
पाइलटेज और नौकर्षण / PILOTAGE AND TOWING	461,274,861.91	453,880,674.00
निर्जल गोदी व्यय / DRY DOCKING EXPENSES	313,335.00	391,474.00
नौवहन को जल आपूर्ति / WATER SUPPLY TO SHIPPING	2,666,161.00	3,021,041.00
अग्निशमन / FIRE FIGHTING	63,209,186.14	60,774,188.93
पंकोत्सरण और समुद्री सर्वेक्षण / DREDGING AND MARINE SURVEY	775,937,489.20	506,898,430.08
नौचालन सहायता का प्रचालन और अनुरक्षण / OPERATION & MAINTENANCE OF NAVIGATIONAL AIDS	13,585,299.63	10,494,178.01
प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	171,694,909.23	192,550,886.12
मूल्यह्रास - मरीन / DEPRECIATION - MARINE	162,238,523.55	171,701,069.60
पत्तन और गोदी पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON PORT AND DOCK	**1,903,695,235.77**	**1,626,038,375.25**
अनुसूची / SCHEDULE -16		
रेल कार्य / RAILWAY WORKING		
मूल्यह्रास - रेल / DEPRECIATION - RAILWAY	12,141,822.74	12,141,822.73
रेल गतिविधियों पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON RAILWAY WORKING	**12,141,822.74**	**12,141,822.73**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
अनुसूची / SCHEDULE - 17		
किराए योग्य भूमि एवं भवन / RENTABLE LAND AND BUILDINGS		
सम्पदा अनुरक्षण / ESTATE MAINTENANCE	292,321,559.28	240,708,567.43
प्रशासनिक और सामान्य व्यय / ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	3,078,602.80	8,088,712.95
नए लघु कार्य - सम्पदा / NEW MINOR WORKS - ESTATE	-	714,000.00
मूल्यह्रास - सम्पदा / DEPRECIATION - ESTATE	56,107,205.79	42,192,407.33
किराए योग्य भूमि एवं भवनों पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON RENTABLE LAND AND BUILDINGS	**351,507,367.87**	**291,703,687.71**
अनुसूची / SCHEDULE - 18 **बीओटी ठेकों पर व्यय / EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS**		
एनएसआईसीटी (डीपी वर्ल्ड) पर व्यय / EXPENDITURE ON NSICT (DP WORLD)	191,548,611.00	207,427,800.90
बीपीसीएल पर व्यय / EXPENDITURE ON BPCL	13,237,537.00	11,472,049.87
जीटीआईपीएल (एपीएम टर्मिनल) पर व्यय / EXPENDITURE ON GTIPL (APM TERMINAL)	416,495,675.38	386,798,948.73
एनएसआईजीटी पर व्यय / EXPENDITURE ON NSIGT	112,178,898.00	24,152,310.00
बीएमसीटीपीएल पर व्यय / EXPENDITURE ON BMCTPL	53,620,846.00	-
मूल्यह्रास - बीओटी / DEPRECIATION - BOT	49,911,921.59	49,891,216.46
बीओटी ठेकों पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON BOT CONTRACTS	**836,993,488.97**	**679,742,325.96**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
अनुसूची / SCHEDULE - 19		
प्रबंधन और सामान्य प्रशासन / MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION		
प्रबंधन और सचिवीय व्यय / MANAGEMENT AND SECRETARIAL EXPENSES	966,466,295.79	690,318,515.31
लेखाकरण और लेखा परीक्षा / ACCOUNTING AND AUDIT	110,608,741.24	102,530,613.68
श्रम और कल्याण व्यय / LABOUR & WELFARE EXPENSES	72,170,683.58	74,458,475.95
चिकित्सा व्यय / MEDICAL EXPENSES	248,330,718.37	243,126,494.77
भंडार देख-रेख / STORE KEEPING	106,688,744.85	71,171,195.35
भवन एवं सड़कों पर व्यय / EXPENDITURE ON BUILDINGS & ROADS	106,199,529.72	83,444,929.38
पत्तन प्रबंधन कम्प्यूटर केन्द्र / PORT MANAGEMENT COMPUTER CENTRE	65,922,041.76	36,490,825.03
अभियांत्रिकी और कार्यशाला / ENGINEERING AND WORKSHOP	334,402,590.11	274,718,428.74
मूल्यह्रास - प्रशासन / DEPRECIATION - ADMINISTRATION	36,712,649.56	28,484,653.81
प्रबंधन और सामान्य प्रशासन पर कुल व्यय / TOTAL EXPENDITURE ON MANAGEMENT AND GENERAL ADMINISTRATION	**2,047,501,994.98**	**1,604,744,132.02**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
आय / INCOME		
अनुसूची / SCHEDULE - 20 **वित्त और विविध आय / FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME**		
निवेशों एवं ऋणों से ब्याज आय / INTEREST INCOME FROM INVESTMENTS AND LOANS	3,136,575,848.33	2,950,352,306.14
आयकर वापसी पर ब्याज / INTEREST ON REFUNDS FROM INCOME TAX DEPARTMENT	1,209,370,289.00	-
कर्मचारी अग्रिम/देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज / INTEREST ON STAFF ADV/ DELAYED PAYMENTS	1,928,758.00	5,536,173.00
पूंजी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / PROFIT ON SALE OF CAPITAL ASSETS	3,254,724.00	139,921.00
बेकार माल की बिक्री / SALE OF UNSERVICEABLE MATERIALS	10,796,211.00	2,413,232.00
लाँच पास से आय / INCOME FROM LAUNCH PASS	3,506,565.00	3,328,780.00
अतिथि-गृह से आय / INCOME FROM GUEST HOUSE	152,375.00	201,775.00
विदेशी मुद्रा में स्फीति - अपस्फीति से लाभ / FOREIGN EXCHANGE FLUCTUATIONS GAINS	191,142,470.00	-
विविध आय / SUNDRY INCOME	57,876,105.37	234,013,917.98
कुल वित्त और विविध आय / TOTAL FINANCE AND MISCELLANEOUS INCOME	**4,614,603,345.70**	**3,195,986,105.12**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
व्यय / EXPENDITURE		
अनुसूची / SCHEDULE - 21		
वित्त और विविध व्यय / FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE		
सेवानिवृत्ति उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार / RETIREMENT GRATUITY, PENSION, LEAVE ENCASHMENT AS PER ACTURIAL VALUATION	3,484,100.70	1,254,206,285.00
ऋणों पर ब्याज / INTEREST ON LOANS		
कर मुक्त बंधपत्रों पर ब्याज / INTEREST ON TAX FREE BONDS	28,883,509.20	28,893,848.20
बाहरी वाणिज्यिक उधार ऋण पर ब्याज / INTEREST ON ECB LOAN	57,409,503.98	-
ऋणों पर कुल ब्याज / TOTAL INTEREST ON LOANS	**86,293,013.18**	**28,893,848.20**
बैंक प्रभार (बंधपत्र निर्गम के व्यय सहित) / BANK CHARGES (Incl. Bond Issue Expenses)	27,426,457.44	1,984,961.29
नौकायों को किराए पर लेने से हुआ व्यय / EXPENDITURE ON HIRE OF LAUNCHES	21,724,924.00	20,847,383.00
अतिथि गृह व्यय / GUEST HOUSE EXPENDITURE	25,417,373.00	15,190,048.00
विविध व्यय / SUNDRY EXPENSES	973,358.00	-
कुल वित्त और विविध व्यय / TOTAL FINANCE AND MISCELLANEOUS EXPENDITURE	**165,319,226.32**	**1,321,122,525.49**

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
निवल आय / NET INCOME		
अनुसूची / SCHEDULE - 22		
निवल पूर्व अवधि प्रभार / NET PRIOR PERIOD CHARGES		
पूर्व अवधि आय / PRIOR PERIOD INCOME	(36,213,142.00)	(49,955,453.00)
पूर्व अवधि मूल्यह्रास / PRIOR PERIOD DEPRECIATION	(1,879,814.00)	-
पूर्व अवधि व्यय / PRIOR PERIOD EXPENSES	-	-
निवल पूर्व अवधि प्रभार / TOTAL NET PRIOR PERIOD CHARGES	**(38,092,956.00)**	**(49,955,453.00)**
निवल व्यय / NET EXPENDITURE		
अनुसूची / SCHEDULE - 23		
कराधान के लिए प्रावधान / PROVISION FOR TAXATION		
वर्तमान कर / CURRENT TAX		
आय कर के लिए प्रावधान / PROVISION FOR INCOME TAX	4,280,352,158.61	3,339,572,508.00
वर्तमान कर / TOTAL CURRENT TAX	**4,280,352,158.61**	**3,339,572,508.00**
आस्थगित कर / DEFERRED TAX		
आस्थगित कर प्रभार - मूल्यह्रास / DEFERRED TAX CHARGES - DEPRECIATION	373,780,424.62	389,701,685.00
आस्थगित कर / TOTAL DEFERRED TAX	**373,780,424.62**	**389,701,685.00**
कराधान के लिए कुल प्रावधान / TOTAL PROVISION FOR TAXATION	**4,654,132,583.23**	**3,729,274,193.00**
अनुसूची / SCHEDULE - 26		
असाधारण मदें / EXTRA-ORDINARY ITEM		
सेवा प्रभारों के लिए एमएसईडीसीएल द्वारा मांग के लिए प्रावधान PROVISION FOR DEMAND BY MSEDCL TOWARDS SERVICE CHARGES	-	728,500,000.00
कुल असाधारण मदें / TOTAL EXTRA-ORDINARY ITEM	**-**	**728,500,000.00**

नोट : वर्ष के दौरान प्रचलित आयकर दर को आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता के अभिकलन के लिए लिया गया।

Note: Income Tax rate prevalent during the year has been considered for computing the Deferred Tax Asset/Liability

नकदी आवागमन विवरण
Cash Flow Statement
2016 -17

नकदी आवागमन विवरण

CASH FLOW STATEMENT

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

	विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
A.	**प्रचालनीय गतिविधियों से नकदी आवागमन / CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	कर पूर्व निवल अधिशेष / NET SURPLUS BEFORE TAX	1,344.74	1,164.47
	के लिए समायोजन / ADJUSTMENTS FOR		
	पूर्व अवधि सहित मूल्यह्रास / DEPRECIATION INCL. PRIOR PERIOD	68.75	67.97
	शेडों का निर्माण / AMORTISATION OF SHEDS	2.12	1.82
	परिसम्पत्तियों की विक्री पर लाभ/हानि / PROFIT/LOSS ON SALE OF ASSETS	(0.33)	(0.01)
	ब्याज/लाभांश आय / INTEREST/DIVIDEND INCOME	(434.59)	(295.04)
	ब्याज व्यय / INTEREST EXPENDITURE	8.63	2.89
	सीएसआर निधि से किया गया भुगतान / PAYMENTS MADE OUT OF CSR FUND	(4.79)	
	असाधारण मद / EXTRA-ORDINARY ITEM	-	(72.85)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालनीय लाभ / OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	**984.53**	**869.24**
	कार्यशील पूंजी समायोजन / WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS		
	विविध देनदार / SUNDRY DEBTORS	(0.99)	(85.04)
	वस्तुसूचियाँ / INVENTORIES	(10.71)	0.91
	अग्रिम/नामे शेष / ADVANCES/DEBIT BALANCES	(427.98)	(522.16)
	लेनदार और देय / CREDITORS & PAYABLES	80.39	17.35
	कुल कार्यशील पूंजी समायोजन / TOTAL WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS	**(359.29)**	**(588.94)**
	प्रचालनीय गतिविधियों से निवल नकदी आवागमन - क NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES - A	**625.25**	**280.30**

नकदी आवागमन विवरण

CASH FLOW STATEMENT

(राशि रुपयों में / Amount in Rs)

	विवरण / PARTICULARS	31.03.2017 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2017	31.03.2016 को समाप्त वर्ष / For the Year ended 31.03.2016
B.	**निवेशीय गतिविधियों से नकदी आवागमन / CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	नियत परिसम्पत्तियों (निवल) की खरीद/बिक्री / PURCHASE/SALE OF FIXED ASSETS(NET)	(287.74)	(257.41)
	प्राप्त ब्याज/लाभांश / INTEREST/DIVIDEND RECEIVED	419.95	289.07
	निवेशों में परिवर्तन / CHANGE IN INVESTMENTS	(3.48)	(15.30)
	निवेशीय गतिविधियों से कुल नकदी आवागमन - ख / TOTAL CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES - B	**128.73**	**16.36**
C.	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी आवागमन / CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	बैंकों से ऋण / LOAN FROM BANK	515.53	-
	ऋणों का पुनर्भुगतान / REPAYMENT OF LOANS	-	-
	ऋणों पर ब्याज / INTEREST ON LOANS	(0.48)	(2.89)
	वित्तीय गतिविधियों से कुल नकदी का आवागमन - ग TOTAL CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES - C	**515.04**	**(2.89)**
D.	**कैश एवं बैंक शेष (क+ख+ग) में वृद्धि/(कमी) INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES(A+B+C)**	**1,269.02**	**293.77**
E.	सावधि जमा रसीद सहित कैश एवं बैंक का आरंभिक शेष OPENING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs	3,414.99	3,121.22
	सावधि जमा रसीद सहित कैश एवं बैंक का अंत शेष CLOSING CASH AND BANK BALANCES INCL. TDRs	4,684.01	3,414.99
	वृद्धि/(कमी) INCREASE/(DECREASE)	**1,269.02**	**293.77**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

Significant Accounting Policies

2016 -17

अनुसूची - 24 / SCHEDULE –24

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ / SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. राजस्व मान्यता :

पत्तन की आय के मुख्य स्रोतों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है :

क) जलयान संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से पाइलटेज, पत्तन देय और घाट किराया प्रभार शामिल हैं,

ख) कार्गो संबंधित प्रभार, जिसमें मुख्य रूप से कंटेनर और बल्क दोनों के लिए प्रहस्तन प्रभार और घाट शुल्क शामिल हैं,

ग) कंटेनर और बल्क दोनों प्रकार के कार्गो पर विराम समय प्रभार,

घ) भूमि और इमारतों के लिए सम्पदा संबंधी प्रभार, यथा - किराया, जल और विद्युत,

च) बी.ओ.टी. परियोजनाओं एवं न्यूनतम निश्चित व्यवसाय से प्राप्त रॉयल्टी/राजस्व,

छ) निवेशों पर ब्याज/लाभांश आय,

ज) बी ओ टी प्रचालकों को दी गई सेवाएँ ।

उपर्युक्त (क) एवं (ख) पर बताए गए जलयान संबंधी प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारों को सेवा पूरी तरह देने के बाद तत्काल शामिल किया जाता है । जलयान और संबंधित कार्गो के मामले में, यदि सेवा लेखाकरण अवधि के अंत तक पूरी नहीं होती है तो राजस्व को अगली लेखाकरण अवधि में लिया जाता है । यह पूरी सेवा ठेका विधि लेखाकरण मानक-9 (राजस्व मान्यता) के अनुसार है । बिंदु (ग) पर दर्शाए गए विराम समय प्रभार कार्गो के पत्तन से जाने के बाद निशुल्क अवधि निकालकर कार्गो के पत्तन परिसर में रहने की अवधि के लिए प्रभारित किए जाते हैं । विराम समय प्रभार दिन प्रति दिन उपार्जित नहीं होते हैं ।

सम्पदा संबंधी प्रभारों के मामले में किराए हर महीने या उसके अंश में देय हैं । इसलिए, किराए की आय महीने के आरंभ में ही लेखे में शामिल कर ली जाती है । जल प्रभारों के मामले में, जहाँ प्रभार निश्चित हैं, वहाँ महीने के आरंभ में और जहाँ मीटर रीडिंग के आधार पर खपत का निर्धारण किया जाता है, वहाँ राजस्व को आने वाले महीने की बिलिंग में लिया जाता है । विद्युत प्रभारों के मामले में, आय बिलिंग के आधार पर अर्थात, अगले महीने लेखे में ली जाती है ।

बंधपत्र, सावधि जमा के ब्याज को उपार्जन आधार पर लेखे में लिया जाता है ।

बीओटी परियोजना से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी/राजस्व को बीओटी प्रचालकों के वास्तविक निष्पादन और न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय पर उपार्जन आधार पर लेखे में लिया जाता है । टैंक फार्म के न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय सम्बंधी अर्थदण्ड को वित्तीय वर्ष 2005-06 तक संबंधित टैंक फार्म प्रचालकों की पट्टे की अवधि की वार्षिक तारीखों पर उपार्जन आधार पर लेखित किया गया है । वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान टैंक फार्म प्रचालकों के न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय में कमी होने पर घाट शुल्क के बिल न उगाहने का निर्णय
लिया गया क्योंकि इस आय में अनिश्चितता बनी रहती है और साथ ही

1. Revenue Recognition

The Port's major sources of income are classified as follows:

a) Vessel Related Charges consisting mainly of Pilotage, Port dues and berth hire charges,

b) Cargo related charges consisting mainly of handling charges and wharfage charges for both Container and Bulk,

c) Dwell time charges on cargo both Container and Bulk,

d) Estate Related Charges for land and buildings, namely, Rent, Water and Electricity,

e) Royalty/Revenue sharing from BOT Projects & MGT.

f) Interest/Dividend Income on investments,

g) Services rendered to BOT operators.

Vessel Related Charges and Cargo Related Charges at (a) & (b) above are recognized immediately on completion of the services to be rendered. For vessels and related cargo, where the service is not completed at the end of the accounting period, the revenue is recognized in the next accounting period. This is as per the completed service contract method under AS-9 (Revenue Recognition). Dwell time income at (c) is recognized only when the cargo departs from the Port premises, for the period the cargo was in the Port, after reducing any free period applicable. Dwell time charges are not accrued on day to day basis.

For Estate Related Charges, rents are payable per month or part thereof. Therefore, rental income is recognized in the beginning of the month. In the case of water charges, where the charge is fixed the income is recognized in the beginning of the month and where the consumption is dependent on the meter reading, revenue is recognized on the billing done in the subsequent month. In the case of electricity, income is recognized on billing i.e. in the subsequent month.

Interest on Bonds, Fixed Deposits is recognized on accrual basis.

Royalty/Revenue sharing from BOT projects are recognized on accrual basis, on the BOT operators' actual performance and Minimum Guaranteed Throughput. MGT penalty for tank farms is recognized on accrual basis based on anniversary dates of the lease period of respective tank farm operators up to financial year 2005-06. During financial year 2006-07, a decision had been taken not to raise bills in respect of wharfage on shortfall in Minimum Guaranteed Throughput of tank farm operators

यह पूरा मामला विवाचन के लिए भेजा गया था । किन्तु, वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय एक संविदागत बाध्यता भी है तथा उनके बिलों को न वसूला जाना बाद में हमारे दावे को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, वर्ष 2006-07 से पूर्वव्यापी प्रभाव से बिल वसूलने का निर्णय लिया गया । तद्नुसार, 2008-09 तक के बिल उगाहे गए हैं । अन्य प्रचालकों से भी ठेका दायित्व के अनुसार न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय दण्ड उपार्जित आधार पर लेखे में लिया गया है । लेखाकरण नीति सं. 12 भी देखिए ।

संरक्षी और सावधान रहने की आवश्यकता को देखते हुए कर्मचारियों के अग्रिमों और उन पर ब्याज सहित सभी प्रकार की आय को नकद रूप से लेखे में लिया गया है ।

2. नियत परिसम्पत्तियाँ

क) वास्तविक लागत, जिसमें निर्माण लागत, आयात कर सहित क्रय मूल्य, अन्य कर और परिसम्पत्तियों को उनके अभीष्ट रूप से प्रयोग करने के लिए चालू हालत में लाने की प्रत्यक्ष आरोप्य लागत भी है, को बहियों में ऐतिहासिक मूल्य पर दर्ज किया गया है ।

निर्माण की अवधि में पूंजीकृत परिसम्पत्तियों के मामले में आरंभ होने की तिथि अर्थात 26 मई, 1989 तक ऋणों पर उपार्जित ब्याज को भी पूंजीकृत किया गया है । परियोजना के आरंभ की तिथि तक सभी प्रकार के व्यय पूंजीकृत किए गए हैं ।

ख) प्रशासन और अन्य सामान्य उपरिव्यय जब तक परियोजना/परिसम्पत्तियों पर विशिष्ट रूप से आरोप्य और सीधे सम्बंधित न हों, तब तक नियत परिसम्पत्तियों की लागत से अलग रखे गए हैं ।

ग) नियत परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ/(हानि) को लाभ और हानि लेखे में लेखित किया जाता है ।

घ) **पट्टे की परिसम्पत्तियां :** भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखाकरण मानक-19 के अनुसार दि. 1.4.2001 को या उसके बाद आरंभ होने वाली लेखाकरण अवधि के दौरान वित्तीय पट्टे के अधीन पट्टे पर दी गई परिसम्पत्तियों को पूंजीकृत किया जाना चाहिए । जनेप न्यास में वित्तीय पट्टे की तरह की कुछ पट्टा परिसम्पत्तियाँ हैं जिन्हें 1995 और 1997 में पट्टे पर लिया गया था । इसलिए वे मानक की परिधि में नहीं आती थीं और पट्टे के भुगतान लाभ एवं हानि/राजस्व लेखे में दर्ज किए जाते थे । पट्टे की अवधि की समाप्ति पर भविष्य के पूंजीकृत व्यय पर नियंत्रण रखने एवं उनकी पहचान करने के लिए इन परिसम्पत्तियों को रु. 1/- के प्रतीक मूल्य पर लेखाबही में पूंजीकृत किया गया है । पट्टे की अवधि क्योंकि अगस्त, 2007 में समाप्त हो चुकी है, इसलिए भविष्य के पट्टे के भुगतानों को लेखों पर की गई टिप्पणियों में नहीं दिखाया गया है ।

नियत परिसम्पत्तियों को बट्टे खाते डालना : नियत परिसम्पत्तियों को महापत्तन न्यास अधिनियम,1963 के खंड 96 (क) और बट्टे खाते डालने की शक्तियों के प्रत्यायोजन के अधीन आवश्यक उचित प्राधिकार मिलने पर ही बट्टे खाते में डाला जाता है । परिसम्पत्तियों की बिक्री पर होने वाले लाभ / हानि की पहचान तदनुसार की जाती है ।

keeping in view the uncertainty associated with such an income and the fact that entire matter has been referred to arbitration. However, during financial year 2008-09 keeping in view the fact that MGT is also a contractual obligation and non raising of bills may effect our claim at a later date, a decision was taken to raise bills retrospectively from 2006-07 onwards. Accordingly bills upto 2008-09 have also been raised. MGT penalty for other operators is also recognized on accrual basis as per contractual obligation. Also refer accounting policy no. 12.

All other income including interest on employee advances are recognized on cash basis in keeping with need to be conservative and prudent.

2. Fixed Assets

a) Fixed assets are stated in the books at historical value, based on actual cost consisting of construction cost, purchase price including import duties, other taxes and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use.

In the case of assets capitalized during the period of construction, interest accrued on loans till the date of commissioning i.e. 26th May 1989 has also been capitalized. All expenses upto Date of Commissioning of the project have been capitalized.

b) Administration and other general overhead expenses, unless they are specifically attributable and directly identifiable with the project/assets, are excluded from the cost of fixed assets.

c) Profit/(Loss) on sale/disposal of Fixed assets are accounted for in the Profit and Loss Account.

d) **Leased Assets :-** As per AS-19 of the ICAI, assets leased under a financial lease during accounting periods commencing on or after 1.4.2001, should be capitalized. JNPT had certain leased assets, in the nature of Financial Lease, leased in 1995 and 1997. Therefore, they were not covered by the standard and the lease payments were charged to the Profit and Loss/Revenue Account. Upon expiry of lease period these assets have been capitalized in our books of accounts for a token sum of Re.1 each to have control and identifying future capital expenditure. Since the lease period has expired in Aug'07, future lease payments are not indicated in the notes to Account.

Write-off of Fixed Assets :- Fixed assets are written off only after proper authorization as required under clause 96A of the Major Port Trusts Act and the Delegation of Powers for write-off of assets. Profit / Loss on sale of Assets is recognised accordingly.

3. **मूल्यह्रास**

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास सरकार द्वारा जारी निदेशों/परिपत्रों/मार्गदर्शी निर्देशों में दी गई परिसम्पत्तियों की आर्थिक आयु के आधार पर सीधे-सीधे लगाया जाता है ।

वर्ष के दौरान पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्यह्रास निम्नलिखित रूप से किया गया है :-

प्रयोग में लाई गई परिसम्पत्तियाँ

1) 30 दिनों तक : शून्य
2) 30 दिनों से अधिक पर 180 दिनों तक : आधा (50%)
3) 180 दिनों से अधिक : पूरा मूल्यह्रास (100%)

रु. 1,00,000/- से कम लागत की वैयक्तिक परिसम्पत्तियों को क्रय वर्ष में राजस्व व्यय के रूप में पूरी तरह प्रभारित किया जाता है । किन्तु ऐसी परिसम्पत्तियों के मामले में, यदि उनके समूह का मूल्य रु. 1,00,000/- से अधिक हो तो पूरे समूह को एक मद के रूप में पूंजीकृत किया जाता है । यदि ऐसी मद पूँजी व्यय द्वारा प्राप्त की गई हों तो उन्हें एक मद के रूप में पूंजीकृत किया जाता है चाहे उनका मूल्य रु. 1,00,000/- से कम क्यों न हो । ऐसी प्रक्रिया इसलिए अपनाई जाती है ताकि यदि भविष्य में परिसम्पत्तियों को प्रतिस्थापित किया जाए तो उन पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सके ।

4 **निवेश**

पत्तन के निवेश मुख्यतः निम्नलिखित हैं :-

क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बंधपत्र,
ख) विशेष उद्देश्य कम्पनी में इक्विटी/अधीनस्थ ऋण,
ग) बैंकों में सावधि जमा ।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बंधपत्रों में निवेश समान मूल्य पर किया गया है जो सामान्यतया दीर्घ अवधि निवेश है और मियाद पूरी होने पर मूल्य के समकक्ष भुनाए जाने के लिए है । इसलिए उनका मूल्यांकन लागत के समकक्ष होगा (मूल्य समकक्ष) ।

5. **सेवा निवृत्ति लाभ**

क) कर्मचारियों को पेंशन, उपदान एवं छुट्टी नकदीकरण के देय लाभों को तीन वर्ष में एक बार किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपार्जित रूप से किया जाता है । निवृत्ति निधि और उपदान निधि में अंशदान इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सृजित निधियों में किया जाता है । निधियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है । छुट्टी नकदीकरण देयता का प्रावधान भी 31 मार्च, 2004 से किया गया है एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित छुट्टी नकदीकरण निधि में वार्षिक योगदान किया जाता है ।

ख) किया जाने वाला वार्षिक योगदान उस वित्तीय वर्ष में संवितरित राशि से कम नहीं होना चाहिए ।

ग) सभी तीनों अधिवर्षिता निधियों की देयता का नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन, प्रत्येक निधि में किए गए निवेश की राशि तथा यदि कोई कमी हो तो उसे पत्तन के वित्तीय विवरणों के लेखों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाएगा ।

घ) अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है ।

च) सामान्य भविष्य निधि के सदस्यों से भविष्य निधि के लिए वसूली गई

3. **Depreciation**

Depreciation of fixed assets is provided on straight-line basis based on the economic life of assets given in the directives/circulars/guidelines issued by the Government. Assets capitalized during the year are depreciated as follows:

Assets put to use

1) upto 30 days -Nil
2) Above 30 days & upto 180 days -Half (50%)
3) Above 180 days -Full depreciation (100%)

Individual assets costing less than Rs.1,00,000/- are fully charged to revenue expenditure in the year of purchase. However, in case of such assets if the lot size is more than Rs.1,00,000/- then the lot is capitalized as a single item. If such items have been acquired by incurring capital expenditure the same are capitalised as a single item even if the value is below Rs.1,00,000/-. Such practise is followed in order to have better control when the assets are replaced in future.

4. **Investments**

The Port's investments broadly consist of the following:-

a) PSU Bonds,
b) Equity/Sub-ordinate loan in SPV,
c) Fixed Deposits with Bank.

The investment in PSU Bonds have been made at par and generally in the nature of long term investments to be redeemed on maturity at par value. Therefore, they are valued at cost (par value).

5. **Retirement Benefits**

a) Pension, Gratuity and leave encashment liability to employees are provided for on accrual basis based on actuarial valuation done once in three years. Contributions are made to Pension Fund and Gratuity Fund created in Trusts set up for this purpose and the funds are managed by LIC of India. The leave encashment liability has also been provided for w.e.f. 31st March'2004 and annual contributions are being made to the Leave Encashment fund managed by LIC of India.

b) Annual contribution to be made shall not be less than the amount of disbursement made in that financial year.

c) The latest acturial valuation of liability of all the three superannuation funds, the amount of investments held by each of this fund and the shortfall if any shall be disclosed in the Notes on Accounts to the financial statements of the Port

d) Employers contribution to Contributory Provident Fund are charged to the Profit & Loss Account.

राशियों को इसके लिए बनाए गए भविष्य निधि न्यास में स्थानांतरित कर दिया जाता है ।

6. **निवेश पर ब्याज**

वर्ष 2002-03 तक, निवेश पर कमाया गया ब्याज राजस्व खाते में जमा किया जाता था । लेखा परीक्षा के जोर देने एवं बिलिमोरिया रिपोर्ट की अपेक्षाओं के अनुसार, निम्नलिखित आरक्षित निधियों के निवेशों पर अर्जित ब्याज को वित्तीय वर्ष 2003-04 से सीधे आरक्षित निधियों में जमा किया गया :

क) पूंजीगत परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास, और आधुनिकीकरण के लिए आरक्षित निधि,

ख) विकास, ऋणों की अदायगी एवं आकस्मिक व्यय के लिए आरक्षित निधि ।

यह लेखाकरण नीतियों में एक बदलाव था एवं इसका प्रभाव वर्ष 2003-04 के लेखों पर की गई टिप्पणियों में प्रकट किया गया है ।

पत्तन बिलिमोरिया रिपोर्ट द्वारा निर्धारित पद्धति से सहमत नहीं था । इसलिए भारतीय चार्टरित लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति की सलाह ली गई । विशेषज्ञ परामर्शदात्री समिति ने कहा कि पत्तन द्वारा पूर्व में अपनाई जा रही पद्धति सही है । इसलिए मुख्य महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से पत्तन इन दो निधियों के ब्याज को राजस्व लेखों में जमा कर रहा है एवं पूर्व की पद्धति के अनुसार लाभ-रेखा से नीचे विनियोग कर रहा है ।

7. **वस्तुसूचियाँ**

वस्तुसूचियों में मुख्यतया अनुरक्षण पुर्जे, औजार और उपभोग होने वाली वस्तुएं हैं और उनका मूल्य औसत भार पद्धति पर नियत होता है । वित्तीय वर्ष 2007-08 से वर्ष के अंत में उप-भंडार में उपलब्ध वस्तुसूचियों का आकलन करके उन्हें उपभोग से हटा लिया गया और तदनुसार लेखों में दिखाया गया है ।

8. **उधार लागत**

उधार लागत जो सीधे ही परिसम्पत्तियों के अर्जन और संरचना के लिए होती है, परिसम्पत्ति के प्रवर्तित होने की तिथि को पूंजीकृत की जाती है । पूंजीकरण के बाद ऋणों पर ब्याज उपार्जित आधार पर राजस्व में प्रभारित होता है ।

9. **विदेशी मुद्रा का लेन - देन**

कलपुर्जों और बड़े उपस्करों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को लागू विनिमय दर के अनुसार दर्ज किया जाता है । वित्त वर्ष 2015-16 तक पत्तन ने कोई विदेशी मुद्रा ऋण नहीं लिया है, और न इस संबंध में उसने कोई ठेका दिया है । तथापि, वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पत्तन ने वर्तमान 4 लेन की सड़कों को 6/8 लेन का बनाकर सड़क सम्पर्क सुधारने की सड़क विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए स्थापित विशेष उद्देश्य कम्पनी - मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड को देने के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का बाहरी वाणिज्यिक ऋण लिया है । इस बाहरी वाणिज्यिक ऋण के वर्ष के अंत में बकाया शेष पर निकलने वाले

e) The amounts recovered from the members of General Provident Fund towards Provident Fund are transferred to Provident Fund Trust formed for this purpose.

6. **Interest on Investments**

Until the year 2002-03, interest earned on investment was credited to Revenue Account. At the insistence of audit, and as per the requirements of the Billimoria Report, the interest earned on investments pertaining to the following reserves was credited directly to the reserves in financial year 2003-04.

a) Reserve for replacement, rehabilitation and modernization of capital assets.

b) Reserve for development, repayment of loans and contingencies.

This was a change in accounting policy, and the impact is disclosed in the Notes on Accounts for the year 2003-04.

The Port was not in agreement with the method prescribed by the Billimoria Report and therefore sought the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India. Expert Advisory Committee opined that the earlier practice followed by Port is correct. Therefore, with the approval of CAG, the Port is crediting the interest on these two funds to revenue accounts then making appropriation below the line as per earlier practice.

7. **Inventories**

Inventories mainly consist of maintenance spares, tools and consumables and are valued at cost determined on weighted average method. With effect from F.Y. 2007-08 Inventories lying at sub-stores at the end of the year have also been valued and reduced from consumption and accordingly reflected in the Accounts.

8. **Borrowing Costs**

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, constructions of assets are capitalized till the date on which the asset is commissioned. Interest on loans after capitalization is charged to Revenue on accrual basis.

9. **Foreign Currency Transactions**

Foreign currency transactions for import of spares and capital equipment are recorded at the exchange rate prevailing on the date of the transaction. Till FY 2015-16, the Port had neither borrowed in foreign currency nor had entered into any forward contracts. However, during FY 2016-17, the Port has availed External Commercial Borrowings (ECB) of USD 400 Million for On-lending to the Mumbai JNPT Port Road Company Limited (MJPRCL), a special purpose vehicle created for implementation of road widening project comprising expansion of existing 4 lane roads to 6/8 lane roads for improving connectivity to the Jawaharlal Nehru Port. The

विनिमय के अंतर की लाभ एवं हानि लेखे में आय या व्यय के रूप में पहचान की जाएगी । साथ ही, पत्तन को जलयान संबंधी प्रभारों एवं कंटेनरों के विराम समय प्रभारों के रूप में कुछ आमदनियाँ होती हैं, जिनकी गणना अमेरिकी डॉलर में की जाती है लेकिन उसे जलयान के पत्तन में प्रवेश की तिथि को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर रुपयों में प्राप्त किया जाता है । निर्यात कंटेनरों के लिए विनिमय दर पत्तन क्षेत्र में कंटेनरों के आगमन की तिथि को मौजूदा दर के अनुसार होगी ।

10. बीमा सुरक्षा - विस्तृत पत्तन पैकेज नीति :

पत्तन ने नीतिगत रूप से निम्नलिखित जोखिमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विस्तृत बीमा सुरक्षा कराई है :

1. भूकम्प जोखिम के विस्तार के साथ मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी (पत्तन प्रचालन क्षेत्र एवं नगरक्षेत्र से बाहर स्थापित परिसम्पत्तियों के लिए)
2. विस्तृत पत्तन पैकेज - सम्पत्ति
3. विस्तृत पत्तन पैकेज - देयता
4. विस्तृत पत्तन पैकेज - व्यापार व्यवधान एफएलओपी/एमएलओपी/पत्तन कामकाज में बाधा/मलबे की निकासी)
5. समुद्री पेटा - प्लवन नौकाएँ
6. निष्ठा गारंटी बीमा
7. इलेक्ट्रानिक उपस्कर बीमा
8. निदेशक तथा अधिकारी दायित्व पालिसी
9. आतंकवाद से विशेष सुरक्षा

11. आय पर करों का लेखाकरण (लेखाकरण मानक - 22)

पत्तन ने वित्तीय विवरण में लेखाकरण मानक-22 को अपनाया है जो कि अब अनिवार्य हो चुका है । इसके परिणामस्वरूप तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे में आस्थगित कराधान को सम्मिलित किया गया है । तदनुसार, समय में अन्तर - मुख्य रूप से मूल्यह्रास एवं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43(ख) के तहत आने वाली मदों के परिणामस्वरूप होने वाली आस्थगित कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, प्रभारों एवं क्रेडिटों को लेखों में मान्यता दी गई है ।

12. विवादित आय के संबंध में लेखाकरण नीतियों में वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी परिवर्तन

मंडल की 29 मार्च, 2011 को हुई 13 वीं बैठक में लिए गए निर्णय का संदर्भ लें, जिसमें निम्नलिखित संकल्प पारित किया गया है :

''नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के संबंध में उठाई गई आपत्तियों से निपटने तथा वित्तीय विवरणों की अधिक सटीक तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण को पेश करने, 'कमी एवं व्यवसाय पर अर्थदण्ड' से जनेप न्यास को होने वाली आय के लिए लेखाकरण की

exchange differences arising on outstanding balances of ECB Loan as on year end date shall be recognised as income or expense in the Profit & Loss account for the period.

Also, the Port has certain incomes like vessel related charges and dwell time charges on container which are denominated in US$, but collected in Indian Rupees using the reference rate of RBI as on date of entry of vessel into Port. For export containers, the exchange rate shall be as on the date of arrival of containers in the Port premises.

10. Insurance Cover – Comprehensive Port Package Policy

The Port as a matter of policy has taken the comprehensive insurance for the covering the following risks:

1. Standard Fire & Special Perils Policy with Earthquake extension (for assets outside Port operational area and township).
2. Comprehensive Port Package – Property
3. Comprehensive Port Package - Liability
4. Comprehensive Port Package – Business Interruption (FLOP/MLOP/Port Blockage, Wreck removal)
5. Marine Hull – Floating Crafts
6. Fidelity Guarantee Policy
7. Electronic Equipment Insurance
8. Directors and Officers Liability Policy
9. Standalone terrorism cover

11. Accounting for Taxes on Income AS - 22

The Port has adopted AS-22 in the Financial Statement, which has become mandatory. This has resulted in the Balance Sheet and Profit and Loss Account to include Deferred Taxation. Accordingly, timing differences mainly on account of depreciation and items covered under Sec.43 (B) of the Income Tax Act, 1961 resulting in Deferred Tax Assets and liabilities, charges and credits have been recognized in the accounts.

12. Change in accounting policy effective from FY 2010-11 in respect of disputed income

Reference is invited to the decision taken in the 13th Board Meeting held on 29th March 2011 wherein following resolution was passed.

"RESOLVED in compliance with the requirements of Accounting Standard 9 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the Instruction

नीति में परिवर्तन को अनुमोदन देने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 9 की अपेक्षाओं तथा पोत परिवहन मंत्रालय के अनुदेश के अनुपालन में संकल्प किया जाता है कि 'बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज' तथा 'जनेप न्यास की अन्य किसी प्रकार की आय' जो संबंधित पत्तन उपभोक्ताओं द्वारा विवादित है, ऐसी विवादित आय को उस वित्तीय वर्ष में मान्यता दी जाएगी जिस वर्ष अंतिम वसूली की संभावना अविवेकपूर्ण नहीं होगी । आगे यह संकल्प भी किया जाता है कि यह परिवर्तन वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी होगा ।''उपर्युक्त के अनुपालन में, वर्ष 2016-17 की न्यूनतम सुनिश्चित व्यवसाय की आय को वित्तीय विवरणों में दर्ज नहीं किया गया है । लेखाकरण नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 की आय/लाभ रु. 9.02 करोड़ कम है ।

of the Ministry of Shipping and Transport, to address the audit objections raised by C&AG and to present a more appropriate preparation and presentation of the financial statements, to approve the change in the policy of accounting for the income arising to JNPT from "Penalty for Shortfall and Throughput". "Penal interest on outstanding dues" and "any other income of JNPT" which are disputed by the concerned Port users, to the effect that such disputed income shall be recognised in the financial year in which it is not unreasonable to expect the ultimate collection.

Resolved further that this change shall be effective from the financial year 2010-11".

In compliance with the above, MGT income for the year 2016-17 has not been recognised in the financial statements. As a result of change in the accounting policy, income/profit for the year 2016-17 is lower by Rs. 9.02 Crs.

लेखों पर टिप्पणियाँ
Notes on Accounts
2016 -17

अनुसूचि - 25 / SCHEDULE –25

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखे पर टिपनियाँ

Note on Accounts for the Year Ended 31st march 2017

1. जने पत्तन में कंटेनर घाट का विस्तार तथा अन्य सुविधाएँ :

कंटेनर यातायात में अपेक्षित वृध्दि को ध्यान में रखते हुए पत्तन ने उत्तर की दिशा में 330 मी. घाट लम्बाई की एक स्वतंत्र कंटेनर प्रहस्तन सुविधा के डीबीएफओटी आधार पर विकास के लिए डी पी वर्ल्ड की विशेष उद्देश्य कम्पनी न्हावा शेवा(इंडिया) गेटवे टर्मिनल प्रा.लि के साथ 19 जून 2013 को एक छूट करार किया है । इससे क्षमता में प्रतिवर्ष लगभग 9.6 मिलियन टनों (अर्थात 0.8 मिलियन टीईयू) की वृध्दि होगी । मेसर्स डी पी वर्ल्ड प्रा. लि. ने 28.09 प्रतिशत राजस्व अंश उद्धृत किया था । पत्तन ने परियोजना के लिए एक स्वतंत्र अभियंता के रूप में मे. सी ई एस को नियुक्त किया है । 02 वर्ष की निर्माण अवधि के साथ 03.07.2014 को छूट करार सौंपा गया । परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है और एक वर्ष के सफल परीक्षण प्रचालन के बाद सुविधा जुलाई, 2016 में आरंभ हो गई ।

2. ज. ने. पत्तन में चौथे कंटेनर टर्मिनल का विकास -

विभिन्न अध्ययनों पर विचार करने से पता लगता है कि पत्तन को वर्ष 2018-19 तक 10 मिलियन टीईयू कंटेनर यातायात का प्रहस्तन करना पड़ेगा । अतिरिक्त यातायात के प्रहस्तन के लिए अतिरिक्त टर्मिनल सुविधा की आवश्यकता होगी । इसे ध्यान में रखते हुए जनेप न्यास ने डीबीएफओटी आधार पर चौथे कंटेनर टर्मिनल का विकास करने का निर्णय लिया है ।

4.8 मिलियन टी ई यू कंटेनरीकृत कार्गो का प्रहस्तन करने के लिए परियोजना में बैक-अप सुविधाओं के साथ 2 किमी. लम्बे घाट का निर्माण शामिल है । परियोजना को दो चरणों में आरंभ किया जाएगा । 2.4 मिलियन टी ई यू की प्रहस्तन क्षमता के साथ पहला चरण (वित्तीय समापन एवं पूर्ववर्ती शर्तों के पूर्ण हो जाने के बाद) कार्य सौंपे जाने की तारीख से तीन वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा, तथा दूसरा चरण कार्य सौंपे जाने की तारीख से आठ वर्षों के अंदर प्रारंभ हो जाएगा ।

पत्तन ने डीबीएफओटी आधार पर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वैश्विक निविदा सूचना के माध्यम से बोलियाँ आमंत्रित की थीं । मे. पी एस ए भारत इनवेस्टमेंट प्रा. लि. (पी एस ए, सिंगापुर) ने परियोजना की सकल राजस्व आय में जनेप न्यास को 35.790% की हिस्सेदारी का प्रस्ताव दिया है । जनेप न्यास के न्यासी मंडल ने 26 फरवरी 2014 को हुई बैठक में पीएसए के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा उसी दिन अधिनिर्णय-पत्र जारी कर दिया गया । छूट करार पर 6 मई 2014 को हस्ताक्षर हुए । वित्तीय समापन की शर्त के पूरा हो जाने के बाद 22.12.2014 को छूट करार सौंपा गया । पहले चरण का विकास कार्य चल रहा है । चरण-। के लिए आवश्यक निकर्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । अप्रैल, 2016 से पाइलिंग का कार्य आरंभ हुआ था जो लगभग पूरा हो चुका है और दिसम्बर, 2017 से परियोजना के पहले चरण के आरंभ होने की संभावना है ।

1. EXTENSION OF CONTAINER BERTH AND OTHER FACILITIES AT JN PORT :

In view of the expected growth in container traffic, the Port had entered into Concession Agreement with the SPV Company of M/s DP World (Nhava Sheva (India) Gateway Terminal Pvt. Ltd.) on 19th June 2013 for developing a standalone container handling facility with a quay length of 330 m towards the North on DBFOT basis. M/s DP World Pvt. Ltd. had quoted a revenue share of 28.09%. The estimated capacity addition shall be about 9.6 million tonnes (i.e. 0.8 million TEUs) per annum. The Port has appointed M/s. CES as the Independent Engineer for the Project. The concession was awarded on 03.07.2014 with construction period of 2 years. The project has been successfully completed and the facility has been commissioned in July, 2016 after successful trial operations in previous year.

2. DEVELOPMENT OF FOURTH CONTAINER TERMINAL AT JN PORT

It is envisaged from various studies that the Port would be required to handle container traffic to the tune of 10 million TEUs in the year 2018-19. In order to handle the additional traffic volume, further Terminal facility will be required. In view of this, JNPT has decided to develop Fourth Container Terminal on DBFOT basis.

The project consists of construction of 2 Km. long berth with back-up facilities to handle 4.8 million TEUs containerised cargo. The project will be taken up in two phases. The 1st phase will be completed in three years from the date of award (After financial closure and fulfilment of conditions precedent) with a handling capacity of 2.4 million TEUs, and the 2nd phase will be commissioned within eight years from the date of award.

The Port has invited bids through Global Tender Notice for the project on DBFOT basis. M/s. PSA Bharat Investments Pte. Ltd. (PSA, Singapore) has offered 35.790% of the Gross Revenue income to JNPT. The Board of Trustees of JNPT, in its meeting held on 26th Feb 2014, has accepted the offer of PSA and the Letter of Award (LOA) was issued on the same day. The Concession Agreement is signed on 6th May 2014. The concession was awarded on 22.12.2014 after fulfillment of condition of financial closure. The work of Phase-I development is in progress. The dredging required for Phase-I is completed. The total reclamation of 90 hectares of land for Phase-I is completed. The piling work has commenced from April, 2016 and substantially completed and Phase-I of the project is likely to go on stream from December, 2017.

3. जनेप न्यास में अतिरिक्त द्रव टर्मिनल का विकास:

बढ़ते द्रव कार्गो यातायात की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए पत्तन ने डीबीएफओटी आधार पर अतिरिक्त द्रव कार्गो घाट का विकास करने का निर्णय लिया था । पत्तन ने मेसर्स एल एण्ड टी रामबोल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जिन्होंने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं मुख्य योजना प्रस्तुत की थी । यह परियोजना डीबीएफओटी आधार पर कार्यान्वित की जाएगी । पत्तन ने मेसर्स राइट्स लि. को लेन-देन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया है । पत्तन को सात एजेन्सियों से 11 नवम्बर. 2013 को योग्यता हेतु अनुरोध प्राप्त हुए । पीपीपीएसी ने कैबिनेट समिति की सिफारिश के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ।

इसी बीच, पोत परिवहन मंत्रालय ने वर्तमान परिदृश्य में यातायात की संभावना को ध्यान में रखते हुए परियोजना को फिर से तैयार करने का निदेश दिया । वर्तमान परिदृश्य में सलाहकार द्वारा समीक्षित यातायात पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर पत्तन ने 6 घाटों के बजाय 2 घाटों को विकसित करते हुए परियोजना को फिर से तैयार करने का निर्णय लिया । योग्यता हेतु अनुरोध 25.09.2015 को वैश्विक विज्ञापन द्वारा मंगाए गए तथा 20.10.2015 को आवेदन पूर्व सम्मेलन हुआ । पाँच आवेदकों ने 14.12.2015 को योग्यता हेतु अनुरोध प्रस्तुत किए और सभी पाँच योग्य पाए गए । इन पाँच बोली लगाने वालों में से केवल दो यथा - मेसर्स अदानी पोर्ट्स एन्ड एसईजेड लि. तथा मेसर्स केमीटेक डीएमसीसी के साथ संघ रूप से मेसर्स आईएमसी लिमिटेड ने ही योगयता हेतु अनुरोध दस्तावेज का मूल्य अदा करके दस्तावेज प्राप्त किया । मेसर्स आईएमसी के संयुक्त उद्यम के भागीदार के पास सुरक्षा अनुमति न होने के कारण योग्यता हेतु अनुरोध के लिए बोली प्रस्तुत करने की तारीख 10.05.2016 तक बढ़ा दी गई । किन्तु, नियत तारीख तक कोई बोलियाँ नहीं प्राप्त हुईं ।

4. अवसंरचना आरक्षित (टैम्प) :

पोत परिवहन मंत्रालय ने प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत पुनरीक्षित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को नीतिनिर्देश जारी किए हैं । मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार रायल्टी/राजस्व का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा पत्तन की बुनियादी सुविधाओं को तैयार करने एवं उनको आधुनिक बनाने के लिए 5 वर्ष के अंदर निलंब लेखे में रखा जाना चाहिए। तदनुसार पत्तन ने वित्तीय वर्ष 2014-15 तक टैम्प के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन किया है । किन्तु महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों, अर्थात 'महापत्तन न्यासों के प्रशुल्क निर्धारण की नीति, 2015', जो 13 जनवरी, 2015 से प्रभाव में आई, के अनुसार ऐसी राशि प्रथक नियत करना आवश्यक नहीं है । इसलिए वित्त वर्ष 2015-16 से अवसंरचना आरक्षित के लिए कोई विनियोग नहीं किया गया है और 31.03.2015 को अवसंरचना आरक्षित में शेष रु. 1,012.96 करोड़ की राशि वापस सामान्य राजस्व में दर्ज की गई ।

5. जनेप न्यास में सैप (ई आर पी) कार्यान्वयन :

जनेप न्यास ने सॉफ्टवेयर के विकास, एकीकरण एवं पत्तन प्रचालनों के उन्नयन का कार्य रु. 29.65 करोड़ की कुल लागत पर 15 फरवरी, 2014 को मे. सी एम सी लिमिटेड (अब टीसीएस) को सौंपा था ।

3. DEVELOPMENT OF ADDITIONAL LIQUID TERMINAL AT JNPT

In order to cater the increased liquid cargo traffic, the Port had decided to develop an Additional Liquid Cargo Terminal on DBFOT basis. The Port had appointed M/s.L&T Ramboll as the Consultant, who have submitted the DPR and the Master Plan. The project will be implemented on DBFOT basis. The Port had appointed M/s. RITES Ltd. as the Transaction Advisor. The Port had received RFQs from seven agencies on 11th Nov. 2013. The PPPAC had cleared the proposal for recommendation of the Cabinet Committee.

In meantime, MOS has directed to restructure the project taking into consideration of the present scenario of traffic potential. In view of the reviewed traffic forecast by the consultant at present scenario, the Port has decided to restructure the project by developing 2 berths instead of 6 berths. The RFQ was invited by Global Press Advertisement on 25.09.2015. Pre-application conference was held on 20.10.2015. Five applicants submitted RFQ on 14.12.2015. All five bidders were pre-qualified. Out of five bidders, only two bidders namely M/s.Adani Ports and.SEZ Ltd. and M/s.IMC Ltd. in consortium with M/s.Chemie Tech DMCC collected RFP document by remitting the cost of RFP document. The bid due date of the RFP was extended upto 10.05.2016 for want of security clearance of the consortium member of M/s.IMC Ltd. However, on due date no bids were received for the same.

4. INFRASTRUCTURE RESERVE (TAMP)

The Ministry of Shipping, Road Transport and Highways had issued a policy direction to TAMP under section 111 of the MPT Act on revised guidelines for tariff fixation. As per the guidelines at least 50% of the royalty/revenue share should be maintained in an escrow account, for the purpose of creation and or modernization of Port infrastructure facilities within a period of five years. Accordingly Port has complied with the TAMP guidelines until financial year 2014-15. However, the new guidelines i.e."Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts 2015"issued by TAMP which came into effect from 13th January, 2015 are not mandating on setting aside such amount. Hence, from FY 2015-16 onwards no such appropriation has been carried out towards Infrastructure Reserve and the balance in Infrastructure Reserve as on 31.03.2015 i.e. Rs.1,012.96 Crs has been written back to General Reserves.

5. SAP (ERP) IMPLEMENTATION AT JNPT

JNPT awarded the work of Software Development, Integration & Upgrade of Port Operations to M/s.CMC Limited (now TCS) at a total cost of Rs.29.65 Crs. on 15th February, 2014.

मे. सी एम सी लिमिटेड ने अपना कार्य 13 मार्च 2014 को प्रारंभ किया। मे. सी एम सी लिमिटेड (अब टीसीएस) सैप - जिसका अर्थ है सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोडक्टस इन डाटा प्रोसेसिंग (एक अग्रणी उद्यम संसाधन योजना) को कार्यान्वित करेगी ।

मे. सी एम सी लिमिटेड जनेप न्यास में सैप का कार्यान्वयन आवश्यक सर्वरों, स्टोरेज, नेटवर्क के साथ करेंगे तथा एक आधुनिकतम डेटा सेंटर भी बनाएंगे । इससे नेविस टर्मिनल प्रचालन प्रणाली (टी ओ एस) के अलावा सभी मौजूदा एप्लीकेशनों के लिए एक साझा मंच पर एकीकृत समाधान तैयार हो सकेगा ।

जनेप न्यास ने परियोजना की नियमित निगरानी के लिए उच्च प्रबंधन स्तर पर संचालन समिति गठित की है एवं सूचना प्रद्योगिकी के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना के साथ मौजूदा प्रक्रिया के मापन हेतु सभी विभागों/अनुभागों के प्रक्रिया विशेषज्ञों की सहायता द्वारा एक आधारिक (कोर) टीम बनाई है ।

सैप ई आर पी कार्यांवयन के तहत मॉड्यूल :

- वित्तीय एवं प्रबंधन लेखाकरण
- सम्पदा प्रबंधन
- लोक सेवा प्रापण
- प्रापण वस्तुसूची एवं गुणवत्ता प्रबंधन
- मानव संसाधन / वेतन चिट्ठा / कर्मचारी स्वयं सेवाएं
- उद्यमिता शिक्षा
- परियोजना प्रणालियां
- परियोजना प्रबंधन
- सैप रोगी देखभाल (रोगी प्रबंधन प्रणाली)
- सैप जी आर सी - प्रवेश नियंत्रण
- दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली

सैप के साथ तृतीय पक्ष एप्लीकेशन मॉड्यूल एकीकरण

- ग्रंथालय प्रबंधन प्रणाली
- आगंतुक प्रबंधन प्रणाली

मौजूदा नेविस टी ओ एस, जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली, पत्तन समुदायक प्रणाली, कर्मचारी अभिलेखों, मंडल प्रकोष्ठ दस्तावेजों / वित्तीय वाउचरों का डाटा डिजिटलीकरण के साथ एकीकरण तथा दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली (डी एम एस) के माध्यम से उन तक पहुंच को सुगम बनाना ।

M/s.CMC Limited started their work from 13th March, 2014. M/s.CMC Limited (now TCS) will be implementing SAP (one of the leading Enterprise Resource Planning) stands for System, Application, Products in Data Processing.

M/s.CMC Limited (now TCS) will be implementing SAP at JNPT along with required servers, storage, network and also making state of the art Data Centre. This will enable integrated solution for all the existing application on a common platform, other than NAVIS Terminal Operating System (TOS).

JNPT constituted Steering Committee for regular monitoring of the project at Senior Management Level and constituted Core Team assisted by Process Champions of all the departments/sections for mapping the existing process with Business Process Reengineering to optimise the IT resources.

Modules under SAP ERP implementation are:

- Financial & Management accounting
- Real Estate Management
- Public Service Procurement
- Procurement Inventory & Quality Management
- Human Resource / Payroll / Employee Self services
- Enterprise Learning
- Project Systems
- Maintenance Management
- SAP Patient Care (patient management system)
- SAP GRC – Access Control
- Document Management System

Third Party application module integration with SAP :

- Library Management System
- Visitor Management System

Integration with existing Navis TOS, Vessel Traffic Management System, Port Community System, Data Digitization for Employee Records, Board Cell documents / Finance vouchers and facilitate to access them through Document Management System (DMS).

सैप कार्यान्वयन की स्थिति का संक्षप्ति विवरण :

निर्धारित समय सारणी के अनुसार सैप का पुनः गो लाइव दि. 12 अप्रैल, 2016 को पूरा हो चुका था तथा दि. 13 अप्रैल, 2016 को सैप एप्लीकेशन उपयोग के लिए जारी किया गया था । सैप कार्यान्वयन के भाग के रूप में निम्नलिखित मोड्यूल क्रियान्वित किए गए हैं :

- सामग्री प्रबंधन
- वित्तीय लेखांकन तथा नियंत्रण
- रोगी प्रबंधन प्रणाली
- परियोजना प्रणाली
- बिक्री तथा वितरण (बिलिंग)
- मानव संसाधन तथा वेतन चिट्ठा
- संयंत्र अनुरक्षण
- सम्पदा
- ग्रंथालय प्रबंधन
- नौका प्रबंधन
- आगंतुक प्रबंधन

फाइल प्रबंधन तथा दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली

कंटेनर टर्मिनल पारी कार्यालय, आईसीडी, योजना, पत्तन नियंत्रण तथा तरल कार्गो कार्यालयों में लॉग बुकों में प्रविष्टियाँ करने के लिए वेब इंटरफेस मौड्यूल विकसित किया गया है ।

ज.ने.प. न्यास ने दि. 15 फरवरी, 2017 से सैप में प्रविष्टियाँ करना शुरू किया है । वर्तमान में सभी प्रकार के भुगतान जैसे विक्रताओं को भुगतान, ग्राहकों से प्राप्तियां सैप के माध्यम से की जा रही है । मई, 2017 तक वेतन चिट्ठा की प्रक्रिया को क्रियान्वित करने की योजना है ।

6. जनेप न्यास में पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास

परिचय :

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र देश के किसी महापत्तन में बनने वाला इस प्रकार का पहला विशेष आर्थकि क्षेत्र है और राज्यमार्गों को कार्गो टर्मिनल से जोड़नेवाले पनवेल-उरण मार्ग पर 277.38 हैक्टेयर पर इसका विकास किया जाएगा ।

यह क्षेत्र नवी मुंबई से 15 कि.मी. तथा मुंबई से लगभग 40 कि.मी. दूरी पर स्थित है । यह स्थान पत्तन से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 4-ख तथा राज्यमार्ग 54 पर स्थित है और इन मार्गों को अब 6/8 लेन का बनाया जा रहा है ।

Brief on SAP Implementation Status

As per the schedule, Re Go Live of SAP was completed on 12th April 2016 and the SAP application released for use on 13th April 2016. Following modules are implemented as part of SAP implementation.

- Material Management
- FICO
- Patient Management System
- Project Systems
- Sales & Distribution (Billing)
- HR & Payroll
- Plant Maintenance
- Real Estate
- Library Management
- Launch Management
- Visitor Management
- File Management & Document Management System

Web Interface module has been developed for making entries of log books at CT Shift Office, ICD, Planning, Port Control and Liquid Cargo.

JNPT started making entries in SAP wef 15th Feb 2017. Presently all the transactions such as Payments to Vendors, Receipts from Customers are being processed through SAP. It is planned to Go Live with Pay Roll in May 2017.

6. DEVELOPMENT OF PORT BASED SPECIAL ECONOMIC ZONE IN JNPT

Introduction :

The proposed Special Economic Zone at Jawaharlal Nehru Port is the first-of-its-kind at a major port complex in the country, and would be developed on 277.38 hectares of land along the Panvel-Uran road connecting the cargo terminals to state highways.

The site is around 15 km from Navi Mumbai and around 40 km from Mumbai city. The site is located along the NH 4B and SH 54 connecting to the port and the roads are currently being expanded to 6/8 lanes.

प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र का तथ्य पत्रक

परियोजना प्रस्तावक	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास
परियोजना की अवस्थिति	न्हावा शेवा, ता. उरण, महाराष्ट्र
सीमांकित परियोजना क्षेत्र	277.38 हेक्टेयर
पहुँच मार्ग	मुंबई-गोवा राजमार्ग - रा.रा.4-ख तथा राज्यमार्ग 54 (पत्तन मार्ग) से सीधा प्रवेश
परियोजना के मुख्य विकास घटक	• प्रसंस्करण क्षेत्र (200.25 हेक्टेयर) • गैर-प्रसंस्करण क्षेत्र (77.13 हेक्टेयर)
नियोजित उद्योग तथा क्षेत्रों का प्रकार	• मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र • अभियांत्रिकी सामान क्षेत्र • इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर क्षेत्र • अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र • बहुसेवा (सूचना तकनीक तथा स्वास्थ्य) क्षेत्र • परिधान एवं वस्त्र क्षेत्र
राज्य के प्रमुख विकास केंद्रों/नोड से दूरी	• जनेप न्यास (पत्तन प्रचालन क्षेत्र) - 4 कि.मी. • मुंबई - 60 कि.मी. • नवी मुंबई - 15 कि.मी. • पुणे - 150 कि.मी.
विकास का तरीका	अभियांत्रिकी, प्रापण, निर्माण (ईपीसी) तरीका
कुल अपेक्षित निवेश	4000 करोड़ रुपयों का सार्वजनिक तथा निजी निवेश
परिकल्पित कुल रोजगार निर्माण	प्रत्यक्ष रोजगार : 3000-4000 कर्मचारी अप्रत्यक्ष रोजगार : 1.25 लाख

परियोजना के मुख्य उद्देश्य

पत्तन के आयात-निर्यात व्यापार को बढ़ाने में सहायता करने के अलावा प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र एक संपोषणीय सामाजिक ढाँचे की परिकल्पना भी करता है । परियोजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाएगा -

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के लगभग 1.5 लाख अवसर पैदा करना

- व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुशल श्रमशक्ति का विकास करना
- उद्यमशीलता के अवसर बढ़ाना
- विश्वस्तरीय औद्योगिक बुनियादी संरचना का निर्माण करना
- उत्कृष्ट आवसीय क्षेत्र उपलब्ध कराना

Fact Sheet of the Proposed Special Economic Zone

Project proponent	Jawaharlal Nehru Port Trust
Project Location	Nhava Sheva, Taluka Uran, Maharashtra
Demarcated Project Area	277.38 hectares
Approach Road	Direct access by Mumbai Goa Highway- NH4B and SH 54 (Port Road)
Key Development Components of the Project	• Processing Zone (200.25 Ha) • Non Processing Zone (77.13 Ha)
Type of Industries and Sectors planned	• Free Trade Warehousing Zone • Engineering Goods Sector • Electronics and Hardware Sector • Non-Conventional Energy Sector • Multi Services (IT and Healthcare) Sector • Apparel and Textiles Sector
Distance from Major Growth Centre/ nodes of the State	• JNPT (Port Operations Area)- 4 km • Mumbai - 60 km • Navi Mumbai- 15 km • Pune - 150 km
Mode of Development	Engineering Procurement Construction (EPC) mode
Total Expected Investment	Public & Private investment of INR 4,000 Crore
Total Employment Generation envisaged	Direct Employment: 3,000-4,000 employees Indirect Employment: 1.25 lac

Key Objectives of the Project

Besides aiding the Port's EXIM trade enhancement, the proposed Special Economic Zone also envisages a sustainable social framework. The project implementation shall be aimed to:

Generate direct and indirect Employment opportunities to the tune of around 1.5 lacs

- Nurture Skilled manpower to boost the trade
- Enhance Entrepreneurial opportunities
- Create World class industrial infrastructure
- Provide Premium residential neighborhood

परिकल्पित परियोजना विकास की अवधारणा

इस प्रस्तावित विकास की परिकल्पना भारत के विकासशील क्षेत्रों, जैसे परिवहन, अभियांत्रिकी सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान एवं वस्त्र तथा अन्य बहुसेवा क्षेत्रों में सहयोग पर जोर देते हुए एक पत्तन आधारित बहुउत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्मित करने के लिए की गई है । इस प्रस्तावित औद्योगिक बुनियादी संरचना को स्वतः पोषित एकीकृत विकास के रूप में विकसित करने की योजना है ।

क्षेत्र का नाम	प्रमुख क्षेत्र
अभियांत्रिकी समूह	• भारी अभियांत्रिकी तथा मशीन औजार, टेक्सटाइल मशीनरी, सीमेंट मशीनरी, सामग्री प्रहस्तन उपस्कर • वाहन - यात्री तथा उपयोगिता वाहन, वाहनों के पुर्जे, कृषि मशीनरी
वस्त्र तथा परिधान	संसाधित कपड़ों की सिलाई का (वस्त्र/परिधान) केंद्र
इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण	• उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक - मोबाइल फोन, टी.वी. म्यूजिक सिस्टम • औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण - यूपीएस सिस्टम, एससीएडीए, पीएलसी, एसी, ड्राइव सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक घटक-सेमिकंडक्टर, सीआरटी, कैपेसिटर, पिक्चर ट्यूब
गैर-नवीकरणीय ऊर्जा	• गैर-नवीकरणीय ऊर्जा - जल, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सह-उत्पादन, जैव ऊर्जा
एफटीडब्ल्यूज़ेड्/ परिवहन केंद्र	• अं.कं.डिपो/कं.व. स्थानक (मल्टीमोडल गोदाम तथा पत्तन आधारित भण्डारण टैंक फार्म) नौवहन प्रचालन, पत्तन विकास परियोजनाएं, निकर्षण, पाइलटेज तथा नौकर्षण, हमाली, जहाज की मरम्मत
बहुसेवाएं/सूचना तकनीक आधारित सेवाएँ/ स्वास्थ्य	• सूचना तकनीक सेवाएं तथा सॉफ्टवेयर- आईटी आउट सोर्सिंग तथा तैयार सॉफ्टवेयर • हार्डवेयर - बाह्य उपकरण तथा नेटवर्किंग उपस्कर • चिकित्सा सेवा प्रदाता - औषध विशेषज्ञ क्लिनिक, परिचर्यागृह तथा अस्पताल, चिकित्सा पर्यटन, संविदा अनुसंधान संगठन • निदान सेवाएं - शारीरिक द्रवों के विश्लेषण सहित विश्लेषणात्मक या नैदानिक सेवाएं देने वाले व्यवसाय या प्रयोगशालाएँ • चिकित्सा बीमा सेवाएं - व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा तथा संरक्षण • बीमार पड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती होने के खर्चे तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति सेवा

Envisaged Project Development Concept

The proposed development is envisaged to be a **Port Based Multiproduct Special Economic Zone,** with a focus on **collaborating upcoming sectors of India** such as Logistics, Engineering Goods, Electronics, Apparels and Textiles and Multi Services Sector among others. The proposed industrial infrastructure is planned as a **Self-Sustainable Integrated Development.**

Sector Profile	Key Focus Area
Engineering cluster	• Heavy engineering and machine tools-Machine tools, textile machinery, cement machinery, material handling equipment • Automotives - Passenger and utility vehicles. auto components, agriculture machinery
Textile and Apparel	• Stitching (Garment/apparel) assembly of processed fabric
Electronic Manufacturing	• Consumer Electronics-Mobile phones, TVs, Music system • Industrial Electronics- UPS system, SCADA, PLC, AC Drive system , Electronic Components-Semiconductors, CRTs, Capacitors, Picture Tubes
Non-Renewal Energy	• Renewable energy-Hydro, Wind energy, Solar, Co-generation, Bio-energy
FTWZ / Logistics Centre	• ICD/CFS (Multimodal Warehouse and port based warehousing Tank farms), Shipping operation, Port development projects, Dredging, pilot age and towing, stevedoring, ship repair
Multi Services / ITES/ Health Care	• IT services and software - IT outsourcing and packaged software • Hardware-Peripherals and Networking equipments • Medical care providers-Physicians specialist clinics, nursing homes and hospitals, Medical tourism, Contract research organisations • Diagnostics Services-Business and laboratories offering analytic or diagnostic services including body fluid analysis • Medical Insurance Services-Health insurance and covers an individual's • hospitalization expenses and medical reimbursement facility incurred due to sickness

परियोजना की प्रगति

वास्तविक प्रगति तथा पूरी की गई मुख्य गतिविधियाँ (जनवरी, 2017 तक)

गतिविधि	गतिविधि आरंभ होने की तारीख	अब तक की स्थिति
प्रस्तावित स्थल का सीमांकन करने के लिए स्थल सर्वेक्षण	अक्तूबर, 2013	अंतिम सीमा निर्धारित की गई है तथा उसे मंजूरी मिली है ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र को औपचारिक अनुमोदन	जुलाई, 2014	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से दि. 11 अगस्त, 2014 को औपचारिक अनुमोदन प्राप्त हुआ है ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना की अधिसूचना	अगस्त, 2014	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा दि. 11 अगस्त, 2014 को परियोजना को अधिसूचित किया गया है ।
पर्यावरण मंजूरी	दिसम्बर, 2014	एसईएसी द्वारा दि. 5 दिसम्बर, 2014 को पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त हुई है ।
चारदीवारी का निर्माण	जुलाई, 2015	लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है ।
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से भूमि पट्टा दर को अनुमोदन	जनवरी, 2016	महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने जून, 2016 में रु. 4000 प्रति वर्ग मीटर दर के अग्रिम भुगतान से 30 साल के लिए भूमि पट्टे के लिए मंजूरी दे दी है ।
जनेप न्यास के विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट अधिकारी की नियुक्ति	फरवरी, 2016	दि. 17 फरवरी, 2016 को किए गए अनुरोध की प्रतिक्रिया में विनिर्दिष्ट अधिकारी की नियुक्ति की गई है ।
जनेप न्यास के विशेष आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी संरचनाओं का विकास करने के लिए होने वाले व्यय के संबंध में स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन	अगस्त, 2016	मंत्रालय द्वारा सितम्बर, 2015 में विशेष आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी संरचना का विकास करने के लिए रु. 482 करोड़ के परियोजना व्यय को व्यय वित्त समिति का अनुमोदन दिया गया था ।
पोर्ट कोड का आबंटन	अगस्त, 2016	डीसी कार्यालय से अनुरोध किया है। विनिर्दिष्ट अधिकारी की ओर से एडीसी से अनुरोध किया गया है । मंजूरी की प्रतीक्षा है ।
जनेप न्यास के विशेष आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी संरचनाओं का विकास करने के लिए होने वाले व्यय वित्त समिति का अनुमोदन	अगस्त, 2016	मंत्रालय द्वारा सितम्बर,2016 में विशेष आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी संरचनाओं का विकास करने के लिए होने वाले रु. 565 करोड़ (2 प्रतिशत पीएमसी व्यय सहित) के परियोजना व्यय को स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिया गया था ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र में बुनियादी संरचनाओं का विकास करने के लिए अभियांत्रिकी, प्रापण तथा निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार का चयन	अक्तूबर, 2016	अभियांत्रिकी, प्रापण तथा निर्माण ठेकेदार को अक्तूबर, 2016 में कार्य सौंपा गया है । यह कार्य 24 महीनों में (मानसून अवधि को छोड़ कर) पूरा होने की अपेक्षा है । आधारभूत बुनियादी संरचनाओं के विकास की लागत रु. 476 करोड़ है ।
बंधपत्र तथा कानूनी शपथ पत्र दर्ज करना	नवम्बर, 2016	4 नवम्बर, 2016 को अनुमोदन मिला है ।

Project Progress

On Ground Progress and Key activities completed (upto January, 2017)

Activity	Activity Start Date	Status as on Date
Site survey for marking Boundary of the proposed Site	October 2013	Final boundary earmarked and approved
SEZ Formal Approval	July 2014	Formal Approval granted by the Ministry of Commerce & Industry on 11th August 2014
SEZ Project Notification	August 2014	Project Notified by Ministry of Commerce & Industry on 11th August 2014
Environmental Clearance	December 2014	Environmental Clearance granted by SEAC on 5th December 2014
Construction of Boundary Wall	July 2015	Around 70% of the boundary has been completed
Approval from TAMP for Land Lease Rate	January 2016	TAMP has granted approval in June 2016 for lease of land for 30 years at Upfront Premium of Rs.4000 per m2
Appointment of Specified Officer for JNPT SEZ	February 2016	Specified Officer appointed in response to Request dated 17th February 2016
SFC Approval regarding expenses for basic infrastructure development at JNPT SEZ	August 2016	The EFC approval was granted by the Ministry in September 2015 for project expenses of around Rs. 482 crores for development of basic infrastructure at SEZ.
Allocation of Port Code	August 2016	Requested from DC Office. The request has been forwarded from Specified Officer to ADC. Approval is awaited.
EFC Approval regarding expenses for basic infras tructure development at JNPT SEZ	August 2016	The SFC approval was granted by the Ministry in September 2016 for project expenses of around Rs. 565 crores (including PMC expenses of 2%) for development of basic infrastructure at SEZ.
Selection of EPC Contractor for development of Infrastructure works at SEZ	October 2016	The EPC Contractor has been awarded the work in October 2016. The work is expected to be complete in 24 months (excluding monsoon season) The cost of development of the basic infrastructure is Rs. 476 Crore Only.
Filing of Bond cum Legal Undertaking	November 2016	Approved on 4th November 2016

7. मुंबई-जनेप न्यास पत्तन सड़क कंपनी लि. (एमजेपीआरसीएल) के लिए बाहरी वाणिज्यिक ऋण

जनेप न्यास ने मुंबई-जनेप न्यास पत्तन सड़क कंपनी लि., जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास को जोड़ने वाली वर्तमान सड़कों को 6/8 लेन का बनाने के लिए एक विशेष उद्देश्य कंपनी है, को देने के लिए 400 मिलियन अमरीकी डालर का बाहरी वाणिज्यिक ऋण लिया है ।

बाहरी वाणिज्यिक ऋण को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, हिस्सा 'क' एसबीआई, हाँगकाँग से 300 मिलियन अमरीकी डालर 6 महीने के एलआईबीएआर परिवर्तनीय ब्याज दर + 1.7309 प्रतिशत से प्राप्त होगा तथा हिस्सा 'ख' डीबीएस, सिंगापुर से 100 मिलियन अमरीकी डालर 6 महीने के एलआईबीओआर परिवर्तनीय ब्याज दर + 1.55 प्रतिशत + विथहोल्डिंग कर से आएगा । जनेप न्यास तथा ऋणदाता बैंकों (जैसे एसबीआई तथा डीबीएस) के बीच दि. 12.08.2016 को सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए । ब्याज दर विनिमय का पूर्ण अवधि के लिए बचाव किया गया है । हमने 31 मार्च, 2017 तक दो हिस्सों में कुल 79.495 मिलियन अमरीकी डालर अर्थात रु. 534.64 करोड़ प्राप्त किए हैं तथा शेष 320.505 मिलियन अमरीकी डालर असमान तिमाही किस्तों में जुलाई, 2018 तक प्राप्त होंगे । मुंबई-जनेप न्यास पत्तन सड़क कंपनी लिमिटेड के साथ दि. 5 मई, 2017 को ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

8. भारतीय पत्तन रेल निगम लि. में निवेश

पोत-परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित 'भारतीय पत्तन रेल निगम लि' नामक नई कंपनी का पंजीकरण पत्तन रेल प्रणाली तथा महापत्तनों तक के सम्पर्क के प्रबंधन तथा देखभाल के लिए किया जाएगा । पोत-परिवहन मंत्रालय ने अपने दि. 21 अप्रैल, 2015 के पत्र सं. ओएम28025/2/2014 तथा दि. 17 जून, 2015 के पत्र सं. पीडी-24015/56/2015-पीडी-4 द्वारा जनेप न्यास को इस नई कंपनी को रु.10.8 करोड़ की इक्विटी प्रदान करने तथा बाद में कोचीन पत्तन न्यास के शेयरों का अधिग्रहण करके इस नई कंपनी में रु. 15.30 करोड़ का कुल निवेश करने का निदेश दिया था । तदनुसार, जनेप न्यास ने भारतीय पत्तन रेल निगम लि. की इक्विटी में रु. 15.30 करोड़ की कुल राशि का निवेश किया है ।

9. आयकर संबंधी मामले

निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर विवरणी वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के अंदर प्रस्तुत कर दी गई है ।

निर्धारण वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2005-06 के आयकर मामलों के संबंध में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हुई हैं ।दि. 01/04/2002 के पूर्व महापत्तनों को स्थानीय प्राधिकरण होने के नाते आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार आयकर से छूट दी गई थी । वित्तीय अधिनियम, 2002 द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार दि. 01/04/2002 से महापत्तन कर योग्य इकाई बन गए । धारा 11 के तहत छूट के लाभ का दावा करने के लिए जनेप न्यास ने फरवरी, 2006 में निर्धारण वर्ष 2003-04 से धारा 12 एए के तहत चैरीटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था । सितम्बर, 2007 में जनेप न्यास को निर्धारण वर्ष 2003-04 के बजाए निर्धारण वर्ष 2006-07 से धारा 12 एए के तहत चैरीटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण प्रदान किया गया था । धारा 12 एए के तहत निर्धारण वर्ष 2003-04 से पंजीकरण न दिए जाने को जनेप न्यास द्वारा विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के सामने चुनौती दी गई थी तथा आखिरकार जून, 2008 में पत्तन को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण प्रदान किया गया । इसके अनुसार धारा 11 के तहत छूट का दावा तत्कालीन निर्धारण वर्षों के लिए चल रही अपीलों में किया गया था । दिसम्बर, 2015 में आयकर विभाग ने जनेप न्यास को धारा 11 के तहत वर्ष 2003-04 से छूट देने का आदेश पारित किया । इसके परिणामस्वरूप तथा दृढ़ अनुवर्तन के बाद जनेप न्यास को अक्तूबर,

7. EXTERNAL COMMERCIAL BORROWINGS FOR ON-LENDING TO MJPRCL

JNPT has availed External Commercial Borrowings (ECB) of USD 400 Million for On-lending to the Mumbai JNPT Port Road Company Limited (MJPRCL), a special purpose vehicle created for implementation of road widening project comprising 6/8 laning of existing road connectivity to the Jawaharlal Nehru Port.

ECB is split into Tranche A from SBI, Hong Kong for USD 300 Million at Floating Interest Rate of 6 Month LIBOR + 1.7309% and Tranche B from DBS, Singapore for USD 100 Million at Floating Interest Rate of 6 Month LIBOR + 1.55% + withholding tax respectively. Facility agreement has been signed on 12.08.2016 between JNPT and the Lenders Bank (i.e. SBI & DBS). IRS has been hedged for full tenure of the loan. We have availed 2 drawdowns till 31st March 2017 for aggregate amount of USD 79.495 Million amounting to Rs.534.64 Crs and remaining USD 320.505 Million is receivable in unequal quarterly installments upto July, 2018. Loan agreement has been signed with MJPRCL on 5th May, 2017.

8. INVESTMENT IN INDIAN PORT RAIL CORPORATION LIMITED

A new company promoted by Ministry of Shipping under the nomenclature 'Indian Port Rail Corporation Limited' is to be registered to manage and maintain port railway system and last mile connectivity of Major Ports. The Ministry of Shipping vide its letter no. OM28025/2/2014 dated 21st April, 2015 and letter no. PD-24015/56/2015-PD-4 dated 17th June, 2015 has directed JNPT to provide equity of Rs.10.8 Crs. towards the company to be floated and subsequently takeover the shares of Cochin Port Trust to make a total investment of Rs.15.30 Crs. in the new company. Accordingly, JNPT has invested a total amount of Rs.15.30 Crs. in equity of 'Indian Port Rail Corporation Ltd'.

9. INCOME TAX RELATED MATTERS

Income Tax Return for assessment year 2016-17 has been filed within the prescribed date during the year.

During the year there has been a major development in respect of income tax matter for AY 2003-04 to AY 2005-06. Prior to 01-04-2002, Major Ports being a 'Local Authority' were exempted from income tax as per the provisions of section 10 of the Income Tax Act, 1961. The Major Ports became taxable entity with effect from 01-04-2002, pursuant to amendment brought in by the Finance Act, 2002. JNPT applied for registration u/s 12AA as a Charitable Trust from AY 2003-04 onwards in February, 2006 for claiming benefit of exemption u/s 11. In September 2007, JNPT was granted registration u/s.12AA as a Charitable Trust w.e.f AY 2006-07 instead of AY 2003-04. Non-granting of registration u/s 12AA w.e.f. from AY 2003-04 was contested by JNPT before various Appellate Authorities and finally registration u/s.12AA was granted to the Port in June, 2008. Pursuant to this, claim for exemption u/s. 11 was pressed in the on-going appeals for the erstwhile assessment years. In December 2015, IT Department passed order granting exemption u/s 11 to JNPT w.e.f. 2003-04. As a result of that and after rigorous follow up, JNPT received IT refunds amounting to Rs.313.40 Crores in

2016 में रु. 120.94 करोड़ के ब्याज सहित निर्धारण वर्ष 2003-04 से 2005-06 की अवधि के लिए रु. 313.40 करोड़ की आयकर राशि वापस मिल गई ।

विभिन्न वर्षों के लिए आयकर निर्धारण स्थिति संक्षिप्त रुप से नीचे दी गई है :।

निर्धारण वर्ष	विवरण
निर्धारण वर्ष 2003-04 से निर्धारण वर्ष 2005-06	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंम्बई ने दिनांक 30/09/2010 के आदेश द्वारा निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरुप कर में छूट की पात्रता का गुणदोष के आधार पर परीक्षण करने का निदेश दिया था । तथापि, निर्धारण अधिकारी ने माननीय आयकर अपील अधिकरण द्वारा जारी निदेशों पर ध्यान न देते हुए नए सिरे से निर्धारण किया । जनेप न्यास ने उक्त आदेश के विरुध्द आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की थी । मामले के जल्दी निपटान के लिए मुख्य आयकर आयुक्त, ठाणे के पास जल्द सुनवाई याचिका भी दायर की गई थी । उसके बाद मामले को खासकर पिछले निर्धारण वर्ष की सुनवाई के लिए आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के पास स्थानांतरित कर दिया गया । आयकर आयुक्त (अपील) ने दि. 21.12.2015 को धारा 12एए के तहत पंजीकरण के परिणाम स्वरूप पत्तन को धारा 11 के तहत कर में छूट देने संबंधी आदेश जारी किया । आयकर आयुक्त (अपील) के आदेशों, जिनके कारण पत्तन को काफी राशि वापिस मिल सकती थी; को प्रभावी बनाने के लिए विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल के पास इस मामले के संबंध में नियमित पत्राचार किया गया था । लेकिन विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने पत्तन का मामला अचानक ही विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे के पास स्थानांतरित कर दिया और पत्तन को इस स्थानांतरण के विरुद्ध अपनी बात रखने का अवसर भी नहीं दिया । इस स्थानांतरण से नुकसान होने के कारण पत्तन ने मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जिस पर 06/05/2016 को पहली सुनवाई होनी थी । मामले पर सुनवाई हुई तथा इसे 15/6/2016 तक स्थगित कर दिया गया । इस मामले में बाद में सुनवाईयां हुई तथा आयकर विभाग द्वारा यह दावा करते हुए शपथ पत्र दायर किया कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा पुणे में आयकर आयुक्त (छूट) का नया कार्यालय खोले जाने के कारण मामले का स्थानांतरण किया गया था । वे इस बात के लिए भी सहमत थे कि रिट याचिका पर निर्णय होने के तुरंत बाद आयकर आयुक्त, (अपील) औरंगाबाद के आदेश को प्रभावी किया जाएगा । तदनुसार पत्तन ने अपनी रिट याचिका वापस ले ली । आयकर आयुक्त (छूट), पुणे ने आदेश पारित किया तथा जनेप न्यास को अक्तूबर, 2016 में रु. 313.40 करोड़ राशि वापस कर दी । कुछ मुद्दों पर निर्णय लेने की आवश्यकता थी इसलिए इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के पास अपील फिर से दायर की ।
निर्धारण वर्ष 2006-07 से निर्धारण वर्ष 2007-08	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश द्वारा उक्त निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरुप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के

October 2016 for the period AY 2003-04 to 2005-06 including interest component of Rs.120.94 Crs.

The income tax assessment status for the various years is summarized as below:

Assessment Year	Particulars
AY2003-04 to AY2005-06	The Hon'ble ITAT of Mumbai vide its order dated 30/09/2010 had directed the assessing officer to examine the matter, on merits, for eligibility to tax exemption as a result of the registration u/s. 12AA. However the assessing officer has done de-novo assessment without taking into consid-eration the directions issued by the Hon'ble ITAT. JNPT had filed an appeal with CIT (Appeals), Thane against the said order. Also, an early hearing petition was filed with the CCIT, Thane for early disposal of the case. Thereafter the case was transferred to CIT (Appeals), Aurangabad for hearing specifically for the erstwhile assessment years. The CIT (Appeals) passed order on 21-12-2015 granting tax exemption u/s.11 to the Port as a result of the registration u/s.12AA. The case was regularly followed up with DCIT, Panvel for giving effect to the CIT (Appeals) orders which would result in considerable refunds to the Port. However, the DCIT, Panvel abruptly transferred the Port's case records to DCIT (Exemptions), Pune without giving an opportunity to the Port for presenting its argument against the transfer. Aggrieved by this the Port has filed a writ petition with Hon'ble Bombay High Court which was listed for admission hearing on 06-05-2016. The case was heard and the matter has been adjourned to 15-06-2016. Further hearings were held in the matter and income tax department filed an affidavit claiming that transfer of case records was as a result of creation of new charge of CIT (Exemptions) Pune by CBDT. They also agreed that order effect of CIT (Appeals), Aurangabad shall be passed immediately after the writ petition is decided upon. Accordingly, the writ petition was withdrawn by the Port. The CIT (Exemp), Pune passed the order effect and refund amounts of Rs.313.40 Crs were issued to JNPT in October, 2016. The matter has been further appealed with ITAT, Mumbai on certain issues which need to be decided upon.
AY2006-07 to AY2007-08	The Hon'ble ITAT, Mumbai has vide its order for the said assessment years has directed the assessing officer to re-examine the matter for eligibility of JNPT to tax exemption u/s.11(1) of

	लिए जनेप न्यास की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया । आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के ऊपर उल्लिखित आदेशों के विरुध्द माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की । मा. मुंबई उच्च न्यायालय ने अपने दि. 08/06/2015 के आदेश द्वारा आयकर विभाग की दोनों अपीलों को खारिज कर दिया । बाद में आयकर विभाग ने दोनों वर्षों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की । वर्ष के दौरान मामले पर विभिन्न तारीखों को सुनवाई होनी थी तथा मामला मा. सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है ।
निर्धारण वर्ष 2008-09	माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई ने अपने आदेश द्वारा उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी को धारा 12 एए के तहत पंजीकरण के परिणामस्वरुप आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11(1) के अधीन कर में छूट के लिए जनेप न्यास की पात्रता के मामले की फिर से जाँच करने का निदेश दिया । आयकर विभाग ने इस मामले में आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के ऊपर उल्लिखित आदेशों के विरुध्द माननीय मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की । इसी बीच, आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत विभागीय आयकर आयुक्त, पनवेल ने मामले को पुनः शुरू कर दिया है । विभागीय आयकर आयुक्त ने इसके लिए दि. 15/03/2016 को आदेश जारी किया जिसके विरुद्ध पत्तन ने किए गए संवर्धनों के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील) ठाणे के पास अपील दायर की ।
निर्धारण वर्ष 2009-10	जनेप न्यास ने उपर्युक्त निर्धारण वर्ष में किए गए संवर्धनों के लिए आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुध्द माननीय आयकर अपील अधिकरण, मुंबई के पास अपील दायर की है । पत्तन उक्त निर्धारण वर्षों के लिए अपील के अतिरिक्त आधार दिखाकर धारा 11 के तहत छूट मांगने का प्रयास कर रहा है ।
निर्धारण वर्ष 2010-11 तथा निर्धारण वर्ष 2011-12	जनेप न्यास ने उक्त निर्धारण वर्षो के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुध्द आयकर आयुक्त (अपील), ठाणे के पास अपील दायर की है । उक्त निर्धारण वर्षों की सुनवाई के लिए मामले को आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के पास स्थानांतरित किया गया था । आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा संयुक्त आयकर आयुक्त, पनवेल की ओर से किए गए संवर्धनों की पुष्टि करते हुए आदेश पारित किए थे । पत्तन ने आयकर आयुक्त (अपील), औरंगाबाद के उक्त आदेशों के विरुध्द माननीय आयकर अपील अधिकरण मुंबई के पास अपील दायर की है । पत्तन ने उक्त निर्धारण वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट मांगने की अपील के अतिरिक्त आधार प्रस्तुत किए हैं ।
निर्धारण वर्ष 2012-13	आयकर आयुक्त (अपील), पुणे के पास अपील लम्बित है । दि. 23/01/2017 को आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा मामले पर सुनवाई हुई थी और नीतिगत मामला होने तथा निर्धारित समय सीमा में निपटान किए जाने वाले संवीक्षा मामलों के निपटान में अधिकारी व्यस्त होने के कारण मामले पर अगली सुनवाई, जून, 2017 में होने की संभावना है ।धारा 80आईए के तहत छूट के दावे के मुख्य मुद्दे को निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी थी । जनेप न्यास द्वारा 80आईए के दावे के समर्थन में आवश्यक सभी दस्तावेज, नक्शे, रिपोर्टें आयकर आयुक्त (अपील) के सामने

	The Income Tax Act, 1961 as a result of the registration u/s.12AA. The Income Tax Dept. had filed appeals against the above mentioned orders of ITAT, Mumbai with the Hon'ble Bombay High Court in the said cases. The Hon'ble Bombay High Court has vide its order dated 08-06-2015 dismissed both the appeals of the Income Tax Dept. Further the Income Tax Dept. has filed appeals for both the years with the Hon'ble Supreme Court. The case was listed for hearing on various dates during the year and is pending with Hon'ble Supreme Court.
AY2008-09	The Hon'ble ITAT, Mumbai has vide its order for the said assessment year has directed the assessing officer to re-examine the matter for eligibility of JNPT to tax exemption u/s. 11(1) of The Income Tax Act, 1961 as a result of the registration under s. 12AA. The Income Tax Dept. had filed appeals against the above mentioned orders of ITAT, Mumbai with the Hon'ble Bombay High Court in the said case. In meanwhile the case was re-opened by DCIT, Panvel u/s.148 of the IT Act. The order for the same was passed by DCIT on 15-03-2016 against which the Port has filed an appeal with CIT (Appeals), Thane against the additions made.
AY2009-10	JNPT has preferred appeal with the ITAT, Mumbai against the order passed by CIT (Appeals), Thane for the said assessment year against the additions made. For the said assessment year the Port is also trying to seek exemption u/s.11 by filing additional grounds of appeal.
AY2010-11 & AY2011-12	JNPT have preferred appeals with the CIT (Appeals), Thane against the orders passed by the assessing officer for the said assessment years. The case was transferred to CIT (Appeals), Aurangabad for hearing for the said assessment years. The orders were passed by CIT (Appeals) confirming the additions made by JCIT, Panvel. The Port has filed an appeal with ITAT, Mumbai against the said orders of CIT (Appeals), Aurangabad. For the said assessment years the Port has also filed additional grounds of appeal to seek exemption u/s.11 of the Income Tax Act.
AY 2012-13	The Appeal is pending before CIT (A), Pune. The case was heard on 23-01-2017 by the CIT (A) and the next hearing is likely to be fixed in June, 2017 being policy matter and the officials are busy with closing of time barring scrutiny cases. The major issue involved is claim of exemption u/s.80IA which was not allowed by Assessing Officer. All the necessary documents, maps, reports which are in support to the claim of 80IA by JNPT has been furnished before CIT (A). The

	प्रस्तुत किए थे ।इस अपील के संबंध में निर्णय होने में थोड़ा और समय लगेगा । इस मामले में अगली सुनवाई मई-जून, 2017 में होने की संभावना है ।
निर्धारण वर्ष 2013-14	जनेप न्यास ने उक्त निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के विरुध्द आयकर आयुक्त, ठाणे के पास अपील दायर की है । पत्तन द्वारा आयकर अधिनियम 80 आईए के तहत किया गया कटौती का दावा आयकर विभाग द्वारा खारिज किया गया है जिसके विरुद्ध आयकर आयुक्त (ठाणे) के सामने अपील की गई थी ।
निर्धारण वर्ष 2014-15	मामले को विभागीय आयकर आयुक्त (छूट), पुणे के पास स्थानांतरित किए जाने के विरुद्ध दायर रिट याचिका को पत्तन द्वारा वापिस लेने के बाद निर्धारण कार्यवाही शुरु हुई थी । आवश्यक तथा सहायक दस्तावेज निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किए थे । विभागीय आयकर आयुक्त (छूट) (मुख्यालय), पुणे द्वारा धारा 143(3) के तहत निर्धारण आदेश पारित किया गया था । विभागीय आयकर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आयकर आयुक्त (अपील), पुणे के पास दि. 25/01/17 को अपील दायर की है । इसमें धारा 11 के तहत छूट न देना, धारा 80 आईए के तहत कटौती को अनुमति न देना तथा अन्य मुद्दे शामिल हैं ।
निर्धारण वर्ष 2015-16	धारा 143(2) के तहत जारी नोटिस के जवाब में आवश्यक दस्तावेज आयकर आयुक्त, पुणे को अगस्त, 2016 में प्रस्तुत किए गए थे । इस मामले में अगली सुनवाई मार्च, 2017 में हुई थी । निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक तथा सहायक दस्तावेज तैयार करके प्रस्तुत किए थे । इस संबंध में निर्धारण आदेश की प्रतीक्षा है ।
निर्धारण वर्ष 2016-17	इस वर्ष के लिए आयकर विवरणी दिनांक 30/09/2016 को फाइल की गई

10. कर/अग्रिम कर के लिए प्रावधान

पत्तन ने वर्ष 2017-18 के दौरान ग्राहकों तथा संस्थानों द्वारा काटे गए स्रोत कर सहित रु. 454.16 करोड़ के अग्रिम आयकर का भुगतान किया है । आस्थगित कर सहित रु. 465.41 करोड़ के कर हेतु प्रावधान किया गया है ।

11. अंतिम निपटान के लिए दंड के नोटिस के विरुद्ध एमएसईडीसीएल के लिए रु. 72.85 करोड़ के प्रावधान के लिए भुगतान

- मेसर्स एमएसईडीसीएल से दिसम्बर, 2012 में विद्युत अधिनियम की धारा 126 के तहत रु. 222.95 करोड (जून, 2003 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के लिए) का आकलन बीजक प्राप्त हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि जनेप न्यास ने अपने निर्माण प्रहस्तन हस्तांतरण प्रचालकों को बिजली का अप्राधिकृत वितरण किया है । अनुभाग अभियंता, वाशी ने आरोप लगाया कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार जनेप न्यास द्वारा निर्माण प्रहस्तन हस्तांतरण प्रचालकों को बिजली की आपूर्ति करना अनाधिकृत है तथा जनेप न्यास को रु. 222.95 करोड़ की दंड राशि का भुगतान करने का निदेश दिया । जनेप न्यास ने मा. मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की और न्यायालय ने जनेप न्यास तथा एमएसईडीसीएल दोनों को सौहार्दपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाने का निदेश दिया ।

	outcome of the said appeal will take some more time. Further hearing in this matter is expected to be held in the month of May-June, 2017.
AY 2013-14	JNPT have preferred appeal with the CIT (Appeals), Thane against the orders passed by the assessing officer for the said assessment years. Sec.80IA deduction claimed by Port has been disallowed by the IT Dept. which has been appealed before the CIT (Appeals), Thane.
AY2014-15	JNPT have preferred appeal with the CIT (Appeals), Thane against the orders passed by the assessing officer for the said assessment years. Sec.80IA deduction claimed by Port has been disallowed by the IT Dept. which has been appealed before the CIT (Appeals), Thane.
AY2015-16	The necessary documents have been submitted with DCIT, Pune in August, 2016 in response to notice issued u/s.143 (2). Further hearings have been held in the matter in the month of March, 2017. All supporting and document as asked by the Assessing Officer have been prepared and submitted. The assessment order in this respect is awaited.
AY2016-17	The Income Tax Return for the year has been filed on 30.09.2016

10. PROVISIONS FOR TAX / ADVANCE TAX

The Port has paid advance income tax amounting to Rs.454.16 Crs. including TDS deducted by customers & institutions during the year for A.Y. 2017-18. Provision for tax has been made for Rs.465.41 Crs. including deferred tax.

11. PAYMENT TOWARDS PROVISION OF RS. 72.85 CRS. TO MSEDCL AGAINST THE PENALTY NOTICE FOR FINAL SETTLEMENT

- An assessment bill under section 126 of Electricity Act received from M/s MSEDCL in December 2012 for an amount of Rs. 222.95 Crore (For a period from June 2003 to December-2012) alleging unauthorized distribution of power to the BOT operators by JNPT. SE Vashi alleged that providing power supply to the BOT operators by JNPT is illegal as per EA Act-2003 and directed JNPT to pay a penalty of Rs. 222.95 Crs. JNPT approached Honourable High Court of Bombay and the Court directed both JNPT and MSEDCL to resolve the dispute amicably.

- वर्ष 2015-16 की लेखा बहियों में उपर्युक्त रु. 72.85 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है तथा असाधारण मद होने तथा नियमित व्यय को हिस्सा न होने के कारण इसे वर्ष के लिए लाभ तथा हानि खाते में ''असाधारण मदों'' के तहत वर्गीकृत किया गया है ।दि. 2/12/2016 को उक्त राशि का भुगतान किया गया है तथा इस संबंध में अब कोई दायित्व शेष नहीं है ।

12. पत्तन परिसम्पत्तियों का बीमा

सूनामी, चक्रवात आदि घटनाओं तथा मंत्रालय से प्राप्त निदेशों एवं भारतीय पत्तन संघ द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पत्तन ने एक स्वतंत्र मूल्यांकक से पत्तन परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कराने के बाद मार्च, 2006 से एक विस्तृत पत्तन पैकेज नीति तैयार की है ।

विस्तृत पत्तन पैकेज नीति में निम्नलिखित बीमा रक्षा क्षेत्र आते हैं :-

- भूकम्प जोखिम की पॉलिसी के साथ मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पॉलिसी (पत्तन प्रचालन क्षेत्र एवं नगरक्षेत्र से बाहर स्थापित परिसम्पत्तियों के लिए)
- विस्तृत पत्तन पैकेज - सम्पत्ति
- विस्तृत पत्तन पैकेज - देयता
- विस्तृत पत्तन पैकेज - व्यापार व्यवधान (एफएलओपी/एमएलओपी/पत्तन कामकाज में बाधा, मलबे की निकासी)
- समुद्री पेटा - प्लवन नौकाएँ
- निष्ठा गारंटी बीमा
- इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर बीमा
- निदेशक और अधिकारी देयता नीति
- आतंकवाद से विशेष सुरक्षा

पत्तन परिसम्पत्तियों की बीमे की मौजूदा राशि लगभग रु. 2903.45 करोड़ है । वर्तमान व्यापक पत्तन पैकेज पॉलिसी को दि. 1.04.2016 से 31.03.2017 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए सेवाकर सहित रु. 3.97 करोड़ की किस्त देकर नवीकृत किया गया । बाद में इस पॉलिसी को अप्रैल, 2017 के लिए रु. 33,51,534/- की किस्त तथा रु.67,32,914/-2 महीनों अर्थात 01/05/2017 से 30/06/2017 के लिए किस्त देकर दि. 01/04/2017 से दि. 30/06/2017 तक 3 महीनों के लिए नवीकृत किया गया । बीमा पॉलिसी को दि. 01/07/2017 से 30/06/2018 तक नवीकृत करने के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है ।

13. भविष्य निधि, उपदान निधि एवं पेंशन निधि के लिए न्यास

आयकर अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए मंडल के अनुमोदन से निम्नलिखित के लिए पृथक न्यासों का गठन किया गया है जो 31/03/2003 से प्रारंभ हुए :

- The above amount of Rs.72.85 Crs. was provided for in the books of accounts for the year 2015-16 and classified under the head 'Extra-Ordinary Item' in the Profit & Loss account for the year being an exceptional item and not part of regular operating expenditure. The said amount has been paid on 02-12-2016 and there is no liability towards the same as on date.

12. INSURANCE OF PORT ASSETS

In view of incidents like Tsunami, Cyclones, etc. and also directives received from Ministry as well as report of the Committee constituted by IPA, the Port finalized the Comprehensive Port Package Policy w.e.f. March, 2006 after valuation of certain Port's Assets by an Independent Valuer. The comprehensive Port Package Policy comprises of the following Insurance Cover:

- Standard Fire & Special Perils Policy with Earthquake extension (for assets outside Port operational area and township)
- Comprehensive Port Package - Property
- Comprehensive Port Package – Liability
- Comprehensive Port Package – Business Interruption (FLOP/MLOP/Port Blockage, Wreck removal).
- Marine Hull – Floating Crafts.
- Fidelity Guarantee Policy
- Electronic Equipment Insurance
- Directors & Officers Liability Policy
- Standalone Terrorism cover

The current sum insured for the Port assets is around Rs.2903.45 crores. The current Comprehensive Port Package Policy was renewed w.e.f. 01.04.2016 to 31.03.2017 for a premium of Rs.3.97 Crs including service tax. Further, this policy has been renewed for 3 months from 01.04.2017 to 30.06.2017 at a premium of Rs.33,51,534/- for month of April, 2017 and Rs. 67,32,914/- for two months i.e. 01.05.2017 to 30.06.2017. The tender for renewal of insurance policy w.e.f. 01.07.2017 to 30.06.2018 is under process.

13. TRUSTS FOR PROVIDENT FUND, GRATUITY FUND & PENSION FUND

In order to comply with the provisions of Income Tax Act, separate Trusts were created with the approval of the Board in respect of the following and came into existence on 31.3.2003:

क्रम. सं.	निधि का नाम	न्यास का नाम
1	भविष्य निधि	ज. ने. पत्तन कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
2	उपदान निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन कर्मचारी उपदान न्यास
3	पेंशन निधि	जवाहरलाल नेहरू पत्तन अधिवर्षिता न्यास

आयकर विभाग इन न्यासों को मान्यता दे चुका है और उपदान और पेंशन के वार्षिक अंशदान से संबंधित राशियाँ बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जा रही हैं । उपर्युक्त के अतिरिक्त पत्तन की छुट्टी नकदीकरण देयता भी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम के पास जमा कराई जाती है । मंत्रालय ने दि. 19 मई, 2005 के पत्र सं.पीआर24021/20/2004-पीजी के द्वारा उक्त करार का 'सैद्धान्तिक रूप से' अनुमोदन कर दिया है ।

सेवानिवृत्ति लाभों हेतु अंशदान

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017 को आवश्यक निधि	निधि शेष	वर्ष के दौरान किया गया अंशदान	31.03.2017 को कुल योग	31.03.2017 को बकाया देयता	31.03.2017 को अवित्त पोषित देयता
1.	पेन्शन निधि	1,173.27	1,199.14	-	1,199.14	-	(25.87)
2.	उपदान निधि	90.18	98.55	-	98.55	-	(8.37)
3.	छुट्टी नकदीकरण निधि	72.43	64.59	-	64.59	-	7.84
	कुल	**1,335.88**	**1,362.28**	-	**1,362.28**	-	**(26.40)**

वित्तीय वर्ष 2003-04 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सभी देयताओं का लेखा बहियों में पूरी तरह से प्रावधान किया गया है और कोई अवित्त पोषित देयता नहीं है ।

इन निधियों के कारण 31.3.2017 को कुल देयता रु. 1,335.88 करोड़ थी तथा इन निधियों का 31.3.2017 को कुल मूल्य रु. 1,362.28 था । वर्ष के दौरान इन निधियों के लिए कोई अंशदान नहीं किया गया है क्योंकि निधि में देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि शेष है ।

14. टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराया :

चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक, जो तुलन-पत्र में परिलक्षित हुआ है वह है कि पट्टा किराए, वे-लीव, भूमिगत पाइप लाइन तथा जल प्रभारों (न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय को छोड़कर) के कारण टैंक फार्म प्रचालकों पर दि.31/3/2017 को रु. 361.72 करोड़ की बकाया बड़ी राशि । जनेप न्यास ने जिन टैंक फार्म प्रचालकों की पट्टे की अवधि खत्म हो चुकी है उन्हें नोटिस जारी किया है। तदनुसार नवंबर, 2016 से उक्त टैंक फार्म प्रचालकों से पट्टा किराए और वे लीव प्रभारों के लिए बिलों की उगाही नहीं की गई है।

न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के अर्थदण्ड के संबंध में तैयार किए गए बीजकों पर आपत्ति उठाई गई है तथा कुछ भी राशि नहीं मिल रही है इसलिए सारे मामले को उच्च न्यायालय को / मध्यस्थता के लिए भेजा गया है । उच्च न्यायालय / मध्यस्थता की कार्रवाही अभी भी जारी है। केवल न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के कारण ही टैंक फार्म प्रचालकों पर कुल बकाया राशि (वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बीपीसीएल को छोड़कर) 31/3/2017 को रु.211.59 करोड़ निकलती है तथा जिसमें से रु. 143.46 करोड़ वर्तमान परिसम्पत्तियों का हिस्सा है।

Sr. No.	Name of Fund	Name of the Trust
1	Provident Fund	JN Port Employees Provident Fund Trust
2	Gratuity Fund	JN Port Employees Gratuity Trust
3	Pension Fund	JN Port Superannuation Trust

The Income Tax Dept. has since granted recognition to these Trusts and amounts pertaining to Gratuity and Pension are being deposited with Life Insurance Corporation of India towards annual contribution based on the actuarial valuation. In addition to the above, Leave Encashment liability of the Port is also deposited with L.I.C. based on the actuarial valuation. Ministry vide letter No.PR-24021/20/2004-PG dated 19th May 2005 have granted 'in principle' approval to the above arrangement.

Contribution for Retirement Benefits

(Rs in Crs.)

Sr. No.	Particulars	Fund required as on 31.03.2017	Fund balance	Contribution made during the year	Total as on 31.03.2017	OSL as on 31.03.2017	Unfunded Liability as on 31.03.2017
1.	Pension Fund	1,173.27	1,199.14	-	1,199.14	-	(25.87)
2.	Gratuity Fund	90.18	98.55	-	98.55	-	(8.37)
3.	Leave Encashment Fund	72.43	64.59	-	64.59	-	7.84
	Total	**1,335.88**	**1,362.28**	-	**1,362.28**	-	**(26.40)**

All the liabilities as per actuarial valuation from the FY 2003-04 to FY 2016-17 have been fully provided for in the books of accounts and there are no unfunded liabilities.

The total liability on account of these three Funds stood at Rs.1,335.88 Crs. on 31.03.2017 and the total value of these Funds stood at Rs.1,362.28 Crs as on 31.03.2017. No contribution has been made towards these Funds during the year as the funds have sufficient balances to cover the liability.

14. LEASE RENTALS FROM TANK FARM OPERATORS

One of the major areas of concern reflected in the Balance Sheet is the huge Outstandings from Tank Farm Operators on account of Lease Rentals, Way-Leave, Buried Pipeline and Water Charges, (excluding MGT) which stands at Rs.361.72 Crs. as on 31.03.2017. JNPT has issued notices to the Tank Farm operators whose lease period has been over. Accordingly, the bills for the said Tank Farm operators towards Lease Rent and Way Leave charges are not raised from the month of November, 2016.

The Invoices raised in respect of penalty for Minimum Guaranteed Throughput (MGT) have been disputed and no amount is forthcoming and along with certain other issues the matter has been referred to High Court/Arbitration. The High Court/arbitration proceedings are still in progress. The total amount due from Tank Farm Operators on account of MGT alone stands at Rs.211.59 Crs. (excluding BPCL for FY 2016-17) as on 31.03.2017 and of which Rs.143.46 Crs. forms part of Current Assets.

15. बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज :

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार पत्तन को ग्राहकों से बकाया राशि पर दंड स्वरूप ब्याज वसूल करनी होती है । तथापि टैंक फार्मों एवं अन्य मामलों में संपदा किराए की अधिकतर बकाया राशि विवादित है और मामले का निपटारा अभी होना बाकी है । जब मूलधन की राशि ही विवादित है तो उस पर दंड स्वरूप ब्याज वसूल करना उचित नहीं समझा गया है । लेखाकरण मानक - 9 'आय पहचान' के अनुसार यदि बिक्री या सेवाएं देते समय राजस्व के अंतिम संग्रहण में बड़ी अनिश्चितता हो तो आय की पहचान को स्थगित कर दिया जाता है तथा ऐसे मामलों में राजस्व को लेखे में तभी लिया जाना चाहिए जब यह ठीक तरह से निश्चित हो जाए कि अंतिम संग्रह किया जाएगा । तद्नुसार उक्त को संपदा किराया, टैंक फार्म एवं न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय के बकायों पर प्रभारित नहीं किया गया है।

16. बीओटी प्रचालकों को सौंपे गए शेड/अन्य परिसम्पत्तियाँ :

एपीएम टर्मिनल/जीटीआईपीएल के साथ किए गए करार की शर्तों के अनुसार बल्क भंडारण शेडों को उन्हें सौंप दिया गया है जिन्हें यार्ड बनाने एवं अन्य सुविधाएँ तैयार करने के लिए नष्ट किया जा सकता है । इसके अलावा, कुछ अन्य परिसम्पत्तियों जैसे, वैगन लदाई प्लेटफार्म, कैन्टीन आदि को भी उन्हें सौंप दिया गया है । ये परिसम्पत्तियाँ उसी रूप में पत्तन को वापस प्राप्त नहीं होंगी, जिस रूप में उन्हें सौंपा गया था । उन्हें सौंपी गई अन्य परिसम्पत्तियों के साथ-साथ ऐसी परिसम्पत्तियों पर पट्टा किराया वसूल किया जा रहा है । अतः इन परिसम्पत्तियों को निर्धारित परिसम्पत्तियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है एवं अलग से 'सुधार के लिए बीओटी प्रचालकों को सौंपे गए शेडों/परिसम्पत्तियों' के रूप में दिखाया गया है । सौंपे जाने के समय इन परिसम्पत्तियों का ह्रासित मूल्य रु. 54.53 करोड़ था । इन परिसम्पत्तियों का समान किस्तों में 30 वर्षों के लिए परिशोधन किया जा रहा है । इनका परिशोधित मूल्य दिनांक - 31/03/17 को रु. 31.81 करोड़ है ।

17. संस्थापित और उपयोगित क्षमता :

प्रहस्तित यातायात और संस्थापित क्षमता का विवरण नीचे दिया जा रहा है

(दस लाख टनों में)

विवरण	संस्थापित क्षमता		वास्तविक रूप से उपयोगित क्षमता	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
ज.ने.प.कं.टर्मिनल (मुख्य घाट)	17.29	17.29	17.18	16.61
जीटीआइपीएल	26.40	26.40	21.78	24.29
एनएसआइसीटी	15.00	15.00	8.90	12.06
उथला डुबाव घाट	3.98	3.98	2.36	2.59
एनएसआइजीटी	10.00	-	5.55	2.46
बी.पी.सी.एल. (द्रव कार्गो घाट)	6.50	6.50	6.26	5.97
14 मीटर तक पहला निकर्षण	10.20	10.20	-	-
जनेप न्यास लंगरगाह	-	-	0.12	0.05
कुल योग	**89.37**	**79.37**	**62.15**	**64.03**

18. आयातों का मूल्य (सीआईएफ) :

लागत, बीमा और भाड़े के आधार पर परिकलित आयातों के मूल्य एवं विदेशी मुद्रा में व्यय नीचे दिए जा रहे हैं :

15. PENAL INTEREST ON OUTSTANDING DUES

As per the directions of the Tariff Authority for Major Port, the Port is to charge penal interest on outstandings from customers. However, in the case of Estate Rentals, both Tank Farm and others most of the outstandings are disputed and the matter is yet to be resolved. When the principal itself is disputed, charging penal interest on the principal has not been considered proper. As per the Accounting Standard-9, "Revenue Recognition", if at the time of rendering of services or sale there is significant uncertainty in ultimate collection of the revenue then the revenue recognition is postponed and in such cases revenue should be recognized only when it becomes reasonably certain that ultimate collection will be made. Accordingly the same is not charged on Estate Rentals, Tank farm & MGT outstanding.

16. SHEDS / OTHER ASSETS HANDED OVER TO BOT OPERATOR

As per terms of agreement with APM Terminal / GTIPL, Bulk storage sheds have been handed over to them which could be demolished for creation of yard and other facilities. In addition, certain other assets like wagon loading platform, canteens etc. have also been handed over to them. These assets will not revert back to the Port in the same form in which they were handed over. Lease rentals are being collected on such assets along with all other assets handed over. Hence, these assets have been removed from fixed assets register and shown separately as 'Sheds/Assets handed over to BOT operator for modification.' The WDV of these assets was Rs.54.53 Crs. at the time of handing over. These assets are being amortised equally over a period of 30 years. The amortised value of these assets as on 31.03.2017 is Rs.31.81 Crs.

17. CAPACITY INSTALLED & UTILISED

The details of traffic handled and capacity installed is given below:

(In Million Tonnes)

Particulars	Capacity Installed		Capacity Actually Utilized	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
JNPCT (Main Berth)	17.29	17.29	17.18	16.61
GTIPL	26.40	26.40	21.78	24.29
NSICT	15.00	15.00	8.90	12.06
Shallow Draught Berths-CT	3.98	3.98	2.36	2.59
NSIGT	10.00	-	5.55	2.46
BPCL (Liquid Cargo Berth)	6.50	6.50	6.26	5.97
Capital Dredging upto 14 Mtrs	10.20	10.20	-	-
JNPT Anchorage	-		0.12	0.05
Grand Total	**89.37**	**79.37**	**62.15**	**64.03**

18. VALUE OF IMPORTS (CIF)

The values of imports calculated on CIF basis and expenditure in foreign currency are given below:

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं	विवरण	2016-17	2015-16
1.	उपभोज्य तथा कलपुर्जे एवं पूंजीगत सामान	35.44	4.41
2.	प्राप्त की गई सेवाएं (पूंजी एवं राजस्व कार्य)	3.14	2.71
3.	प्रशिक्षण, दैनिक भत्ता, सम्मेलन व्यय, अनुरक्षण ठेके इत्यादि के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय	1.38	0.04
4.	सेवाओं-मध्यस्थता प्रभारों के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय	0.40	0.24
5.	अभिदान आदि के लिए विदेशी मुद्रा में व्यय	0.04	0.05
6.	आयातित एवं देशी उपभोज्य कलपुर्जों का मूल्य एवं कुल उपभोग में उसका प्रतिशत (करोड़ रुपयों में)	आयातित और स्वदेशी खपत अलग से उपलब्ध नहीं है।	आयातित 1.45 19.33% स्वदेशी 6.05 80.76% कुल 7.50 करोड़ 100.00%
7.	वर्ष में पूंजीगत लेखे से की गई और उसमें शामिल न की गई भंडार और सामग्री की कुल खरीद	शून्य	शून्य

19. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक :

(लाख रुपयों में)

विवरण	2016-17	2015-16
मुख्य महालेखापरीक्षक को लेखा परीक्षक के रूप में	20.15	20.14
कराधान मामले के लिए कर लेखापरीक्षकों को	7.80	6.30
आंतरिक लेखा परीक्षक	5.73	5.73
प्रमाणन सहित प्रबंधन सेवा	20.81	15.20
योग	54.49	47.37

20. कर्मचारियों की संख्या तथा उन पर किए गए व्यय का विवरण :

कोटि	दि.31.03.2017 को	दि.31/03/2016 को
श्रेणी		
I	188	183
II	48	48
III	1286	1308
IV	95	99
योग	1615	1638
कर्मचारियों को वार्षिक पारिश्रमिक (करोड़ रुपयों में)	245.97	197.88

21. अनिवार्य मदों पर किया गया व्यय

(करोड़ रु. में)

विवरण	2016-17	2015-16
भंडारों तथा कलपुर्जों की खपत	9.00	7.50
बिजली, ईंधन, तेल एवं जल	130.27	114.85
लघु कार्यों सहित मरम्मत एवं अनुरक्षण	31.66	22.76
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	245.96	197.88
अधिवर्षिता निधियों में अंशदान	0.35	125.42
कर्मचारी कल्याण व्यय	17.61	14.44
चिकित्सा व्यय	15.57	14.89
बीमा	5.37	5.45
आय पर करों को छोड़कर दरें एवं कर	0.21	0.09
सामान्य व्यय	37.36	27.29

(Rs. in Crs.)

Sr. No.	Particulars	2016-17	2015-16
1.	Consumables & spare parts & Capital Goods	35.44	4.41
2.	Services availed (Capital & Revenue Works)	3.14	2.71
3.	Expenditure in foreign currency for Training, D.A., Conference expenses, Maintenance contracts etc.	1.38	0.04
4.	Expenditure in foreign currency for services - Arbitration charges.	0.40	0.24
5.	Expenditure in foreign currency for subscription etc.	0.04	0.05
6.	Value of imported & indigenous spare parts consumed and % to total consumption (Rs. in Crs.)	Imported & ndigenous Consumption Not Separately Available Total 8.99 Crs 100.00%	Imported 1.45 19.33% ndigenous 6.05 80.76% Total 7.50 Crs -100.00%
7.	Total purchase of stores and materials made on capital A/c during the year and not included in capital A/c.	NIL	NIL

19. REMUNERATION TO AUDITORS

(Rs. In lakhs)

Particulars	2016-17	2015-16
As Auditors to CAG	20.15	20.14
Tax Auditors in respect of Taxation Matter	7.80	6.30
Internal Auditor	5.73	5.73
Management Services including Certification	20.81	15.20
Total	54.49	47.37

20. DETAILS OF STAFF STRENGTH AND EXPENDITURE INCURRED THEREON

Category	As on 31.03.2017	As on 31.03.2016
Class		
I	188	183
II	48	48
III	1286	1308
IV	95	99
Total	**1615**	**1638**
Annual remuneration to Employees (Rs. In Crs.)	**245.97**	**197.88**

21. EXPENDITURE ON CERTAIN ITEMS

(Rs in Crs.)

Particulars	2016-17	2015-16
Consumption of stores and spares	9.00	7.50
Power, Fuel, Oil & Water	130.27	114.85
Repairs & Maintenance incl Minor Works	31.66	22.76
Salaries wages and bonus	245.96	197.88
Contribution to Superannuation funds	0.35	125.42
Employee welfare expenses	17.61	14.44
Medical Expenses	15.57	14.89
Insurance	5.37	5.45
Rates and Taxes excluding taxes on income	0.21	0.09
General Expenses	37.36	27.29

22. 31 मार्च, 2017 को आकस्मिक देयताएँ :

(क) विभिन्न ठेकेदारों के ऐसे दावे जो मध्यस्थता/मुकदमेबाजी/विवाद के अधीन हैं एवं जिन्हें लेखों में देयताओं के रूप में नहीं दिखाया गया है वे रु. 36.76 करोड़ के हैं ।

(ख) मुकदमेबाजी के अंतर्गत लवण पटल भूमि के लिए रु. 25.00 करोड़ के क्षतिपूर्ति के दावे ।

(ग) हनुमान कोलीवाड़ा के दूसरे पुनर्वास पर रु. 5.69 करोड़ का किया गया व्यय ।

(घ) परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए 12.5 प्रतिशत योजना के अंतर्गत 111 हेक्टेयर भूमि के विकास की लागत सहित कुल लागत लगभग रु. 252.34 करोड़ है, क्योंकि अभी भी सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है ।

23. विशेष उद्देश्य कम्पनी :

ज.ने. पत्तन का सड़क सम्पर्क सुधारने के लिए जनेप न्यास ने सिडको, महाराष्ट्र सरकार एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन क्रियान्वित किया है । तदनुसार, मुंबई - ज.ने. पत्तन सड़क कम्पनी के नाम से एक विशेष उद्देश्य कम्पनी प्रारंभ की गई जिसका पंजीकृत कार्यालय दिसमें है । पहले चरण में परियोजना की अनुमानित लागत रु. 357.80 करोड़ है जिसमें रु. 100 करोड़ की व्यवस्था इक्विटी से होगी और शेष राशि की व्यवस्था प्रवर और अवर ऋण से होगी । इक्विटी में ज.ने.प. न्यास का योगदान रु. 40 करोड़ है एवं अवर ऋण रु. 60 करोड़ का है जो कि कुल मिलाकर रु.100 करोड़ हैं । अवर ऋण को बैंक/वित्तीय संस्थान के पक्ष में सहूलियत-पत्र जारी करके भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है । ज.ने. पत्तन ने अब तक विशेष उद्देश्य कम्पनी की इक्विटी में रु.40 करोड़ का पूर्ण योगदान किया है एवं शर्तों के अनुसार 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से रु.30 करोड़ (अप्रैल, 2005) का ऋण दिया है । वित्तीय वर्ष 2013-14 तक मुंबई - ज.ने. पत्तन सड़क कम्पनी लि. ने ब्याज सहित ऋण की पूरी राशि अदा कर दी है । आगे जनेप न्यास ने मई, 2017 में विशेष उद्देश्य कम्पनी में अपनी हिस्सेदारी 26.91 प्रतिशत से 51 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए 35.91 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया ।

24. मुरगांव पत्तन न्यास को वित्तीय सहायता :

मंत्रालय ने मुरगाँव पत्तन न्यास को रु.300 करोड़ का अंतर-पत्तन ऋण देने के लिए दि. 21/10/2013 के पत्र सं.16 (17)2012–पीडी-VII के अनुसार सक्षम अधिकारी के अनुमोदन की सूचना दी जिसमें से जनेप न्यास का हिस्सा रु.200 करोड़ है । ब्याज की दर 10. है तथा अधिस्थगन अवधि 2 वर्ष या कम से कम 10 मिलियन टन लौह अयस्क का निर्यात पूर्ण होने तक है ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 तक पत्तन ने मुरगाँव पत्तन न्यास को रु. 40 करोड़ का अग्रिम दिया है। उसमें से ही रु.15 करोड़ की किश्त के मामले में दो साल की अधिस्थगन अवधि पूरी हो चुकी है और मूल पुनर्भुगतान के लिए किश्त पत्तन को प्राप्त हो गई है । ब्याज समेत 15 करोड़ की पूरी राशि अप्रेल, 2017 में चुकाई गयी है और शेष राशि केवल रु. 25 करोड़ है ।

उपर्युक्त ऋण पर उपार्जित ब्याज की लेखा खातों में पहचान की गई है और पत्तन द्वारा विधिवत रूप से प्राप्त किया गया है और इस खाते में कुछ बकाया नहीं है ।

22. CONTINGENT LIABILITIES AS ON 31ST MARCH 2017

a) Claims from the various contractors which are under Arbitration/ litigation/dispute and which are not provided in the books as liabilities works out to Rs. 36.76 Crs.

b) Compensation claimed for Saltpan land under litigation is Rs.25.00 Crs.

c) Expenditure on 2nd rehabilitation of Hanuman Koliwada amounting to Rs. 5.69 Crs.

d) The total cost inclusive of development of 111 hectares of land under 12.5% Schemes for PAP is Rs. 252.34 Crs. approximately, as decision is awaited from the Government.

23. SPECIAL PURPOSE VEHICLE

JNPT has executed a memorandum of understanding with CIDCO, Govt. of Maharashtra and National Highway Authority of India for providing road connectivity to JN Port. Accordingly, a special purpose vehicle has been floated under name and style of Mumbai-JNP Port Road Co. Ltd. having its registered office in the State of Delhi. The estimated cost of project under Ph-I is Rs. 357.80 Crs. out of which equity is Rs.100 Crs. and balance by Senior Debt and Sub-ordinate Debt. JNP contribution in the equity is limited to Rs.40 Crs. and Sub-ordinate Debt Rs.60 Crs. aggregating to Rs.100 Crs. The sub-ordinate debt can also be replaced by issuing of letter comfort in favour of Bank/Financial Institution. JNP has so far fully contributed Rs.40 Crs.in the equity of SPV and has provided debt of Rs.30 Crs.(April'05) carrying an interest rate of 4% p.a. as per terms. Mumbai-JNP Port Road Co. Ltd. has repaid the entire amount of debt along-with interest by F.Y. 2013-14. Further JNPT has paid a sum of Rs.35.91 Crs in May, 2017 towards increase in shareholding from 26.91% to 51% in the Special Purpose Vehicle.

24. FINANCIAL ASSISTANCE TO MORMUGAO PORT TRUST

Ministry conveyed the approval of Competent Authority vide 16(17)2012-PD-VII dated 21.10.2013 for an inter-port loan of Rs.300 Crs. to Mormugao Port Trust out of which share of JNPT is Rs.200 Crs. The rate of interest is 10% and moratorium period of 2 yrs or till export of iron ore of at least 10 million tonnes is achieved.

Till FY 2015-16, the Port has advanced Rs.40 Crs to Mormugao Port Trust. Out of the same the moratorium period of 2 years in case of instalment of Rs.15 Crs has been completed and instalments towards principal repayment of the same have also been received by the Port. The entire amount of Rs.15 Crs alongwith interest has also been repaid in April, 2017 and balance amount is only Rs.25 Crs.

The interest accrued on the above loan has been recognised in the books of accounts and duly received by the Port and there are no outstanding on this account.

25. ज.ने.प. न्यास के कंटेनर वहन स्थानक तथा बफर यार्ड के लिए लाइसेंस :

मेसर्स सी डब्लू सी को दिए गए पूर्व के लाइसेंस की दि. 31/12/2005 को समाप्ति पर जने पत्तन के कंटेनर वहन स्थानक एवं बफर यार्ड के प्रबंधन, अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए नया लाइसेंस मे. स्पीडी मल्टीमोड्स लि. पूर्व नाम स्पीडी ट्रांसपोर्ट प्रा. लि. (एसटीपीएल) मुंबई को 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया जिसे अगले 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है । इस करार में सौंपी गई परिसम्पत्तियों के पट्टे किराए के भुगतान एवं लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार प्रहस्तित टीइयू के लिए रायल्टी का प्रावधान है । लाइसेंस की शर्तों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पट्टा किरायों, रायल्टी एवं न्यूनतम प्रत्याभूत व्यवसाय में कमी के कारण मेसर्स एसएमएल से जनेप न्यास को प्राप्त राशि निम्नलिखित रूप से है :

विवरण	2016-17	2015-16
रायल्टी	6.33	5.99
पट्टा किराए	19.05	18.15
एम जी टी में कमी (रायल्टी में समाहित)	2.34	1.91

26. धारा 80 आई.ए. के दावे :

पत्तन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 आई.ए. के तहत कर में लाभ पाने के लिए आवेदन किया है ;

क) मे. गेटवे टर्मिनल ऑफ इंडिया प्रा. लि. (एपीएम टर्मिनल/जीटीआइपीएल) से अर्जित राजस्व ।

ख) सितम्बर 2011 में खरीदकर संस्थापित की गईं तीन रेल माउंटेड की क्रेनें (आरएमकयूसी) ।

ग) वर्ष 2006-07 में खरीदकर संस्थापित की गईं दो रेल माउंटेड गंत्री क्रेनें (आरएमजीसी) ।

घ) वर्ष 2013-14 में संस्थापित की गईं एक रेल माउंटेड की क्रेन (आरएमकयूसी) तथा एक रेल माउटेंड गंत्री क्रेन (आरएमजीसी) ।

27. निगमित सामाजिक दायित्व निधि का सृजन (सी.एस.आर फंड) :

पत्तन गतिविधियों से समाज पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक - 2 दिसंबर, 2011 के परिपत्र सं. पीडी-25021/10/2011-पीडी. छ द्वारा सभी पत्तनों को निदेश दिया कि यदि पिछले वित्त वर्ष में निवल लाभ रु. 500 करोड़ या उससे अधिक हो तो वे निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के लिए 0.5 से 2.0 प्रतिशत तक की राशि उपलब्ध करवाएँ । मण्डल संकल्प सं. 89, दिनांक 15.01.2016 के अनुसार पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित सामाजिक दायित्व निधि का सृजन करने का संकल्प किया गया ।

दिनांक 01.04.2016 को निगमित सामाजिक दायित्व निधि में रु. 25करोड़ की राशि शेष है जिसमें से रु. 4.29 करोड़ की राशि मण्डल द्वारा अनुमोदित विभिन्न परियोजनाओं पर निगमित सामाजिक दायित्व के लिए खर्च की गई। वर्ष 2016-17 के दौरान रु.17.50 करोड़ की राशि निगमित सामाजिक दायित्व निधि के लिए विनियोजित की गई है तथा रु. 21.01 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं को निगमित सामाजिक दायित्व के लिए मण्डल द्वारा पहले से ही अनुमोदन दिया जा चुका है ।

25. LICENSE IN RESPECT OF CFS & BUFFER YARD OF JNPT

On expiry of earlier license awarded to M/s CWC on 31/12/2005, a fresh license for Management, Maintenance & Operations of CFS & BY of JNP was awarded to M/s. Speedy Multimodes Ltd. (formerly known as Speedy Transport Pvt Ltd, (STPL)), Mumbai, for a period of 20 years, further extendable by 10 years. The Agreement provides for payment of lease rentals for assets handed over, and royalty for TEUs handled as per conditions of License Agreement. The amounts which accrued in JNPT from M/s SML, during the Financial year 2016-17 towards lease rentals, royalty and shortfall in MGT as per conditions of License are as follows:

Particulars	2016-17	2015-16
Royalty	6.33	5.99
Lease rentals	19.05	18.15
Shortfall in MGT (included in Royalty)	2.34	1.91

26. SECTION 80IA CLAIMS

The Port has made an application during the year for availing Tax benefit u/s 80IA of the Income Tax Act for the following infrastructure facilities:-

a) Revenue earned from M/s Gateway Terminals of India Private Limited (APM Terminal / GTIPLs).

b) Three Rail Mounted Quay Cranes (RMQC) purchased and installed in September 2011.

c) Two Rail Mounted Gantry Cranes (RMGC) purchased and installed in 2006-07.

d) One Rail Mounted Quay Cranes (RMQC) and one Rail Mounted Gantry Cranes (RMGC) installed in 2013-14.

27. CREATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FUND (CSR FUND)

The Ministry of Shipping circular No.PD-25021/10/2011-PD.II dated 2nd December, 2011, considering the economic, social and environmental impact of the activities of the Ports on the society and the environment, has directed all Ports to provide for CSR activities ranging from 0.5% to 2.0% if the net profit in the previous financial year is Rs. 500 Crs. & above. As per Board Resolution no.89/15.01.2016, it was resolved that a CSR Fund may be created as per the guidelines issued by the Ministry of Shipping.

The balance in CSR Fund as on 01.04.2016 was Rs. 25 Crs. Out of the same Rs.4.29 Crs have been expended towards CSR activities on various projects approved by Board. During the year 2016-17, an amount of Rs.17.50 Crs has been appropriated towards CSR Fund. Projects worth Rs. 21.01 Crs have already been approved by Board towards CSR activities.

28. जनेप न्यास के करमुक्त बान्ड

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दि.6 नवम्बर,2012 की अधिसूचना सं.46/2012एफ सं.178/60/2012(आईटीए-1) द्वारा जनेप न्यास को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (15) (iv) (एच) के तहत सुरक्षित करमुक्त प्रतिदेय अपरिवर्तनीय बॉन्ड जारी करके एक समग्र राशि रु.2000 करोड़ तक उगाहने के लिए प्राधिकृत किया ।

पोत-परिवहन मंत्रालय ने दि.12 नवम्बर,2012 के अपने पत्र सं.पीडी-24015/1/2012-पीडी. III के द्वारा जनेप न्यास द्वारा करमुक्त बॉन्डों को जारी करने की मंजूरी दी तथा दि. 4 जनवरी, 2013 के पत्र सं.पीडी-11015/25/2012-पीडी. VI के द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 66(3) के संबंध में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना के अंतर्गत निर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार रु. 2000/- करोड़ के बॉन्डों को जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सूचना दी ।

आवश्यकताओं के अनुसार बॉन्ड जारी करते समय उनका सुरक्षा निर्धारण मेसर्स क्रिसिल एवं मे. ब्रिकवर्क रेटिंग इं.प्रा.लि. द्वारा किया गया । ब्याज के भुगतान एवं पूंजी की वापसी के संबंध में अधिकतम सुरक्षा दर्शाते हुए मेसर्स क्रिसिल द्वारा ए.ए.ए. और मे.ब्रिकवर्क द्वारा 'ए.ए.ए.' (जिसका उच्चारण बी.डब्लू.आर.ट्रिपल ए भी किया जाता है) बॉण्डों का सुरक्षा निर्धारण किया है तथा उनके द्वारा की गई निगरानी के अनुसार बाद में भी यह स्तर कायम रहा ।

जनेप न्यास द्वारा करमुक्त बॉन्ड के निर्गम को दि.15 फरवरी, 2013 के एस ओ सं.378/ई द्वारा भारत के राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया था ।

फिर प्राप्त आवेदनों/बोलियों के तकनीकी रूप से खारिज होने को ध्यान में रखने के बाद रु. 41,31,96,000/- राशि के 413196 बॉन्ड आबंटित किए गए । बॉन्ड 26 मार्च, 2013 को आंबटित किए गए थे एवं पैसा विभिन्न वसूलीकर्ता बैंकरों से हमारे वसूली लेखे में स्थानांतरित हुआ ।

बाँड सूचीबध्द करने के आवेदनों को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं नेशनल स्टाक एक्सचेंज में प्रस्तुत किया गया तथा बॉन्डों को 3 अप्रैल, 2013 को सूचीकृत किया गया ।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा जारी बांड क्योंकि सुरक्षित प्रकृति के हैं, इसलिए जसखार गाँव की सर्वे सं. 284 के अंतर्गत आने वाली कुल 1.75 हेक्टेयर पत्तन की भूमि का पत्तन के डिबेंचर ट्रस्टी एस बी आई कैप ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड के पास बंधक विलेख दर्ज किया गया तथा उस भूमि को उप-निबंधक, उरण के यहाँ पंजीकृत कराया गया ।

सेबी को दिए गए आश्वासनों के अनुसार डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित निधि बनाई गई है । 10 वें वर्ष की समाप्ति पर प्रतिदान देयता की पूर्ति के लिए रु. 41.32 करोड़ की राशि आरक्षित निधि के रूप में अलग रखी गई है ।

वर्ष के दौरान रु. 2.89 करोड़ का ब्याज अदा किया गया है । पत्तन इस बांड निर्गम से संबंधित सभी सांविधिक अपेक्षाओं का पूरी तरह से पालन कर रहा है ।

29. प्रस्तुतीकरण में एकरूपता तथा समानता बनाए रखने के लिए जहाँ भी आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/फिर से तैयार किया गया है ।

ह-	ह-
(संजय गांगण)	**(अनिल डिग्गीकर, भा.प्र.से)**
मुख्य प्रबंधक (वित्त)	**अध्यक्ष**

28. TAX FREE BONDS OF JNPT

Central Board of Direct Taxes vide Notification No.46/2012.F.No.178/60/2012(ITA.1) dated 6th November 2012 authorized JNPT to raise an aggregate amount not exceeding Rs.2000 crore through the issue of secured tax free redeemable non-convertible bonds under Section 10(15)(iv)(h) of the Income Tax Act, 1961.

Ministry of Shipping vide their letter No.F.No.PD-24015/1/2012-PD.III dated12th November 2012 sanctioned issue of Tax Free Bonds by JNPT and vide letter No.PD-11015/25/2012-PD.VI dated 4th January 2013 conveyed the approval of the competent authority for issue of bonds of Rs.2000 Crs. as per the terms and conditions specified under Department of Revenue, Ministry of Finance Notification in terms of Section 66(3) of Major Port Trust Act, 1963.

As per requirements the Bond Issue rating was done by M/s. CRISIL and M/s. Brickwork Rating India Pvt Ltd. The bonds have been rated 'AAA' by M/s. CRISIL and "BWR AAA (Pronounced BWR Triple A)" indicating highest safety with regard to payment of interest and return of capital and ratings have been maintained subsequently also as per surveillance carried out by them.

Issue of Tax Free Bonds by JNPT was also notified in the Gazette of India vide SO No.378/E dated 15th February 2013.

Further taking into account technical rejection for applications/bids received 413196 bonds were allotted aggregating to Rs.41,31,96,000/-. The Bonds were allotted on 26th March 2013 and money transferred to our collection account with various collecting bankers.

Listing applications were filed with Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange and bonds were listed on 3rd April 2013.

Since bonds issued by JNPT are secured, Mortgage Deed was entered into with SBICAP Trustee Company Ltd, our Debenture Trustee for land aggregating to 1.75 hectares under Survey No.284 of Jaskhar Village and registered with Sub-Registrar, Uran.

Debenture redemption reserve has been created as per the assurance given to SEBI. An amount of Rs. 41.32 Crs. has been set apart as reserve for meeting the redemption liability at the end of the 10th year.

Interest amounting to Rs. 2.89 Crs. was paid during the year. Port is fully complying with all the statutory requirements related to this Bond Issue.

29. Previous Years figures have been regrouped / recast wherever necessary to have consistency and uniformity in presentation.

Sd	Sd
(SANJAY GANGAN)	**(ANIL DIGGIKAR, IAS)**
CHIEF MANAGER (FINANCE)	**CHAIRMAN**

लेखा परीक्षा रिपोर्ट और उस पर की गई कार्रवाई

Audit Report & Action taken thereon

2016 -17

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON THE ACCOUNTS OF JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST, MUMBAI FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017

1. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102 (2) के साथ पठित नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे की लेखापरीक्षा की है । यह वित्तीय विवरण जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर राय देना है ।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में केवल वर्गीकरण, सर्वश्रेष्ठ लेखाकरण नीतियों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों आदि के संबंध में लेखाकरण प्रक्रिया पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों का समावेश है । विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं नियमितता) के अनुपालन तथा प्रभावशीलता एवं निष्पादन पक्षों आदि के संबंध में वित्तीय लेन-देन पर यदि लेखापरीक्षा के कोई प्रेक्षण होते हैं तो वे निरीक्षण रिपोर्टों /नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से बताए जाते हैं ।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की है । इन मानकों की अपेक्षा के अनुसार हम यह लेखा परीक्षा इस प्रकार करते हैं कि यह आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरणों में आर्थिक रूप से कोई गलत बयानी नहीं है । लेखापरीक्षा में राशियों के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटन की नमूना आधार पर जाँच शामिल होती है । लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन और वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण का आकलन भी शामिल होता है । हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा दी गई राय के लिए एक उचित आधार प्रस्तुत करती है ।

1. We have audited the attached Balance Sheet of Jawaharlal Nehru Port Trustas at 31 March 2017 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 102(2) of Major Port Trusts Act, 1963. These financial statements are the responsibility of the Jawaharlal Nehru Port Trust's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules and Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम सूचित करते हैं कि -

(i) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा करने के लिए प्राप्त करने आवश्यक थे ।

(ii) इस रिपोर्ट के तुलन-पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 102(1) के तहत न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में तैयार किए गए हैं ।

(iii) हमारी राय में और हमारे द्वारा की गई लेखा बहियों की जाँच से यह प्रतीत होता है कि जनेप न्यास ने महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 102(1) के तहत अपेक्षित लेखा बहियों एवं अन्य सम्बद्ध अभिलेखों का उचित रख-रखाव किया है ।

(iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :

क. तुलन-पत्र

क. 1. नियत परिसम्पत्तियाँ :

क. 1.1 भूमि - रु. 289.81 करोड़ (अनुसूची 3)

पत्तन के अधिकार में कुल 7249.36 एकड़ भूमि थी जिसमें से 261.36 एकड़ की सरकारी भूमि पत्तन के नाम पर नहीं है । इसे लेखा पर टिप्पणियों में स्पष्ट नहीं किया गया है ।

इस संदर्भ में जनेप न्यास के वर्ष 2013-14 के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणी सं.क.1.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसे वर्ष 2014-15 और 2015-16 में दोहराया गया था ।

क. 2 वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम

क. 2.1 निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज - रु. 214.11 करोड़ (अनुसूची-6)

क. 2.2 राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा रसीदें रु. 4648.28 करोड़ (अनुसूची - 6)

उपर्युक्त में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में फरवरी, 2014 में जमा की गई रु. 67.59 करोड़ और उस पर प्रोद्भूत रु. 29.20 करोड़ के ब्याज की राशि शामिल है । यह मामला क्योंकि सीबीआई की अदालत में लंबित है और जनेप न्यास के पास रु. 67.59 करोड़ की सावधि जमा रसीद नहीं है, उसे रु. 67.59 करोड़ के संदिग्ध निवेश तथा उस पर रु. 29.20 करोड़ के प्रोद्भूत ब्याज के लिए प्रावधान करना चाहिए था । इससे रोकड़ एवं बैंक शेष रु. 67.59 करोड़, निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज रु. 29.20 करोड़ और लाभ रु. 96.79 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है ।

4. Based on our audit, we report that:

(i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

(ii) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Board of Trustees under Section 102(1) of the Major Port Trusts Act, 1963;

(iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Jawaharlal Nehru Port Trustas required under Section 102(1) of the Major Port Trusts Act, 1963 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Fixed Assets

A.1.1 Land - Rs.289.81 crore (Schedule 3)

Total land in the possession of the Port is 7249.36 acres out of which Government land admeasuring 261.36 acres is not in the name of the Port. This has not been disclosed in the Notes Forming Part of Accounts.

In this regard a reference is invited to Comment No. A.1.1 of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of JNPT for the year 2013-14 and repeated during 2014-15 and 2015-16.

A.2 Current Assets, Loan and Advances

A.2.1 Interest Accrued on Investment - Rs.214.11 crore (Schedule-6)

A.2.2 TDR with Nationalized Banks – Rs.4648.28 crore (Schedule-6)

The above includes an amount of Rs.67.59 crore deposited in February 2014 with Oriental Bank of Commerce (OBC) and interest accrued thereon upto 31 March 2017 amounting to Rs.29.20 crore. As the matter is pending in the CBI Court and JNPT did not have fixed deposit receipt / term deposit receipt for Rs.67.59 crore, it should have provided for doubtful investment of Rs.67.59 crore and interest accrued amounting to Rs.29.20 crore. This has resulted in overstatement of Cash and Bank Balances by Rs.67.59 crore, overstatement of Interest Accrued on Investments by Rs.29.20 crore and overstatement of profit by Rs.96.79 crore.

इस संदर्भ में जनेप न्यास के वर्ष 2013-14 के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. क. 3.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसे वर्ष 2014-15 और 2015-16 में दोहराया गया था।

क. 2.3 वस्तुसूचियाँ - रु. 26.78 करोड़ (अनुसूची - 6)

पत्तन न्यासों की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेमवर्क के अनुसार वस्तुसूची के कालापेक्षी/अचल मदों के मूल्यह्रास के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। पत्तन ने कालापेक्षी/अचल मदों के मूल्यह्रास के लिए कोई नीति नहीं अपनाई है। ऐसी नीति के अभाव और पत्तन द्वारा वस्तुसूची के आकलन के अभाव में लेखा परीक्षा वस्तुसूची के मूल्य की सटीकता और लाभ के परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।

इस संदर्भ में जनेप न्यास के वर्ष 2013-14 के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणी सं.क.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसे वर्ष 2014-15 और 2015-16 में दोहराया गया था।

क. 2.4 ठेकेदारों को अग्रिम- रु. 265.57 करोड़ (अनुसूची 6)

जनेप न्यास ने इंडियन एज्यूकेशन सोसायटी को उनके व्यय को पूरा करने के लिए भुगतान किया था। अप्रैल, 2012 से वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए इंडियन एज्यूकेशन सोसायटी को दिए गए रु. 5.10 करोड़ के अग्रिमों का 31 मार्च, 2017 तक समायोजन नहीं किया गया था जबकि जनेप न्यास ने भुगतान किए गए अग्रिम के आधार पर व्यय के लिए प्रावधान भी किया है। अग्रिमों तथा प्रावधानों का समायोजन न होने के कारण वर्तमान परिसम्पत्तयों, ऋणों तथा अग्रिमों और वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों को रु.5.10 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है।

इस संदर्भ में जनेप न्यास के वर्ष 2013-14 के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. क. 2.4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसे वर्ष 2014-15 और 2015-16 में दोहराया गया था।

ख.1 लाभ और हानि लेखा

ख.1.1 सम्पदा किराया

ख.1.2 भूमि पर किराया – रु.77.30 करोड़ (अनुसूची 11)

इसमें जनवरी 2014 से मार्च 2017 तक के अवधि के लिए जनेपन्यास भूमि से गुजरनेवाली पाइपलाइनों के लिए ओएनजीसी और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड से

In this regard a reference is invited to Comment No. A.3.1 of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of JNPT for the year 2013-14 and repeated during 2014-15 and 2015-16.

A.2.3 Inventories – Rs.26.78 crore (Schedule-6)

As per the Common Framework for Financial Reporting for Major Ports, the Port was required to make a policy for the depreciation of slow/non-moving items of inventory. Port has not adopted any policy for depreciation of slow/non-moving items of inventory. In the absence of adoption of such policy and assessment of inventory by the port, audit is unable to comment on the correctness of value of inventory and the consequent impact on the Profit.

In this regard a reference is invited to Comment No. A.2 of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of JNPT for the year 2013-14 and repeated during 2014-15 and 2015-16.

A.2.4 Advances to Contractors – Rs.265.57 crore (Schedule 6)

JNPT made advance payments to the Indian Education Society for meeting its expenses. Advances amounting to Rs.5.10 crore paid to the Indian Education Society for the years 2015-16 and 2016-17 remained unadjusted as on 31 March 2017 even though JNPT made provision for the expenses based on the advances paid. The non-adjustment of advances and provisions has resulted in overstatement of Current Assets, Loans and Advances and Current Liabilities and Provisions by Rs.5.10 crore.

In this regard a reference is invited to Comment No. A.2.4 of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of JNPT for the year 2015-16.

B.1 Profit and Loss Account

B.1.1 Estate Rentals

B.1.2 Rent on Land – Rs.77.30 crore (Schedule 11)

This does not include Rs.13.78 crore being way lease rent due from ONGC and Bharat Petroleum Corporation Limited for pipelines passing through JNPT land for the period from

आनेवाला 13.87 करोड़ का पट्टा किराया शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरुप वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम और लाभ में रु.13.78 करोड़ की कमी आयी है ।

ख.2 बीओटी ठेकों से आय– रु.713.87 करोड़ (अनुसूची-12)

उपर्युक्त में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) से 217.43 करोड़ का राजस्व हिस्सा, न्हावा शेवा (इंडिया) गेटवे टर्मिनल (एनएसआईजीटी) से 82.83 करोड़ और न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी) से रॉयल्टी आय का रु. 216.63 करोड़ मिलाकर कुल 516.89 करोड़ शामिल है ।

जीटीआईपीएल (अनुसूची11.7) और एनएसआईसीटी (अनुसूची9.4) के साथ किए गए अनुज्ञप्ति करार के अनुसार रियायतकर्ता को पत्तन को कुल राजस्व का मासिक/छः मासिक विवरण प्रस्तुत करना होगा । इस अनुज्ञप्ति करार में पत्तन द्वारा लेखापरीक्षा करने और राजस्व का सत्यापन करने और वित्तीय विवरणों आदि के लिए अतिरिक्त लेखा परीक्षक नियुक्त करने का विकल्प भी प्रदान किया गया था । एनएसआईसीटी (अनुसूची6.7) के साथ किए गए अनुज्ञप्ति करार में यह निर्धारित किया गया था कि अनुज्ञप्तिधारक स्थानांतरित किए गए टीईयू दर्शानेवाले मासिक विवरण पत्तन को प्रस्तुत करेगा । इस रियायत समझौते में प्रचालक द्वारा बनाए गए विवरणों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने या जनेपन्यास द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों कि नियुक्ति करने का कोई प्रावधान नहीं था ।

हालांकि रियायतकर्ता द्वारा आवश्यक विवरण पत्तन को प्रस्तुत किए गए थे किन्तु पत्तन ने आंकड़ों का अलग से सत्यापन नहीं किया और बीओटी प्रचालक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर भरोसा किया । जीटीआईपीएल और एनएसआईसीटी से संबन्धित मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट अंतिम चरण में थी और उसे लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था ।

सत्यापन न होने के कारण जनेपन्यास द्वारा लेखा खातों में दशाई गयी रु. 516.94 करोड़ के राजस्व हिस्से/रॉयल्टी की यथातथ्यता नहीं दी गयी ।

January 2014 to March 2017. This has resulted in understatement Current Assets, Loans and Advances and understatement of profit by Rs.13.78 crore.

B.2 Income from BOT Contracts- Rs.713.87 crore (Schedule-12)

The above includes Rs. 516.89 crore being revenue share of Rs.217.43 crore from Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL), Rs.82.83 crore from Nhava Sheva (India) Gateway Terminal (NSIGT) and royalty income of Rs.216.63 crore from Nhava Sheva International Container Terminal (NSICT).

As per Licence Agreements with GTIPL (Article 11.7) and NSIGT (Article 9.4), the concessionaire has to submit monthly/six-monthly statement of the Gross Revenue to the Port. These License Agreements also provided the option for appointment of additional auditor by the Port to audit and verify revenue, financial statements etc. The License Agreement with NSICT (Article 6.7) stipulated that the licensee shall submit to the Port monthly statement stating the total TEUs transferred. There was no provision in this Concession Agreement to independently verify the statements furnished by the operator or for appointment of independent auditors by JNPT.

Though the requisite statements were provided by the concessionaires to the Port, the Port did not independently verify the data and relied on the data submitted by BOT operator. The special audit report of the Independent auditors for the year ended March 2017, in respect of GTIPL and NSIGT were under finalization and not furnished to audit.

In the absence of verification, the veracity of revenue share/royalty of Rs.516.94 as reflected in the books of accounts by JNPT could not be vouchsafed.

ग. **लेखों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह है कि परिसंपत्तियों को रु.88.11 करोड़, देयताओं को रु.5.10 करोड़ और लाभ को 83.01 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है ।

- पूर्ववर्ती अनुच्छेदों मे हमारे प्रेक्षणो के अधीन यह सूचित किया जाता है कि एस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखे लेखा बहियों के अनुरुप है ।

- हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पठित तथा उपयुक्त उल्लिखित अनुबंध - I में उल्लिखित अन्य विषयों के अधीन उक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिध्दान्तों की अनुरुपता की दृष्टि से सही एवं उचित स्थिती प्रस्तुत करते है जहाँ तक कि वे :

अ) जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास के मंडल के कायों की स्थिती के 31 मार्च 2017 के अनुसार तुलन पत्र से संबंधित है, तथा

ब) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष को पत्तन के लाभ के लाभ तथा हानि लेखा से संबंधित है ।

5. जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास के 31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछले तीन वर्षो के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम दिखाने वाले लेखों का पुनर्विलोकन अनुबंध- II में दिया गया है ।

भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परिक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से.

(रुप राशि)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा की प्रधान निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा-परीक्षा मंडल- , मुंबई

स्थानं - मुंबई
दिनांक - 12 अक्तूबर 2017

C. **Effect of Audit Comments on Accounts**

The net impact of the comments given in preceding paras is that the assets were overstated by Rs.88.11 crore, liabilities overstated by Rs.5.10 crore and profit overstated by Rs.83.01 crore.

- Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Financial Statements read togather with the Accounting Policies and Notes to Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Audit Report given a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to Balance Sheet, of the state of affairs of Jawaharlal Neharu Port Trust Board as at 31 March 2017; and

b) In so far as it relates to the profit and Loss Account of the profit for the year ended on that date.

5. A Review of Account showing the summarized financial results of Jawaharlal Nehru port Trust for three years ended 31 March 2017 is given in **Annexure -II**

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India.

(Roop Rashi)
Principal Director of Commercial Audit and
Ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai
Date : 12 October 2017.

अनुबंध / Annexure-I

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

पत्तन की वर्ष 2016-17 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा मेसर्स तलाटी एण्ड तलाटी द्वारा की गई और इसमें कोई प्रतिकूल / प्रमुख टिप्पणियां नहीं थी।

2. आंतरिक नियंत्रण परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

निम्नलिखित कारणों से आंतरिक नियंत्रण परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है :

(i) बैंक समाधान विवरण में निम्नलिखित शामिल हैं :

क) 5.64 लाख के चेकों को जारी किया गया किन्तु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया और इस दौरान समय अवधि समाप्त हो गई । तथापि कोई निराकरण प्रविष्टियाँ नहीं की गई

ख) जनेपन्यास द्वारा 61.60 लाख के चेकों को प्राप्त किया गया किन्तु वे बैंक खातों में जमा नहीं किए गए; तथा

ग) बैंक द्वारा 4.34 करोड़ जमा किए गए लेकिन जनेपन्यास द्वारा इसका हिसाब नहीं किया गया।

3. नियत परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2016-17 के लिए नियत परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में कोई बड़ी विसंगतियां नहीं थी ।

4. वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2016-17 के लिए मुख्य भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समापन स्टॉक का मूल्य 28.20 करोड़ था जबकि वित्तीय अभिलेखों के अनुसार 26.30 करोड़ था, इसके परिणामस्वरूप 1.90 करोड़ का अंतर आया है । प्रबंधन ने (सितंबर,2017) में कहा है की यह अंतर मुख्यतः सेनवेट क्रेडिट के कारण आया है । इसके अलावा अनुसूची 6 के अनुसार 31 मार्च, 2017 को वस्तुसूची का मूल्य 26.78 करोड़ होने के कारण 0.48 करोड़ का अंतर था । अंतर के लिए कारणों को सूचित किया जा सकता है । प्रबंधन ने (सितंबर,2017) में बताया कि उच्च गति डीजल और दवाइयों को प्रत्यक्ष सत्यापन में शामिल न करने के कारण अंतर आया है ।

5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

पत्तन ने अविवादित सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से किया है ।

1. Adequacy of internal audit system

The Internal Audit of the Port for the year 2016-17 was conducted by M/s. Talati and Talati, Chartered Accountants and there were no adverse / major comments.

2. Adequacy of Internal Control System

The Internal Control System of the Port requires strengthening for the following reasons:

(i) Bank Reconciliation Statement includes:

a) Three cheques amounting to Rs.5.64 lakh issued but not presented for payment and became time barred. However no reversal entries have been passed;

b) Cheques amounting to Rs.61.60 lakh received by JNPT but not credited in the bank accounts; and

c) Rs.4.34 crore credited by bank but not accounted by JNPT.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

There were no major discrepancies in the Physical Verification Reports of Fixed Assets for the year 2016-17.

4. System of Physical Verification of Inventory

As per Physical Verification Report of Main Stores for the year 2016-17, the value of closing stock as on 31 March 2017 was Rs.28.20 crore whereas as per the financial records the value was Rs.26.30 crore resulting in a difference of Rs.1.90 crore. The Management stated (September 2017) that the difference is mainly due to Cenvat Credit. Further, as per Schedule 6, the value of inventories as on 31 March 2017 was Rs.26.78 crore resulting in a difference of Rs.0.48 crore. Reasons for the difference may be intimated. The Management stated (September 2017) that the difference is due to non-inclusion of High Speed Diesel and Medicines in the physical verification report.

5. Regularity in payment of statutory dues

The Port was regular in making payment of undisputed statutory dues.

स्थान / Place : मुंबई / Mumbai

दिनांक / Date : 12 अक्तूबर / October 2017

(गो. जनबगलक्ष्मी / G.Janbagalakshmi)

उप निदेशक / Deputy Director

Annexure-II

भारत के नियंत्रण एवं महालेखापीक्षक व्दारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछले तीन वर्षो के लिए जवाहरलाल नेहरु पतन न्यास के लेखों की समीक्षा

Review of Accounts of Jawaharlal Nehru Port Trust for three years ended 31 March 2017 the Comptroller and Auditor General of India

(लेखों की समीक्षा भारत को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट मे शामिल लेखा परिक्षा प्रेक्षणों पर विचार किए बिना की गई है)

(The Review of Account has been prepared without taking into account the audit observations contained in the Separate Audit Repot of the Comptroller and Auditor General of India)

1. वित्तीय स्थिति / Financial position

31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास की वित्तीय स्थिति इस प्रकार रही :

The Financial position of Jawaharlal Nehru Port Trust under the broad headings for three years ended 31March 2017 is given below:

(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2014-15	2015-16	2016-17
क) देयताएँ/ LIABILITIES			
पूंजी आरक्षित / Capital Reserve	3608.32	3608.32	3608.32
अन्य आरक्षित / Other Reserves	2710.72	3429.41	4327.34
प्रतिभूत ऋण / Borrowings	41.32	41.32	556.84
आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities	144.38	183.35	220.73
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान / Current Liabilities & Provisions	2292.49	2643.80	3136.98
योग / Total	**8797.23**	**9906.20**	**11850.21**
(ख) प्रसिम्पत्तियाँ / (B) Assets			
i) निवल नियत परिसम्पत्तियाँ / Net Fixed Assets	2335.99	2392.65	2467.65
ii) चालू कार्य / Works-in-Progress	107.68	240.48	384.80
iii) निवेश / Investments	58.00	73.30	76.78
iv) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ तथा ऋण और अग्रिम/Current Assets and Loans and Advances	6260.20	7166.14	8889.48
v) आस्थगित कर परिसम्पत्ति / Deferred Tax Asset	--	--	--
अन्य परिसम्पत्तियाँ / विविध व्यय Other Assets/Misc. Expenditure:			
i) नि.प्र.ह. प्रचालक को हस्तांतरित शेड / Sheds handed over to BOT operator	35.44	33.63	31.50
ii) एस वी आर एस व्यय / SVRS Expenditure	--	--	--
योग / Total	**8797.23**	**9906.20**	**11850.21**

(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2014-15	2015-16	2016-17
कार्यचालन पूंजी / Working Capital *	3967.63	4522.34	5752.50
निवल मूल्य / Net Worth **	6319.04	7037.73	7935.66
नियोजित पूंजी/Capital Employed ***	6303.62	6914.99	8220.15
निवल अधिशेष (विनियोजन के पहले) /Net Surplus (before appropriation)	556.40	718.91	879.56
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में) Return on Capital Employed **** (percentage)	8.83	10.40	10.70
नियोजित पूंजी (चालू कार्य सहित) / Capital Employed (including Work -in-Progress)	6411.30	7155.47	8604.95
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (चालू कार्य सहित) (प्रतिशत में) i) Return on Capital Employed (including Work -in- Progress) (percentage)	8.68	10.05	10.22

* कार्यचालन पूंजी वर्तमान परिसम्पत्तियों में से वर्तमान देयताओं को घटाकर निकाली गई राशि को दिखाती है ।
Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities.

** निवल मूल्य पूंजी आरक्षित और अन्य आरक्षित (पेंशन निधि छोड़कर) तथा अधिशेष/कम जमा घाटा या आस्राजस्व्यय को दिखाता है ।
Net Worth represents Capital Reserves and other Reserves Plus Surplus / deficit.

*** नियोजित पूंजी निवल नियत परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी को दिखाती है (ऊपर बताए गए अनुसार) ।
Capital Employed represents Net Fixed Asset plus Working Capital.

**** नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी पर कुल अधिशेष के प्रतिशत को दिखाता है ।
Return on Capital Employed represent percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed..

2. कार्यचालन परिणाम / Working Results

पत्तन के 31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के कार्यचालन परिणाम सारांश रूप से नीचे दिए जा रहे हैं .

The working results of Jawaharlal Nehru Port Trust for the last three years ending 31 March 2017 are summarized below:

(करोड़ रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2014-15	2015-16	2016-17
(क) राजस्व (A) Revenue			
(i) प्रचालन आय / Operating Income	1508.08	1665.10	1700.97
(ii) गैर प्रचालन आय / Non operating Income	301.33	319.60	461.46
योग / Total	**1809.41**	**1984.70**	**2162.43**
(ख) व्यय / (B) Expenditure			
(i) प्रचालन व्यय / Operating Expenditure	671.51	693.12	804.97
(ii) गैर-प्रचालन व्यय / Non operating Expenditure	293.88	132.11	16.53
योग /Total	**965.39**	**825.23**	**821.50**
ग) असाधारण मदें / Extra ordinary items	-	72.85	-
पूर्व अवधि प्रभार / Prior period charges	1.60	-5.00	-3.81
कर से पहले निवल अधिशेष / Net surplus before tax	**842.42**	**1091.62**	**1344.74**
घटाएँ : कर के लिए प्रावधान / Less: Provision for Tax	244.43	333.96	428.04
जोड़ें / घटाएँ : आस्थगित कर देयता/ परिसम्पत्तियाँ / Add/Less: Deferred tax liability/ assets	41.90	38.97	37.38
जोड़ें : कल्याण निधि और आधारिक संरचना आरक्षित से आहरण Add: Withdrawn from Welfare Fund and Infrastructure Reserve	0.31	0.22	0.24
(घ) विनियोग से पहले निवल अधिशेष / Net surplus before appropriation	**556.40**	**718.91**	**879.56**
(ड) (घटाएँ : आज्ञापक विनियोग, आरक्षित निधियों आदि में स्थानांतरण Less: Mandatory Appropriations, Transfers to Reserve Funds, etc.	481.94	227.54	210.54
(च) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित अधिशेष/घाटा Surplus/Deficit transferred to General Reserve	74.46	491.37	669.02
(छ) के लिए निवल अधिशेष का प्रतिशत : Percentage of net surplus to			
(i) प्रचालन आय / (i) Operating Income	36.89	43.18	51.71
(ii) निवल नियत परिसम्पत्तियाँ / (ii) Net Fixed Assets	23.82	30.05	35.64
(iii) निवल मूल्य /(iii) Net Worth	8.81	10.22	11.08

3. अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता)
Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)

पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों को नीचे दिखाया गया है :
Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Port Trust are shown below:

(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2014-15	2015-16	2016-17
क. वर्तमान देयताओं के लिए वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों सहित) (a) The percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	273.07	271.05	283.38
ख. वर्तमान देयताओं के लिए शीघ्र विक्रेय परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (b) Percentage of Quick Assets to Current Liabilities	780.47	890.62	919.06
ग. प्रचालनीय आय के लिए विविध देनदारों का प्रतिशत (c) Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	40.19	39.05	40.69
घ. पूंजी आरक्षित एवं सामान्य आरक्षित के लिए ऋण का प्रतिशत (d) Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve	1.09	0.97	9.35
कर पूर्व लाभ का प्रतिशत : Percentage of profit before tax to:			
(क) निवल मूल्य / a) Net Worth	13.33	15.51	16.95
(ख) नियोजित पूंजी / b) Capital Employed	13.36	15.79	16.36
(ग) प्रचालनीय आय / c) Operating Income	55.86	65.56	79.06

(गो. जनबगलक्ष्मी / G.Janbagalakshmi)
उप निदेशक / Deputy Director

स्थान / **Place :** मुंबई / **Mumbai**

दिनांक / **Date :** 12 अक्तूबर / **October** 2017

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, मुंबई के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर पत्तन का उत्तर/कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai for the year ended 31 March 2017

खंण्ड सं. Clause No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पाणियाँ Port's Reply / Action Taken Note
क. /A.	**तुलन-पत्र / Balance Sheet**	
क./A.1	**नियत परिसम्पत्तियाँ / Fixed Assets**	
क. /A.1.1	**भूमि - रु. 289.81 करोड़ (अनुसूची 3)** **Land - Rs.289.81 crore (Schedule 3)** पत्तन के अधिकार में कुल 7249.36 एकड़ भूमि थी जिसमें से 261.36 एकड़ की सरकारी भूमि पत्तन के नाम पर नहीं है । इसे लेखा पर टिप्पणियों में स्पष्ट नहीं किया गया है । Total land in the possession of the Port is 7249.36 acres out of which Government land admeasuring 261.36 acres is not in the name of the Port. This has not been disclosed in the Notes Forming Part of Accounts. इस संदर्भ में जनेप न्यास के वर्ष 2013-14 के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणी सं.क.1.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसे वर्ष 2014-15 और 2015-16 में दोहराया गया था । In this regard a reference is invited to Comment No. A.1.1 of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of JNPT for the year 2013-14 and repeated during 2014-15 and 2015-16.	लेखा परीक्षा के प्रेक्षण नोट कर लिए गए हैं और वित्त वर्ष 2017-18 के लेखों पर टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटन किया जाएगा । The Observation of Audit has been noted and necessary disclosure will be made in Notes Forming Part of Accounts in FY 2017-18.
क./A.2	**वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम** **Current Assets, Loan and Advances**	
क./A.2.1	**निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज - रु. 214.11 करोड़ (अनुसूची-6)** **Interest Accrued on Investment - Rs.214.11 crore (Schedule-6)**	
क./A.2.2	**राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि जमा रसीदें रु. 4648.28 करोड़ (अनुसूची - 6)** **TDR with Nationalized Banks – Rs.4648.28 crore (Schedule-6)** उपर्युक्त में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स में फरवरी, 2014 में जमा की गई रु. 67.59 करोड़ और उस पर प्रोद्भूत रु. 29.20 करोड़ के ब्याज की राशि शामिल है । यह मामला क्योंकि सीबीआई की अदालत में लंबित है और जनेप न्यास के पास रु. 67.59 करोड़ की सावधि जमा रसीद नहीं है, उसे रु. 67.59 करोड़ के संदिग्ध निवेश तथा उस पर रु. 29.20 करोड़	पत्तन ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग में ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से मूल धनराशि और उस पर प्रोद्भूत ब्याज की वसूली के लिए 5 अक्तूबर, 2016 को मामला दायर किया है । अगली सुनवाई 2 अप्रैल, 2018 को है । पत्तन आश्वस्त है कि मूल धनराशि ब्याज सहित वसूल कर ली जाएगी । इसलिए संदिग्ध निवेश

खण्ड सं. Clause No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's Reply / Action Taken Note
	के प्रोद्भूत ब्याज के लिए प्रावधान करना चाहिए था । इससे रोकड़ एवं बैंक शेष रु. 67.59 करोड़, निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज रु. 29.20 करोड़ और लाभ रु. 96.79 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है । इस संदर्भ में जनेप न्यास के वर्ष 2013-14 के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणी सं. क. 3.1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसे वर्ष 2014-15 और 2015-16 में दोहराया गया था । The above includes an amount of Rs.67.59 crore deposited in February 2014 with Oriental Bank of Commerce (OBC) and interest accrued thereon upto 31 March 2017 amounting to Rs.29.20 crore. As the matter is pending in the CBI Court and JNPT did not have fixed deposit receipt / term deposit receipt for Rs.67.59 crore, it should have provided for doubtful investment of Rs.67.59 crore and interest accrued amounting to Rs.29.20 crore. This has resulted in overstatement of Cash and Bank Balances by Rs.67.59 crore, overstatement of Interest Accrued on Investments by Rs.29.20 crore and overstatement of profit by Rs.96.79 crore. In this regard a reference is invited to Comment No. A.3.1 of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of JNPT for the year 2013-14 and repeated during 2014-15 and 2015-16.	और प्रोद्भूत ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि वह वैध रूप से वसूली योग्य है । इसलिए, नकद एवं बैंक शेष को रु. 67.59 करोड़, निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज रु. 29.20 करोड़ और लाभ को रु. 96.79 करोड़ बढ़ाकर नहीं दिखाया गया है । A case has been filed in National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) on 5th October, 2016 for recovery of Principal and interest thereon from OBC. Next date of hearing has been fixed on 2nd April, 2018. Port is confident that the Principal amount along with interest shall be fully recovered. Hence, provision for doubtful investment and accrued interest has not been made as the same is legally recoverable. Hence, there is no overstatement of Cash and bank balance by Rs.67.59 Crore, no overstatement of interest accrued on investment by Rs.29.20 crore and no overstatement of profit by Rs.96.79 crores
क. / A.2.3	**वस्तुसूचियाँ - रु. 26.78 करोड़ (अनुसूची - 6)** **Inventories – Rs.26.78 crore (Schedule-6)** पत्तन न्यासों की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए साझा फ्रेमवर्क के अनुसार वस्तुसूची के कालापेक्षी/अचल मदों के मूल्यह्रास के लिए एक नीति बनाए जाने की आवश्यकता है । पत्तन ने कालापेक्षी/अचल मदों के मूल्यह्रास के लिए कोई नीति नहीं अपनाई है । ऐसी नीति के अभाव और पत्तन द्वारा वस्तुसूची के आकलन के अभाव में लेखा परीक्षा वस्तुसूची के मूल्य की सटीकता और लाभ के परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ है । As per the Common Framework for Financial Reporting for Major Ports, the Port was required to make a policy for the depreciation of slow/non-moving items of inventory. Port has not adopted any policy for depreciation of slow/non-moving items of inventory. In the absence of adoption of such policy and assessment of inventory by the port, audit is unable to comment on the correctness of value of inventory and the consequent impact on the Profit. इस संदर्भ में जनेप न्यास के वर्ष 2013-14 के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणी सं.क.2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसे वर्ष 2014-15 और 2015-16 में दोहराया गया था । In this regard a reference is invited to Comment No. A.2 of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of JNPT for the year 2013-14 and repeated during 2014-15 and 2015-16.	पत्तन वस्तुसूची में से कालापेक्षी/अचल मदों की पहचान की कार्रवाई निरंतर करता रहता है । इनमें से कई वस्तुएँ महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रकृति की होती हैं और पत्तन उपस्करों के लिए जो कि अधिकांशतः आयातित होती हैं, सतत प्रचालन के लिए आवश्यक होती हैं । The Port consistently carries out an exercise to identify slow and non-moving items of inventory. Many of these items are of vital, critical and essential in nature as the same are required for continuous operation of Port Equipment which are mostly imported. रु. 0.25 करोड़ के जो कल-पुर्जे बेकार पाए गए उनका निपटान वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ई-नीलामी द्वारा रु. 0.02 करोड़ में किया गया । The spares amounting to Rs. 0.25 crores found obsolete were disposed off at Rs.0.02 crores by e-auction during FY 2016-17. यद्यपि, लेखाकरण मानक-2 "वस्तुसूचियों का मूल्यांकन" के अनुसार यह आवश्यक है कि वस्तुसूची को लागत या बाजार भाव में से जो भी कम हो, पर आँका जाएगा । पर ऐसे अचल कल पुर्जों के बाजार भाव का आवधिक रूप से निर्धारण करना व्यवहारिक रूप से कठिन होता है । इसलिए, पत्तन वस्तुसूचियों को लागत आधार पर ही जाहिर करता है ।

खंण्ड सं. Clause No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पाणियाँ Port's Reply / Action Taken Note
		Though AS-2 "Valuation of Inventories" requires that inventory shall be valued at cost or market value whichever is lower, however, it is difficult to ascertain the market value of such non-moving spares periodically, hence the Port continues to disclose the value of the inventory at its cost.
क. /A.2.4	**ठेकेदारों को अग्रिम- रु. 265.57 करोड़ (अनुसूची 6)** **Advances to Contractors – Rs.265.57 crore (Schedule 6)**	
	जनेप न्यास ने इंडियन एज्यूकेशन सोसायटी को उनके व्यय को पूरा करने के लिए भुगतान किया था । अप्रैल, 2012 से वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए इंडियन एज्यूकेशन सोसायटी को दिए गए रु. 5.10 करोड़ के अग्रिमों का 31 मार्च, 2017 तक समायोजन नहीं किया गया था जबकि जनेप न्यास ने भुगतान किए गए अग्रिम के आधार पर व्यय के लिए प्रावधान भी किया है । अग्रिमों तथा प्रावधानों का समायोजन न होने के कारण वर्तमान परिसम्पत्तयों, ऋणों तथा अग्रिमों और वर्तमान देयताओं तथा प्रावधानों को रु.5.10 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है ।	विद्यालय संबंधी व्यय के लिए प्रावधान उन्हें दिए गए अग्रिमों के आधार पर लेखो में पहले ही किया गया है । वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 संबंधित रु. 5.10 करोड़ के अग्रिमों का समायोजन वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जाएगा ।
	JNPT made advance payments to the Indian Education Society for meeting its expenses. Advances amounting to Rs.5.10 crore paid to the Indian Education Society for the years 2015-16 and 2016-17 remained unadjusted as on 31 March 2017 even though JNPT made provision for the expenses based on the advances paid. The non-adjustment of advances and provisions has resulted in overstatement of Current Assets, Loans and Advances and Current Liabilities and Provisions by Rs.5.10 crore.	The provision for school running expenses have already been made in the accounts based on advances paid to the school. Advances pertaining to FY 2015-16 & 2016-17 amounting to Rs.5.10 Crores shall be settled in FY 2017-18.
	इस संदर्भ में जनेप न्यास के वर्ष 2013-14 के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणी सं.क. 2.4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसे वर्ष 2014-15 और 2015-16 में दोहराया गया था ।	
	In this regard a reference is invited to Comment No. A.2.4 of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of JNPT for the year 2015-16.	

खण्ड सं. Clause No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's Reply / Action Taken Note
ख./B.1 ख./B.1.1 ख/ B.1.2	**लाभ और हानि लेखा / Profit and Loss Account** **सम्पदा किराया / Estate Rentals** **भूमि पर किराया – रु.77.30 करोड़ (अनुसूची 11)** **Rent on Land – Rs.77.30 crore (Schedule 11)** इसमें जनवरी 2014 से मार्च 2017 तक के अवधि के लिए जनेपन्यास भूमि से गुजरनेवाली पाइपलाइनों के लिए ओएनजीसी और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड से आनेवाला 13.87 करोड़ का पट्टा किराया शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरुप वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम और लाभ में रु.13.78 करोड़ की कमी आयी है । This does not include Rs.13.78 crore being way lease rent due from ONGC and Bharat Petroleum Corporation Limited for pipelines passing through JNPT land for the period from January 2014 to March 2017. This has resulted in understatement Current Assets, Loans and Advances and understatement of profit by Rs.13.78 crore.	यह कहा जाता है कि जनेप न्यास ने प्रश्वगत बिलों को बनाया है और जून 2017 में चालू वित्तीय वर्ष में आवश्यक प्रविष्टियाँ पारित की हैं । It is submitted that JNPT has raised the subject bills and passed necessary entries in current financial year in June, 2017.
ख./B.2	**बीओटी ठेकों से आय– रु.713.87 करोड़ (अनुसूची-12)** **Income from BOT Contracts- Rs.713.87 crore (Schedule-12)** उपर्युक्त में गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) से 217.43 करोड़ का राजस्व हिस्सा, न्हावा शेवा (इंडिया) गेटवे टर्मिनल (एनएसआईजीटी) से 82.83 करोड़ और न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी) से रॉयल्टी आय का रु. 216.63 करोड़ मिलाकर कुल 516.89 करोड़ शामिल है । The above includes Rs. 516.89 crore being revenue share of Rs.217.43 crore from Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL), Rs.82.83 crore from Nhava Sheva (India) Gateway Terminal (NSIGT) and royalty income of Rs.216.63 crore from Nhava Sheva International Container Terminal (NSICT). जीटीआईपीएल (अनुसूची11.7) और एनएसआईसीटी (अनुसूची9.4) के साथ किए गए अनुज्ञप्ति करार के अनुसार रियायतकर्ता को पत्तन को कुल राजस्व का मासिक/छः मासिक विवरण प्रस्तुत करना होगा । इस अनुज्ञप्ति करार में पत्तन द्वारा लेखापरीक्षा करने और राजस्व का सत्यापन करने और वित्तीय विवरणों आदि के लिए अतिरिक्त लेखा परीक्षक नियुक्त करने का विकल्प भी प्रदान किया गया था । एनएसआईसीटी (अनुसूची6.7) के साथ किए गए अनुज्ञप्ति करार में यह निर्धारित किया गया था कि अनुज्ञप्तिधारक स्थानांतरित किए गए टीईयू दर्शानेवाले मासिक विवरण पत्तन को प्रस्तुत करेगा । इस रियायत समझौते में प्रचालक द्वारा बनाए गए विवरणों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने या जनेपन्यास द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों कि नियुक्ति करने का कोई प्रावधान नहीं था । As per Licence Agreements with GTIPL (Article 11.7) and NSIGT (Article 9.4), the concessionaire has to submit monthly/six-monthly statement of the Gross Revenue to the	1) जनेपन्यास ने रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार जीटीआईपीएल और एनएसआईसीटी से क्रमशः सकल राजस्व का मासिक / छः मासिक विवरण प्राप्त किया । 1) JNPT received monthly/ six monthly statements of gross revenue respectively from GTIPL and NSIGT as per the provisions of Concession Agreement. 2) इसके अलावा जनेपन्यास ने जीटीआईपीएल और एनएसआईसीटी की राजस्व हिस्सेदारी के सत्यापन के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक भी नियुक्त किया । 2) In addition, JNPT has also appointed Independent Auditors for verification of Revenue shares of GTIPL and NSIGT. 3) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जीटीआईपीएल और एनएसआईसीटी की लेखा परीक्षा प्रगति पर है और नवम्बर, 2017 के मध्य तक पूरी होगी । 3) Audit of GTIPL and NSIGT for FY 2016-17 is in progress and will be completed by mid November, 2017. 4) एनएसआईसीटी के मामले में रियायत समझौते में एनएसआईसीटी द्वारा दिए गए विवरणों को अलग से

खंण्ड सं. Clause No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's Reply / Action Taken Note
	Port. These License Agreements also provided the option for appointment of additional auditor by the Port to audit and verify revenue, financial statements etc. The License Agreement with NSICT (Article 6.7) stipulated that the licensee shall submit to the Port monthly statement stating the total TEUs transferred. There was no provision in this Concession Agreement to independently verify the statements furnished by the operator or for appointment of independent auditors by JNPT. हालांकि रियायतकर्ता द्वारा आवश्यक विवरण पत्तन को प्रस्तुत किए गए थे किन्तु पत्तन ने आंकड़ों का अलग से सत्यापन नहीं किया और बीओटी प्रचालक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर भरोसा किया । जीटीआईपीएल और एनएसआईसीटी से संबन्धित मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षक की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट अंतिम चरण में थी और उसे लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था । Though the requisite statements were provided by the concessionaires to the Port, the Port did not independently verify the data and relied on the data submitted by BOT operator. The special audit report of the Independent auditors for the year ended March 2017, in respect of GTIPL and NSIGT were under finalization and not furnished to audit. सत्यापन न होने के कारण जनेपन्यास द्वारा लेखा खातों में दशाई गयी रु. 516.94 करोड़ के राजस्व हिस्से/रॉयल्टी की यथातथ्यता नहीं दी गयी । In the absence of verification, the veracity of revenue share/royalty of Rs.516.94 as reflected in the books of accounts by JNPT could not be vouchsafed.	सत्यापित करने या जनेपन्यास द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, पत्तन एनएसआईसीटी द्वारा प्रहस्तित टीईयू का सत्यापन अलग से संबन्धित जलयान प्रचालक से करवा रहा है । 4) In case of NSICT, although there is no provision in Concession Agreement to independently verify the statements furnished by NSICT or for appointment of Independent Auditor by JNPT, Port is verifying TEUs handled by NSICT independently with concerned Vessel Operators.
ग./C.	**लेखों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव** **Effect of Audit Comments on Accounts** पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई टिप्पणियों का कुल प्रभाव यह है कि परिसंपत्तियों को रु. 88.11 करोड़, देयताओं को रु.5.10 करोड़ और लाभ को 83.01 करोड़ बढ़ाकर दिखाया गया है । The net impact of the comments given in preceding paras is that the assets were overstated by Rs.88.11 crore, liabilities overstated by Rs.5.10 crore and profit overstated by Rs.83.01 crore.	ऊपर दिए गए उत्तरों की दृष्टि से यह कहा जाता है कि परिसंपत्तियों, देयताओं और लाभ को बढ़ाकर नहीं दिखाया गया है । In view of the replies furnished above it is stated that there is no overstatement of assets, liabilities and profit.

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध- I / Annexure-I to Audit Report

खण्ड सं. Clause No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's Reply / Action Taken Note
1.	**आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** **Adequacy of internal audit system** पत्तन की वर्ष 2016-17 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा मेसर्स तलाटी एण्ड तलाटी द्वारा की गई और इसमें कोई प्रतिकूल / प्रमुख टिप्पणियां नहीं थी। The Internal Audit of the Port for the year 2016-17 was conducted by M/s. Talati and Talati, Chartered Accountants and there were no adverse / major comments.	तथ्यात्मक Factual
2.	**आंतरिक नियंत्रण परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता** **Adequacy of Internal Control System** निम्नलिखित कारणों से आंतरिक नियंत्रण परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की आवश्यकता है : The Internal Control System of the Port requires strengthening for the following reasons: I) बैंक समाधान विवरण में निम्नलिखित शामिल हैं : Bank Reconciliation Statement includes: क) 5.64 लाख के चेकों को जारी किया गया किन्तु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया और इस दौरान समय अवधि समाप्त हो गई । तथापि कोई निराकरण प्रविष्टियाँ नहीं की गई a)Three cheques amounting to Rs.5.64 lakh issued but not presented for payment and became time barred. However no reversal entries have been passed; ख) जनेपन्यास द्वारा 61.60 लाख के चेकों को प्राप्त किया गया किन्तु वे बैंक खातों में जमा नहीं किए गए; तथा b) Cheques amounting to Rs.61.60 lakh received by JNPT but not credited in the bank accounts; and ग) बैंक द्वारा 4.34 करोड़ जमा किए गए लेकिन जनेपन्यास द्वारा इसका हिसाब नहीं किया गया। c) Rs.4.34 crore credited by bank but not accounted by JNPT.	वित्तीय वर्ष 2017-18 में सभी मदों के लिए 5.64 लाख की निराकरण प्रविष्टियाँ पारित की गई । Reversal entries for all the items of Rs.5.64lakhs have been passed in FY 2017-18. वित्तीय वर्ष 2017-18 में 9.45 लाख पहले ही जमा कर दिए किए हैं । वित्तीय वर्ष 2017-18 में मामले का समाधान करने विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है । Rs.9.45 Lakhs have already been credited in FY 2017-18. Follow-ups are being made with banks to provide details to resolve the issue in FY2017-18. वित्तीय वर्ष 2017-18 में पहले ही 16.19 लाख जमा किए गए है । बैंक समाधान में प्रलंबित मामलों की पहचान करने और वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवश्यक लेखा प्रविष्टियों को पारित करने के प्रयास किए जा रहे है । Rs.16.19 Lakhs have already been booked in 2017-18. Efforts are being made to identify the pending items in bank reconciliation and to pass necessary accounting entries in FY 2017-18.
3.	**नियत परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** **System of Physical Verification of Fixed Assets** वर्ष 2016-17 के लिए नियत परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट में कोई बड़ी विसंगतियां नहीं थी । There were no major discrepancies in the Physical Verification Reports of Fixed Assets for the year 2016-17.	तथ्यात्मक Factual

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध- I / Annexure-I to Audit Report

खंण्ड सं. Clause No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पाणियाँ Port's Reply / Action Taken Note
4.	**वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली** **System of Physical Verification of Inventory** वर्ष 2016-17 के लिए मुख्य भंडार के प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समापन स्टॉक का मूल्य 28.20 करोड़ था जबकि वित्तीय अभिलेखों के अनुसार 26.30 करोड़ था, इसके परिणामस्वरूप 1.90 करोड़ का अंतर आया है । प्रबंधन ने (सितंबर,2017) में कहा है की यह अंतर मुख्यतः सेनवेट क्रेडिट के कारण आया है । इसके अलावा अनुसूची 6 के अनुसार 31 मार्च, 2017 को वस्तुसूची का मूल्य 26.78 करोड़ होने के कारण 0.48 करोड़ का अंतर था । अंतर के लिए कारणों को सूचित किया जा सकता है । प्रबंधन ने (सितंबर,2017) में बताया कि उच्च गति डीजल और दवाइयों को प्रत्यक्ष सत्यापन में शामिल न करने के कारण अंतर आया है । As per Physical Verification Report of Main Stores for the year 2016-17, the value of closing stock as on 31 March 2017 was Rs.28.20 crore whereas as per the financial records the value was Rs.26.30 crore resulting in a difference of Rs.1.90 crore. The Management stated (September 2017) that the difference is mainly due to Cenvat Credit. Further, as per Schedule 6, the value of inventories as on 31 March 2017 was Rs.26.78 crore resulting in a difference of Rs.0.48 crore. Reasons for the difference may be intimated. The Management stated (September 2017) that the difference is due to non-inclusion of High Speed Diesel and Medicines in the physical verification report.	0.01 करोड़ का उच्च गति डीजल और 0.47 करोड़ की दवाइयों के स्टॉक जैसे वस्तुसूची मदों को तुलन पत्र में शामिल करने के कारण तुलन पत्र और वित्तीय अभिलेखों के अनुसार वस्तुसूची के मूल्य के बीच रु.0.48 करोड़ का अंतर आया है । The difference of Rs.0.48 crores between value of inventory as per the balance sheet and as per financial records is due to items of inventory i.e. High Speed Diesel of Rs.0.01 crores & stock of medicine of Rs.0.47 crores included in balance sheet.
5.	**सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता** **Regularity in payment of statutory dues** पत्तन ने अविवादित सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से किया है । The Port was regular in making payment of undisputed statutory dues.	तथ्यात्मक Factual

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध- II / Annexure-II to Audit Report

खंण्ड सं. Clause No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's Reply / Action Taken Note
1.	**वित्तीय स्थिति / Financial position** 31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास की वित्तीय स्थिति इस प्रकार रही : The Financial position of Jawaharlal Nehru Port Trust under the broad headings for three years ended 31March 2017 is given below: (see table below)	वित्तीय स्थिति में दिखाए गए आंकड़ों को एतदद्वारा निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन पुष्ट किया जाता है : The figures mentioned in the Financial position are hereby confirmed subject to the following observations : 1. पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना करते समय पत्तन ब्याज से प्राप्त आय तथा भुगतान किए गए ब्याज के लिए समायोजन करता है जो लेखा परीक्षा ने नहीं किया है । While calculating Return on Capital Employed, Port makes adjustments for interest earnings and interest paid which has not been made by audit. 2. नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ के परिकलन के लिए पत्तन द्वारा अपनाई गई पद्धति लेखा परीक्षा की पद्धति से भिन्न है । नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना करते समय पत्तन स्रोत पर कर कटौती, असाधारण मदों, नि.प्र.ह. प्रचालकों को सौंपे गए शेडों तथा आयकर के प्रावधान हेतु समायोजन करता है । The method followed by the Port differs with that of Audit for calculation of ROCE. Port makes adjustments for TDR, EOI, Sheds handed over to BOT Operators and provision for Income Tax while calculating the ROCE.

(करोड़ रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2014-15	2015-16	2016-17
क) देयताएँ/ LIABILITIES			
पूंजी आरक्षित / Capital Reserve	3608.32	3608.32	3608.32
अन्य आरक्षित / Other Reserves	2710.72	3429.41	4327.34
प्रतिभूत ऋण / Borrowings	41.32	41.32	556.84
आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities	144.38	183.35	220.73
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान / Current Liabilities & Provisions	2292.49	2643.80	3136.98
योग / Total	**8797.23**	**9906.20**	**11850.21**
(ख) प्ररिसम्पत्तियाँ / (B) Assets			
i) निवल नियत परिसम्पत्तियाँ / Net Fixed Assets	2335.99	2392.65	2467.65
ii) चालू कार्य / Works-in-Progress	107.68	240.48	384.80
iii) निवेश / Investments	58.00	73.30	76.78
iv) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ तथा ऋण और अग्रिम/Current Assets and Loans and Advances	6260.20	7166.14	8889.48
v) आस्थगित कर परिसम्पत्ति / Deferred Tax Asset	--	--	--
अन्य परिसम्पत्तियाँ / विविध व्यय Other Assets/Misc. Expenditure:			
i) नि.प्र.ह. प्रचालक को हस्तांतरित शेड / Sheds handed over to BOT operator	35.44	33.63	31.50
ii) एस वी आर एस व्यय / SVRS Expenditure	--	--	--
योग / Total	**8797.23**	**9906.20**	**11850.21**
कार्यचालन पूंजी / Working Capital *	3967.63	4522.34	5752.50
निवल मूल्य / Net Worth **	6319.04	7037.73	7935.66
नियोजित पूंजी/Capital Employed ***	6303.62	6914.99	8220.15
निवल अधिशेष (विनियोजन के पहले) /Net Surplus (before appropriation)	556.40	718.91	879.56
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में) Return on Capital Employed **** (percentage)	8.83	10.40	10.70
नियोजित पूंजी (चालू कार्य सहित) / Capital Employed (including Work -in-Progress)	6411.30	7155.47	8604.95
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (चालू कार्य सहित) (प्रतिशत में) i) Return on Capital Employed (including Work -in- Progress) (percentage)	8.68	10.05	10.22

* कार्यचालन पूंजी वर्तमान परिसम्पत्तियों में से वर्तमान देयताओं को घटाकर निकाली गई राशि को दिखाती है ।
Working Capital represents Current Assets minus Current Liabilities.

** निवल मूल्य पूंजी आरक्षित और अन्य आरक्षित (पेंशन निधि छोड़कर) तथा अधिशेष/कम जमा घाटा या आस्राजस्व्य को दिखाता है ।
Net Worth represents Capital Reserves and other Reserves Plus Surplus / deficit.

*** नियोजित पूंजी निवल नियत परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी को दिखाती है (ऊपर बताए गए अनुसार) ।
Capital Employed represents Net Fixed Asset plus Working Capital.

**** नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नियोजित पूंजी पर कुल अधिशेष के प्रतिशत को दिखाता है ।
Return on Capital Employed represent percentage of Net Surplus (before appropriation) to Capital Employed..

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध- II / Annexure-II to Audit Report

खण्ड सं. Clause No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's Reply / Action Taken Note
2.	**कार्यचालन परिणाम / Working Results** पत्तन के 31 मार्च, 2017 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के कार्यचालन परिणाम सारांश रूप से नीचे दिए जा रहे हैं . The working results of Jawaharlal Nehru Port Trust for the last three years ending 31 March 2017 are summarized below:	**कार्यचालन परिणामों में बताए गए आंकड़ों को निम्के अधीन पुष्ट किया जाता है :** **The figures mentioned in the Working Results are hereby confirmed subject to the following :-**

(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2014-15	2015-16	2016-17
(क) राजस्व (A) Revenue			
(i) प्रचालन आय / Operating Income	1508.08	1665.10	1700.97
(ii) गैर प्रचालन आय / Non operating Income	301.33	319.60	461.46
योग / Total	**1809.41**	**1984.70**	**2162.43**
(ख) व्यय / (B) Expenditure			
(i) प्रचालन व्यय / Operating Expenditure	**671.51**	**693.12**	**804.97**
(ii) गैर-प्रचालन व्यय / Non operating Expenditure	293.88	132.11	16.53
योग /Total	**965.39**	**825.23**	**821.50**
ग) असाधारण मदें / Extra ordinary items		72.85	-
पूर्व अवधि प्रभार / Prior period charges	1.60	-5.00	-3.81
कर से पहले निवल अधिशेष / Net surplus before tax	**842.42**	**1091.62**	**1344.74**
घटाएँ : कर के लिए प्रावधान / Less: Provision for Tax	244.43	333.96	428.04
जोड़ें / घटाएँ : आस्थगित कर देयता/ परिसम्पत्तियाँ / Add/Less: Deferred tax liability/ assets	41.90	38.97	37.38
जोड़ें : कल्याण निधि और आधारिक संरचना आरक्षित से आहरण Add: Withdrawn from Welfare Fund and Infrastructure Reserve	0.31	0.22	0.24
(घ) विनियोग से पहले निवल अधिशेष / Net surplus before appropriation	**556.40**	**718.91**	**879.56**
(ड) (घटाएँ : आज्ञापक विनियोग, आरक्षित निधियों आदि में स्थानांतरण Less: Mandatory Appropriations, Transfers to Reserve Funds, etc.	481.94	227.54	210.54
(च) सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित अधिशेष/घाटा Surplus/Deficit transferred to General Reserve	74.46	491.37	669.02
(छ) के लिए निवल अधिशेष का प्रतिशत : **Percentage of net surplus to**			
(i) प्रचालन आय / (i) Operating Income	36.89	43.18	51.71
(ii) निवल नियत परिसम्पत्तियाँ / (ii) Net Fixed Assets	23.82	30.05	35.64
(iii) निवल मूल्य /(iii) Net Worth	8.81	10.22	11.08

Port's Reply / Action Taken Note (continued):

i) जनेप न्यास के अनुसार रु. 23.40 करोड़ की रकम वापसी के बाद कर निर्धारण वर्ष 2005-06 के लिए समायोजित अतिरिक्प्रावधान विनियोजन से पूर्व निवल अधिशेष में जोड़ा जाना चाहिए जो कि रु. 879.56 करोड़ के स्पर रु. 902.96 होता है ।

As per JNPT excess Provision for Tax AY 2005-06 adjusted after refunds amounting toRs.23.40 crores should be added to net surplus before appropriation which arrives to Rs. 902.96 crores in place of Rs.879.56 crores.

ii) जनेप न्यास के अनुसार अनिवार्य विनियोजन, आरक्षित निधियों में अंतरण आदि लेखा परीक्षा द्वारा बताए गए रु. 210.54 करोड़ के स्पर रु. 233.94 करोड़ होता है ।

As per JNPT, the Mandatory Appropriations, Transfers to Reserve Funds, etc. works out to Rs.233.94 crores in place of Rs.210.54 crores mentioned by Audit.

iii) जनेप न्यास के अनुसार उपर्युक्त पर बताए अनुसार रु. 902.96 करोड़ के विनियोजन से पूर्व निवल लाभ को ध्यान में रखते हुए निवल अधिशेष से प्रचालनीय आय, निवल नियत परिसम्पतयों और निवल मूल्य अनुपात का प्रतिशत क्रमशः रु. 53.09 करोड़, रु. 36.59 करोड़ और रु. 11.38 करोड़ होता है ।

Considering, the Net surplus before appropriation as Rs. 902.96 Crs as explained at i) above, the percentage of Net surplus to Operating Income, Net Fixed Assets & Net Worth works out to 53.09, 36.59 & 11.38 respectively as per JNPT.

लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध- II / Annexure-II to Audit Report

खंण्ड सं. Clause No.	विवरण Particulars	पत्तन का उत्तर / कृत कार्रवाई टिप्पणियाँ Port's Reply / Action Taken Note
3.	**अनुपात विश्लेषण (परिसमापनता एवं ऋण शोधन क्षमता)** **Ratio Analysis (Liquidity and Solvency)** पत्तन न्यास की परिसमापनता तथा ऋण शोधन क्षमता एवं वित्तीय स्थिति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों को नीचे दिखाया गया है : Some important ratios on liquidity and solvency and on financial health of the Port Trust are shown below:	
	(see table below)	कार्यचालन परिणाम में दिखाए गए आंकड़ों को एतद् द्वारा पुष्ट किया जाता है । तथापि, वित्तीय स्थिति के **अनुबंध – II के** क्र. सं. 1 के संबंध में हमारे उत्तर में स्पष्ट किए अनुसार पत्तन की नियोजित पूंजी के परिकलन की पद्धति लेखा परीक्षा द्वारा उपयोग की जा रही पद्धति से भिन्न है, इसी कारण क्र. सं. (च) पर उल्लिनियोजित पूंजी के लाभ का प्रतिशत लेखा परीक्षा द्वारा परिकलन किए गए प्रतिशत से भिन्न है । The figures mentioned in Ratio Analysis are hereby confirmed. However, as explained in our reply to Sr. No.1 – Annexure-II Financial Position, the Port's method of calculation of Capital Employed is different than the method used by Audit, hence, the percentage of profit to capital employed mentioned at Sr.No.(e) shall differ with the percentage calculated by audit.

(करोड रुपयों में / Rs.in Crores)

विवरण / Particulars	2014-15	2015-16	2016-17
क. वर्तमान देयताओं के लिए वर्तमान परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (प्रावधानों सहित) (a) The percentage of Current Assets to Current Liabilities (including Provisions)	273.07	271.05	283.38
ख. वर्तमान देयताओं के लिए शीघ्र विक्रेय परिसम्पत्तियों का प्रतिशत (b) Percentage of Quick Assets to Current Liabilities	780.47	890.62	919.06
ग. प्रचालनीय आय के लिए विविध देनदारों का प्रतिशत (c) Percentage of Sundry Debtors to Operating Income	40.19	39.05	40.69
घ. पूंजी आरक्षित एवं सामान्य आरक्षित के लिए ऋण का प्रतिशत (d) Percentage of Debt to Capital Reserve & General Reserve	1.09	0.97	9.35
कर पूर्व लाभ का प्रतिशत : Percentage of profit before tax to:			
(क) निवल मूल्य / a) Net Worth	13.33	15.51	16.95
(ख) नियोजित पूंजी / b) Capital Employed	13.36	15.79	16.36
(ग) प्रचालनीय आय / c) Operating Income	55.86	65.56	79.06

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा
Financial Performance Profile
2016 -17

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

2016-17 की वित्तीय मुख्य अंश / Financial Highlights for 2016-17

2016-17 में पतन की प्रचालनीय आय 2015-16 की ₹.1665.10 करोड से बढकर ₹. 1700.97 करोड हो गई । वर्ष 2016-17 का प्रचालनीय व्यय ₹. 804.97 करोड रहा जबकि पिछले वर्ष 2015-16 का ₹. 693.11 करोड था । प्रचालनीय लाभ पिछले वित्तीय वर्ष के ₹. 971.99 करोड से 2016-17 में ₹. 896 करोड हो गया । कर पूर्व लाभ 2015-16 में ₹. 1091.62 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹. 1344.74 करोड़ हो गया है । निवल लाभ 2015-16 के ₹. 718.68 करोड से बढकर 2016-17 में ₹. 879.32 करोड हो गया ।

The Operating Income of the Port increased to ₹. 1700.97 Crores in 2016-17 from ₹.1665.10 Crores in 2015-16. The Operating Expenditure in 2016-17 was ₹. 804.97 Crores as against ₹. 693.11 Crores in 2015-16. The Operating Profit in 2016-17 is ₹. 896 Crores against ₹. 971.99 Crores in the Previous Financial year. The Profit before Tax in 2016-17 has increased to ₹. 1344.74 Crores from ₹. 1091.62 Crores in 2015-16. The Net Profit after Tax in 2016-17 has increased to ₹. 879.32 Crores from ₹. 718.69 Crores in 2015-16.

पत्तन के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए है :

The Summarised Financial Results of the Port are furnished below :

(करोड़ रूपयो में / Rs in Crores)

Sl. No. क्र.स	Description विवरण	2016-17	2015-16
1	प्रचालनीय आय / Operating Income	1,700.97	1,665.10
2	प्रचालनीय व्यय / Operating Expenditure	804.97	693.11
3	**प्रचालनीय लाभ / Operating Profit(1-2)**	**896.00**	**971.99**
4	वित्त तथा विविध आय / Finance & Misc. Income	461.46	319.60
5	वित्त तथा विविध व्यय / Finance & Misc. Expenditure	16.53	132.11
6	निवल पूर्व अवधि प्रभार /Net Prior Period Charges	(3.81)	(4.99)
7	असाधारण मदें / Extra-Ordinary Item	-	72.85
8	**कर पूर्व लाभ / Profit before Tax**	**1,344.74**	**1,091.62**
9	कराधान हेतू प्रावधान / Provision for Taxation	465.42	372.93
10	Net Profit	879.32	718.69

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा
FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

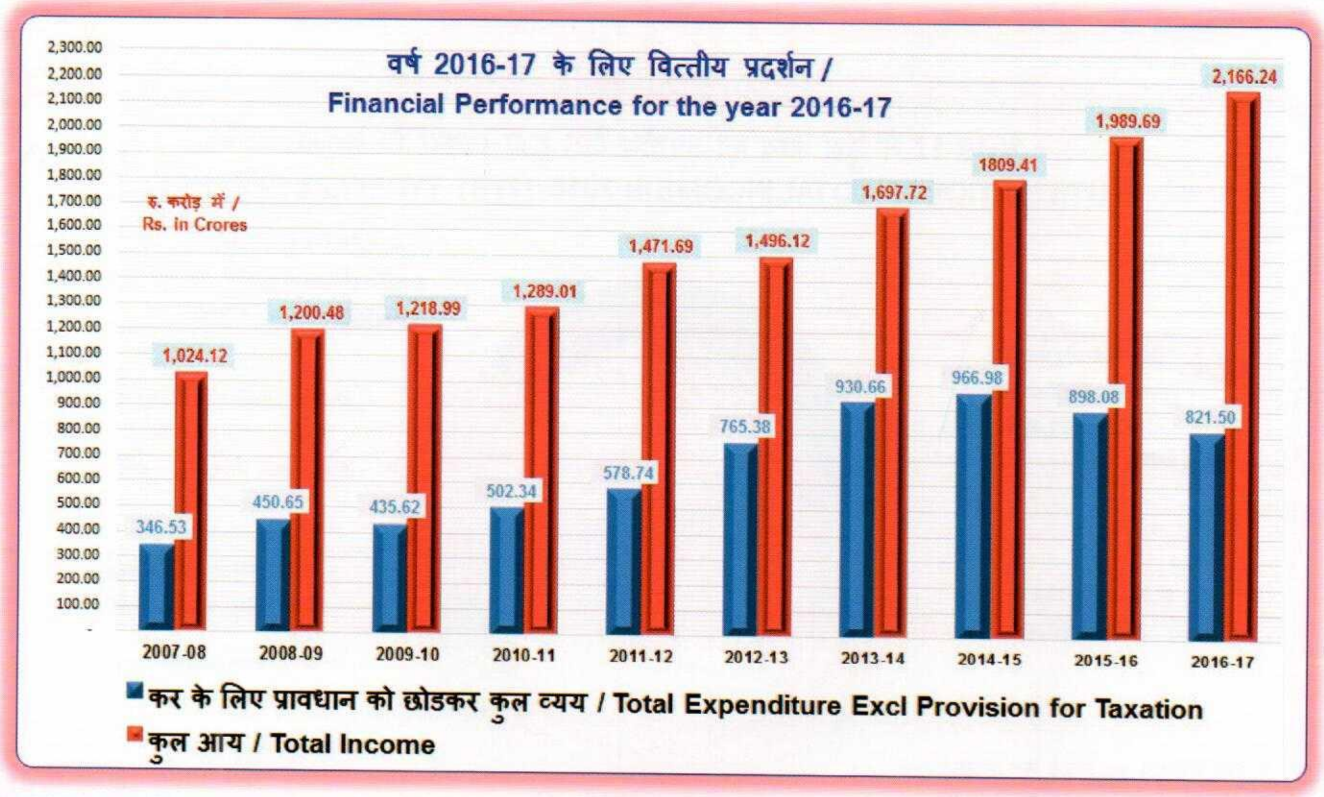

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा
FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

2016-17 में कुल आय का उपयोग कैसे हुआ (प्रकार के अनुसार व्यय)
UTILISATION OF TOTAL INCOME IN 2016-17 (BY TYPEWISE EXPENSES)

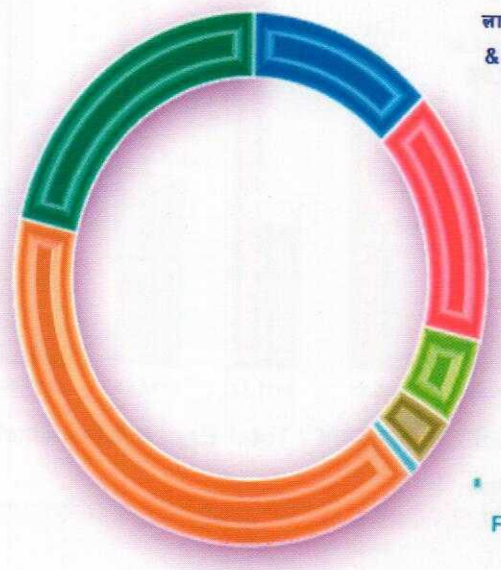

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा
FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

2016-17 में कुल आय का उपयोग (बीओटी सहित) कार्यात्मक विभाग द्वारा
UTILISATION OF TOTAL INCOME (INCLUDING BOT) IN 2016-17 BY FUNCTIONAL DEPARTMENT

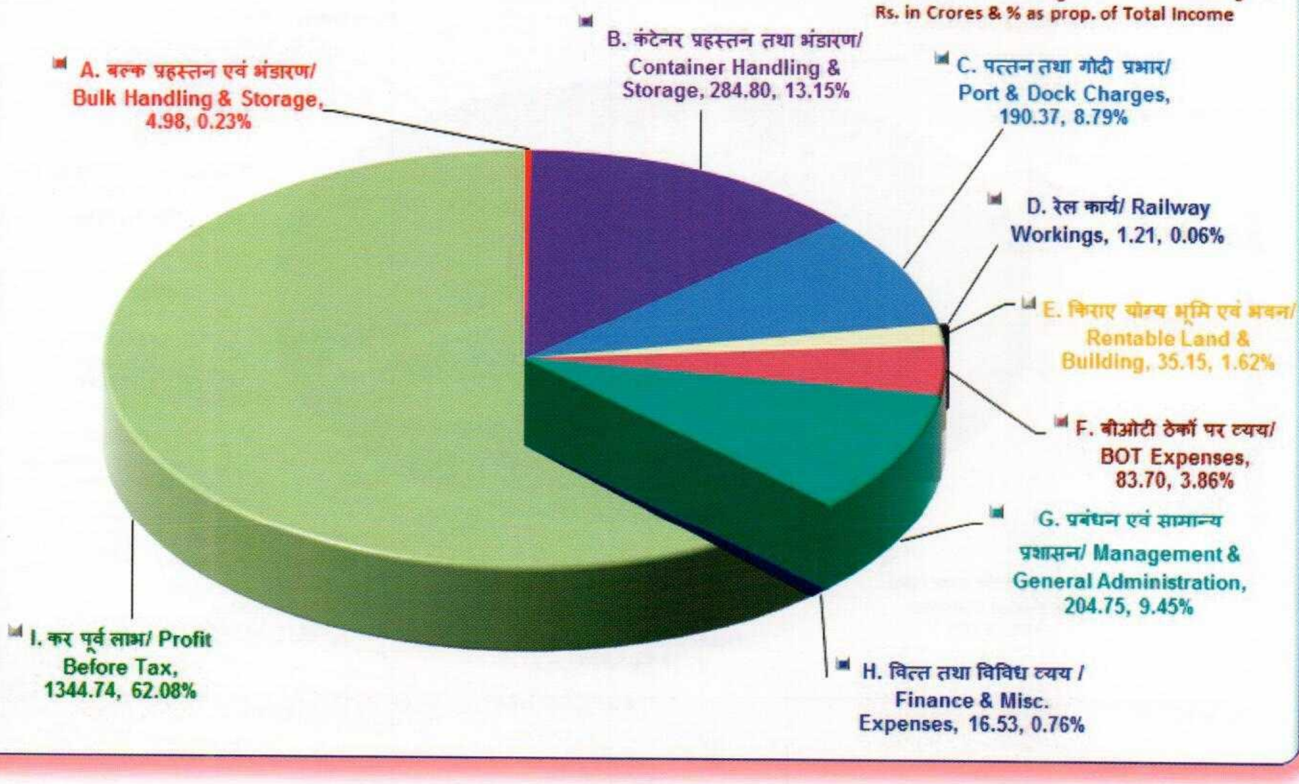

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा
FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

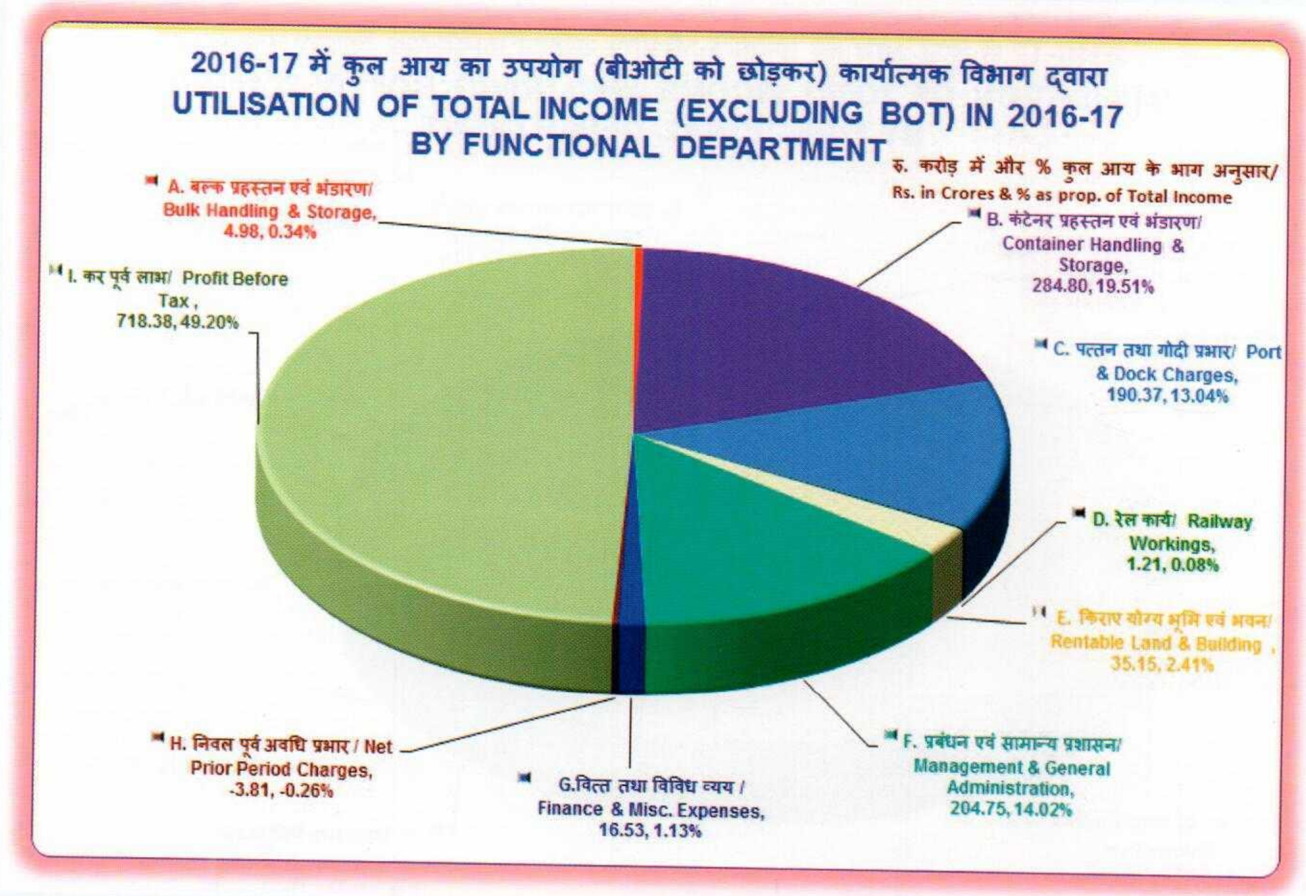

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा
FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

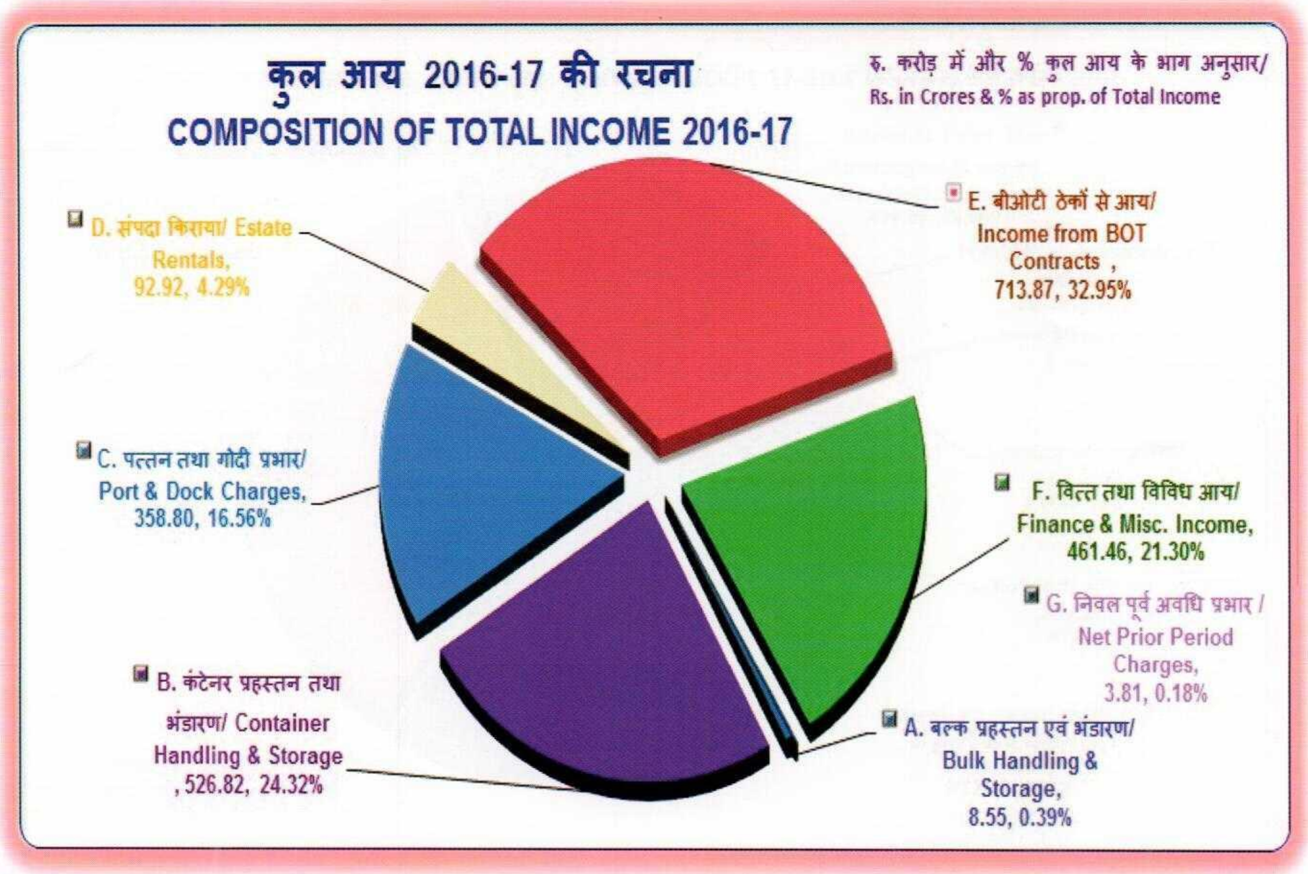

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा
FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

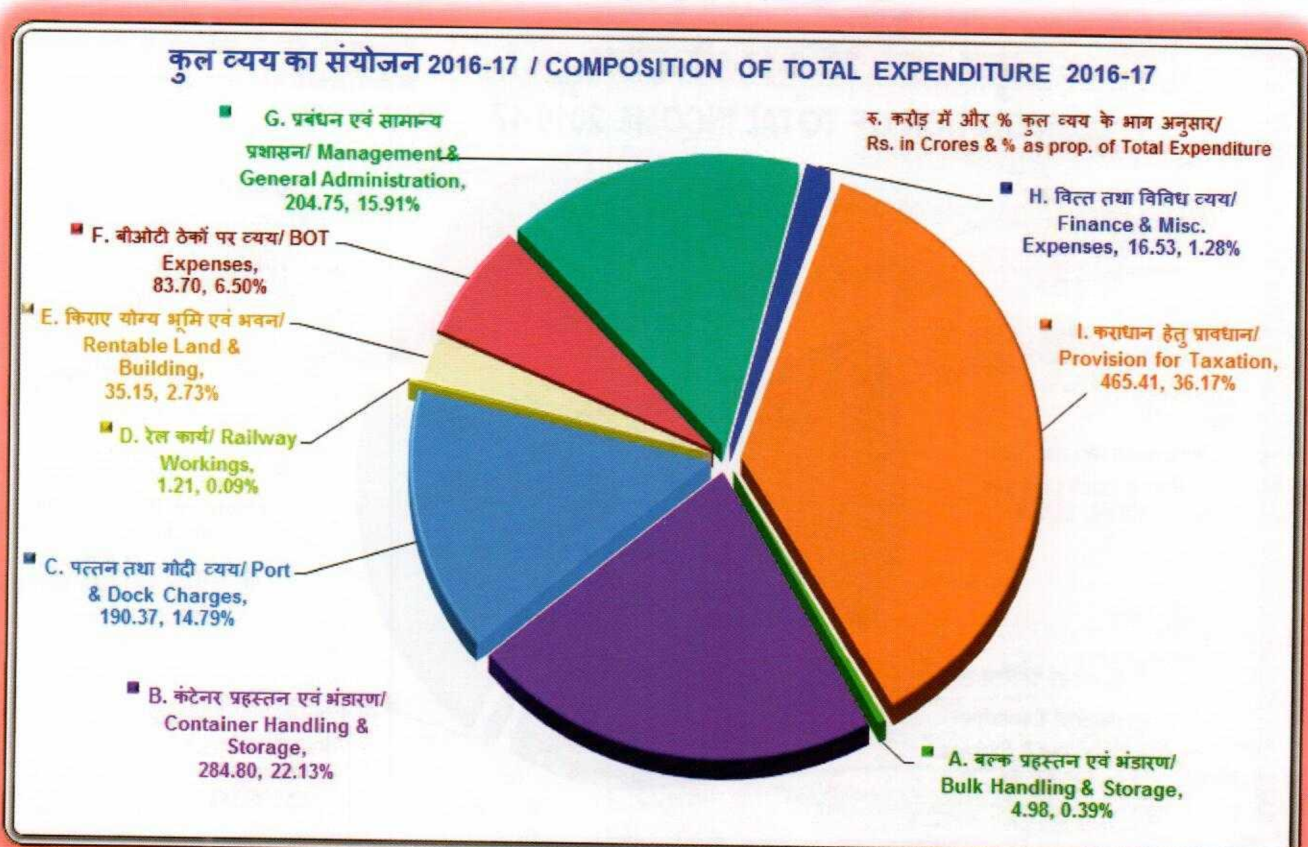

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा
FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

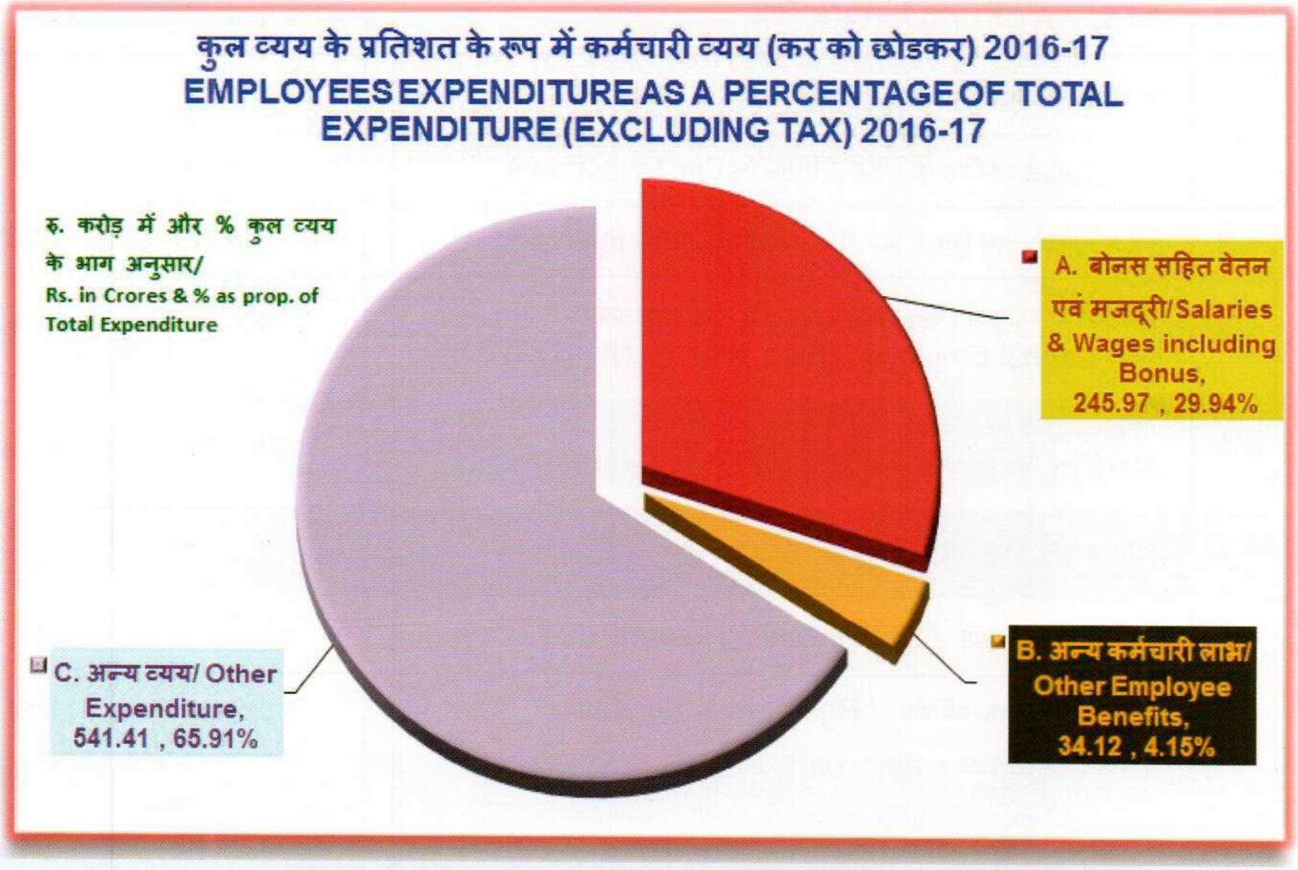

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

वित्तीय संकेतक / FINANCIAL INDICATORS

(Rs in Crs.)

अ.क्र Sl.No.		विवरण / Description	2016-17	2015-16
1		नियोजित पुंजी पर प्रतिलाभ / **Return on Capital Employed**		
	क/a	कर पूर्व लाभ / **Profit before Tax**	**1,344.74**	**1,091.62**
	ख/b	जोडे Add : ऋणों पर व्याज / Interest on Loan	8.63	2.89
	ग/c	घटाएं Less : निवेश पर व्याज / interest on Investment	434.59	295.04
	घ/d	व्याज से पहले लाभ (क + ख - ग / Profit before interests	918.77	799.47
	च/e	निवल नियोजित पूंजी (चालू कार्य, बँक सावधि जमा निकालकर) Net Capital Employed (Excl. WIP, BANK TDR)	3603.38	3555.27
	छ/f	**नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ की दर Rate of Return on Capital Employed (d/e)**	**25.50%**	**22.49%**
2		ऋण से पूंजी आरक्षित / **Debt to Reserves & Surplus**		
	क/a	देय ब्याज सहित ऋण / Debt including interest due	556.84	41.37
	ख/b	पूंजी आरक्षित तथा अधिशेष / Reserves & Surplus	7,935.66	7,037.73
	ग/c	अनुपात / **Ratio**	**0.07**	**0.01**
3		वर्तमान परिसम्पत्तियां से वर्तमान देयताएं **Current Assets to Current Liabilities**		
	क/a	वर्तमान परिसम्पत्तियां (बँक सावधि जमा निकालकर) Current Assets (Excl. TDR)	4,241.20	3772.79
	ख/b	वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान /Current Liabilities & Provisions	3,136.98	2643.80
	ग/c	अनुपात / **Ratio**	**1.37:1**	**1.43:1**

वित्तीय निष्पादन की रुपरेखा / FINANCIAL PERFORMANCE PROFILE

वित्तीय संकेतक / FINANCIAL INDICATORS

(Rs in Crs.)

अ.क्र Sl.No.		विवरण / Description	2016-17	2015-16
4		**कुल परिसम्पत्तियों वर्तमान परिसम्पत्तिया के लए Current Assets to Total Assets**		
	क/a	वर्तमान परिसम्पत्तियां (बँक सावधि जमा निकालकर) Current Assets (Excl. TDR)	4241.20	3772.79
	ख/b	कुल परिसम्पत्तियां / Total Assets	11,850.21	9906.20
	ग/c	अनुपात / **Ratio**	**0.36:1**	**0.38:1**
5		**प्रचलनीय अनुपात / Operating Ratio**		
	क/a	प्रचलनीय व्यय / Operating Expenditure	804.97	693.12
	ख/b	प्रचलनीय आय / Operating Income	1,700.97	1,665.10
	ग/c	अनुपात / **Ratio**	**47.32%**	**41.63%**

नियोजित और अनियोजित योजनाओं पर पूंजीगत व्यय
Capital Expenditure on Plan & Non Plan Scheme

(Rs in Crs.)

Description	Plan Works	Non Plan Works
वर्तमान वर्ष / **Current Year**		
अनुमोदित उपरिव्यय / **Approved Outlay (Annual 2016-17)**		
बजट प्राकलन / Budget Estimates	850.20	38.76
संशोधित प्राकलन / Revised Estimates	510.13	52.25
अनुमोदित लागत के लिए संसाधन / Internal Resources	850.20	38.76
बजट सहाय्यता / Budgetary Support	-	-
अन्य / Other	-	-
कुल / Total	**850.20**	**38.76**
वास्तविक व्यय / Actual Expenditure in 2016-17	**391.32**	**25.87**
योजना अवधि के लिए संचित / Cumulative for the Plan Period		
12वी योजना में प्रस्तावित उपरिव्यय/ **Proposed Outlay During XII Plan**	21,617.05	-
आंतरिक संसाधन / Internal Resources	2,831.05	-
बजट सहायता / Budgetary Support	-	-
अन्य एवं नि.प्र.ह. Other & BOT	18,786.00	-
कुल / Total	**21,617.05**	-
12 वी योजना में वर्ष 2016-17 तक वास्तविक उपरिव्यय Actual Outlay During XII Plan upto 2016-17	**2,269.03**	**81.83**